मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षोडश विधान सभा पंचम सत्र

मार्च, 2025 सत्र

बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025

(21 फाल्गुन, शक संवत् 1946)

[खण्ड- 5] [अंक- 3]

मध्यप्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025

(21 फाल्गुन, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई.

{ अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.}

11.03 बजे **वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक का उपस्थापन**

अध्यक्ष महोदय- श्री जगदीश देवड़ा जी.

(मेजों की थपथपाहट)

उप मुख्यमंत्री, वित्त (श्री जगदीश देवड़ा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से, मैं वित्त वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ -

"न त्वहं कामये राज्यम्, न स्वर्गं न पुनर्भवम्।
कामये दुःख तप्तानां, प्राणिनामार्तनाशनम्।।"

अर्थात, "मैं राज्य की कामना नहीं करता, मुझे स्वर्ग और मोक्ष नहीं चाहिए। दुःख से पीड़ित प्राणियों के दुःख दूर करने में सहायक हो सकूँ, यही मेरी कामना है।"

हमारी सरकार का सुविचारित व दृढ़ लक्ष्य है "विकसित मध्यप्रदेश"। विकसित मध्यप्रदेश का आशय है कि प्रदेश में श्रेष्ठतम अधोसंरचनाओं का विस्तार हो, किसानों की आय में वृद्धि हो, जनता का जीवन खुशहाल हो, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधायें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की हों, महिलाओं में आत्मगौरव के दृढ़ भाव बनें, युवाओं के लिए सकारात्मक वातावरण उपलब्ध हो, स्वच्छ जलवायु हो, सामुदायिक सौहार्द्र में वृद्धि हो एवं जन-जीवन व जन-सम्पदा सुरक्षित रहे। मुझे यह अवगत कराते हुए गर्व है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार सुचिन्तित रणनीति के तहत औद्योगिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए समाज के समस्त वर्गों के समावेशी विकास के लिए चार सर्वस्पर्शी मिशनों; गरीब कल्याण मिशन, युवा कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन एवं नारी कल्याण मिशन के अन्तर्गत कार्य कर रही है।

1. महोदय, वित्त वर्ष 2025-26 का प्रदेश सरकार का बजट, भारत के संविधान के गौरवशाली 75 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् प्रथम बजट है। इस गरिमामय अवसर पर मैं सभी सम्मानीय सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ। उन सभी महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उनके श्री-चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने भारतवर्ष को गणतंत्र बनाने में महती योगदान दिया। हमारे गणतंत्र का मूल मंत्र है जनता का, जनता के द्वारा,

जनता के लिए। गणतंत्र का यह मूल मन्त्र, हमारी सरकार की नीति, नियमों एवं क्रियान्वयन में पूर्णत: समाहित है। इस अवसर पर प्रदेश की सम्मानीय जनता का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

2. मुझे सदन को यह अवगत कराते हुये गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट "**ज़ीरो बेस्ड बजटिंग**" प्रक्रिया से तैयार किया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बजट में प्रावधानित राशि, सही योजना में, सही आकार में एवं सही परिणाम प्राप्त करने में सार्थक रहेगी। आगामी वर्षों में इस प्रक्रिया से बजट को और अधिक सार्थक, संतुलित व सरल बनाने के प्रयास रहेंगे।

यही जुनून, यही एक, ख्वाब मेरा है
वहां चिराग जला दूं, जहां अंधेरा है।

(मेजों की थपथपाहट)

3. आम जनता, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों एवं विषय विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों पर विमर्श के नवाचार को वित्त वर्ष 2025-26 के बजट को तैयार करने में भी निरन्तर रखा गया है। आम जनता से प्राप्त 1 हज़ार 500 से अधिक सुझावों में से महत्वपूर्ण सुझावों तथा विषय विशेषज्ञों के विचारों को बजट तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है।

4. महोदय, सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा लेखा-जोखा निकट अतीत को जानने, वर्तमान को समझने और भविष्य की राह तय करने का प्रयास है:-

बजट नया है, पर शामिल कुछ पुरानी ख्वाहिशें हैं,
प्रस्तावित बजट में, हमारी कुछ नई आज़माईशें हैं,
जनता व जन प्रतिनिधियों की बेशुमार फ़रमाईशें हैं
कर सकें हम सभी पूरी, ये हमारी कोशिशें हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

आर्थिक परिदृश्य

5. अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रमों का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर पड़ना स्वाभाविक है। देश का सौभाग्य है कि देश को सक्षम, समर्थ एवं सबल राजनैतिक एवं आर्थिक सूझ-बूझ का नेतृत्व प्राप्त है। माननीय प्रधानमंत्री श्री

नरेन्द्र मोदी जी की दूरदर्शिता एवं संकल्पों के परिणामस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि हो रही है ।

6. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी प्रदेश के लिए **विकसित मध्यप्रदेश 2047** का विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया है। हमारा लक्ष्य है वर्ष 2047 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर 2 ट्रिलियन डॉलर अर्थात रुपये 250 लाख करोड़ तक पहुँचाना। इसी तरह प्रति व्यक्ति वार्षिक आय रुपये 1 लाख 42 हज़ार को रुपये 22 लाख 35 हज़ार तक पहुँचाने का हमारा लक्ष्य है। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष 2025-26 के लिये प्रस्तुत किए जा रहे बजट के आकार में वर्ष 2024-25 के बजट की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि प्रस्तावित है।

राज्य का सकल घरेलू उत्पाद

7. प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों में निरन्तर वृद्धि से प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, राष्ट्रीय औसत से अधिक रहती आ रही है। वर्ष 2003-04 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद रुपये 1 लाख 1 हज़ार 27 करोड़ था, जो वर्ष 2025-26 में रुपये 16 लाख 94 हज़ार 477 करोड़ अनुमानित है, अर्थात पिछले 22 वर्षों में लगभग 17 गुना की वृद्धि दृष्टिगत हुई है।

8. हाल ही में प्रदेश में सोलहवें वित्त आयोग का प्रवास हुआ था, जिसमें प्रदेश की ओर से, केन्द्रीय करों में अधिक हिस्सेदारी तथा राजकोषीय प्रबन्धन विषयक बिन्दुओं पर अपना पक्ष मजबूती से रखते हुए, ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। सोलहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर वर्ष 2026-27 से आगामी पाँच वर्षों के लिए राज्य को केंद्र से प्राप्त होने वाली राशि का विनिश्चय होगा।

9. राज्यों में बेहतर राजकोषीय प्रबन्धन के लिए पूर्ववर्ती केन्द्रीय वित्त आयोगों तथा नेशनल काउंसिल ऑफ़ ऐप्लाइड इकॉनमिक रिसर्च द्वारा फिस्कल काउंसिल के गठन की अनुशंसा की गई है। हमारी सरकार, नेशनल काउंसिल ऑफ़ ऐप्लाइड इकॉनमिक रिसर्च के सहयोग से "**ग्रोथ एवं फिस्कल काउंसिल**" का गठन कर प्रख्यात विषय विशेषज्ञों से वित्तीय अनुशासन,

राजकोषीय प्रबन्धन, संसाधनों के प्रभावी उपयोग तथा आर्थिक और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए सलाह ले सकेगी।

प्रदेश में निवेश तथा औद्योगीकरण

10. हमारी सरकार ने वर्ष 2025-26 को **"उद्योग और रोज़गार वर्ष"** के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए, उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम निवेश करती आ रही है। इसके परिणाम निकट भविष्य में और अधिक स्पष्ट व प्रभावी रूप से परिलक्षित होने लगेंगे।

11. हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है एवं विगत वर्षों में कृषि क्षेत्र की विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। कृषि की तुलना में अर्थव्यवस्था के अन्य दो मुख्य क्षेत्रों उद्योग तथा सेवा क्षेत्र की विकास दर धीमी रही है। हमारी सरकार विकास के तीनों क्षेत्रों में संतुलन रखते हुए प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है।

12. प्रदेश में उद्योग अनुकूल वातावरण निर्मित करने के लिये उद्यम हितैषी आकर्षक नीतियाँ बनाई गई हैं। नीतिगत सुधारों के अन्तर्गत माह फ़रवरी, 2025 में सम्पन्न **ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट** के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 18 नवीन नीतियाँ जारी की गई हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगों हेतु अनुपालनों की संख्या कम करते हुए प्रक्रियाओं को सहज व सरल बनाया गया है।

औद्योगिक प्रोत्साहन एवं निवेश

13. हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के संतुलन के लिये गत एक वर्ष में प्रदेश में संभाग स्तर पर रीज़नल इंडस्ट्रीज़ कॉन्क्लेव के सफल आयोजन किये हैं। माह फरवरी, 2025 की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 89 एमओयू हस्ताक्षरित हुए तथा **रुपये 26 लाख 61 हज़ार करोड़** के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जिनके फलीभूत होने से **21 लाख से अधिक नवीन रोज़गार** सृजन संभावित हैं। इन निवेश प्रस्तावों के फॉलो-अप के लिए भी विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है।

14. **"डेस्टिनेशन- मध्यप्रदेश निवेश"** ड्राइव के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे 3 लाख 74 हज़ार 834 करोड़

रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में पूर्व से स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त 14 हज़ार 500 एकड़ भूमि पर 39 नये औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप 3 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन संभावित है।

15. हमारी सरकार, उद्योग एवं व्यवसाय को प्रारंभ करने में शासन की भूमिका को सीमित करने के निरंतर प्रयास कर रही है। बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के 287 बिंदुओं में से 282 को सफलतापूर्वक लागू कर प्रदेश "ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस" में शीर्षस्थ है। जी.आई.एस. आधारित "भूमि आवंटन प्रणाली" से उद्योगों को भूमि आवंटन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हुई है तथा आवंटन की समय अवधि भी 59 दिन से घटकर 29 दिन रह गई है। अब तक 1 हज़ार 880 से अधिक भूखंड, इस प्रणाली के माध्यम से आवंटित किए गए हैं।

16. प्रदेश के प्रत्येक ज़िले के परम्परागत कौशल को पहचान तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक स्वरुप दिया जाना, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, जिसका प्रमाण "एक ज़िला एक उत्पाद" है। इनमें प्रमुख हैं- अशोकनगर ज़िले का चंदेरी हैण्डलूम, धार का बाग प्रिंट, बालाघाट का चिनोर चावल, रतलाम का रतलामी नमकीन एवं सीहोर के लकड़ी के खिलौने। यह गर्व का विषय है कि हमारे प्रदेश के 19 उत्पादों जैसे चंदेरी, महेश्वर एवं वारासिवनी साड़ी, बटिक एवं बाग प्रिंट, रतलामी सेव, मुरैना गजक, शरबती गेहूँ, गोंड चित्रकला को भौगोलिक संकेतक (जी.आई. टैग) प्राप्त है।

17. हमारी सरकार टियर-2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जी.सी.सी) को प्रोत्साहित कर रही है। एनिमेशन, विज़ुअल इफैक्ट, कॉमिक्स, सेमी कन्डक्टर निर्माण इकाईयों तथा ड्रोन प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए नवीन नीतियाँ तैयार की गई हैं।

18. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 5 हज़ार 675 लाभार्थियों को लगभग रुपये 378 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया। हमारी सरकार ने स्टार्टअप नीति 2025 लागू की है, जिसके अंतर्गत 10 हज़ार स्टार्टअप स्थापित होने की संभावना है।

19. उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार के लिए विभिन्न प्रोत्साहन नीतियों के अंतर्गत इंसेंटिव दिए जाने का प्रावधान है, जिसका सकारात्मक प्रभाव रोज़गार

सृजन तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ता है। आगामी पाँच वर्षों में उद्योगों को लगभग 30 हज़ार करोड़ के इंसेंटिव दिए जाना संभावित है। इस वर्ष उद्योगों को दिए जाने वाले इंसेंटिव हेतु **रुपये 3 हज़ार 250 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है जो गत वर्ष से रुपये 551 करोड़ अधिक है।

20. प्रदेश के बुनकरों एवं शिल्पियों को प्राचीन उत्कृष्ट बुनाई कला की सुप्रसिद्ध परम्परा को संरक्षित एवं समृद्ध करने, बुनकरों एवं शिल्पियों को सतत रोज़गार उपलब्ध कराने, नये लोगों को हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग से जोड़ने तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान का कार्य किया जा रहा है।

गरीब कल्याण

21. माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के ऊर्जामय नेतृत्व में हमारी सरकार का एक वर्ष पूरा होने पर दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 से 26 दिसम्बर, 2024 की अवधि को **"जनकल्याण पर्व"** के रूप में सम्पूर्ण प्रदेश में मनाया गया। हमारी सरकार **"काम लगातार फैसले असरदार"** की प्रबल इच्छाशक्ति के साथ प्रदेश के विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास कर रही है।

22. महोदय, हम प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास व कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के सतत प्रयास करते आ रहे हैं। संभव है कि ये प्रयास पूर्व में स्वाति-बूंद की तरह रहे हों परन्तु हमारी सरकार में वही बूँद अब समुद्र का आकार ले चुकी है।

23. सुशासन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रत्येक ज़िले में **"ज़िला विकास सलाहकार समिति"** का गठन किया जाएगा। समिति में ज़िले के प्रभारी मंत्री उपाध्यक्ष तथा समाज के विभिन्न अंगों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। यह समिति ज़िले की विकास योजना का रोडमैप तैयार करने तथा दिशादर्शन का कार्य करेगी।

24. हमारा प्रदेश जनजाति बहुल प्रदेश है, इसलिए हमारी सरकार का सतत प्रयास है कि जनजातीय समुदाय अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति, उत्सव एवं

परम्पराओं को संरक्षित रखते हुए प्रदेश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार बने।

25. हमारी सरकार जनजातीय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के भविष्य को और भी बेहतर बनाने हेतु संकल्पित है। इस उद्देश्य से विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु श्रेष्ठ कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। **आकांक्षा योजना** के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में रुपये 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

26. जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रदेश में लगभग 23 हज़ार प्राथमिक शालाऐं, 6 हज़ार 800 माध्यमिक शालाऐं, 1 हज़ार 100 हाईस्कूल, 900 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 1 हज़ार 78 आश्रम, 1 हज़ार 32 सीनियर छात्रावास, 210 उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास, 197 जूनियर छात्रावास, 154 महाविद्यालयीन छात्रावास, 63 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, 81 कन्या शिक्षा परिसर एवं 08 आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। छात्रावासों में 1 लाख 49 हज़ार से अधिक विद्यार्थी निवासरत हैं। इसके अतिरिक्त, आवास भत्ता योजनान्तर्गत रुपये 1 हज़ार से 2 हज़ार प्रतिमाह की दर से छात्रों को आवास भत्ता दिया जाता है। इस योजना में एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

27. जनजातीय वर्ग के लगभग 1 लाख 92 हज़ार विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में अब तक रुपये 348 करोड़ का भुगतान किया गया है। जनजातीय क्षेत्र के विद्यालयों हेतु उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा प्राथमिक शिक्षक संवर्ग में 16 हज़ार 475 पदों पर भर्ती की गई है। जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजनांतर्गत 50 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

28. विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के बैगा, भारिया एवं सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाये जाने हेतु **आहार अनुदान योजना** में परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रतिमाह रुपये 1 हज़ार 500 दिये जा रहे हैं, जिससे **2 लाख 20 हज़ार** से अधिक महिलाएँ लाभान्वित हो रही हैं।

29. विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **"प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान" (पी.एम.जन-मन)** योजनान्तर्गत **53 हज़ार से अधिक आवास** निर्मित हो चुके

हैं। इस योजना के अन्तर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के बच्चों की गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए 22 नवीन छात्रावास शीघ्र प्रारंभ होंगे। इस योजना के क्रियान्वयन में **11 लाख से अधिक** हितग्राहियों को लाभान्वित कर हमारा प्रदेश अग्रणी प्रदेशों की पंक्ति में है।

30. जनजाति बहुल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए "**धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान**" को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के तहत प्रदेश के 267 विकासखंडो के 11 हज़ार 377 गाँवों का कायाकल्प किया जायेगा एवं लगभग 19 लाख जनजातीय परिवारों सहित 94 लाख प्रदेशवासी लाभान्वित होंगे। इस हेतु वर्ष 2025-26 के लिए रुपये 200 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

31. मैंने अपने विगत बजट भाषण में यह अवगत कराया था कि छिंदवाड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बादल भोई संग्रहालय एवं जबलपुर में श्री शंकर शाह-कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय का विस्तारीकरण किया जा रहा है। मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता है कि इन संग्रहालयों के लोकार्पण से आम जनता जनजाति वर्ग के गौरवमय इतिहास से परिचित हो रही है।

32. वित्त वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जनजाति संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत रुपये 15 करोड़, विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास योजना के अंतर्गत रुपये 100 करोड़, छात्रवृत्तियों के अंतर्गत रुपये 803 करोड़ तथा सी.एम.राईज़ विद्यालयों हेतु **रुपये 1 हज़ार 617 करोड़** के प्रावधान प्रस्तावित हैं।

33. हमारी संवेदनशील सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिये **अनुसूचित जनजाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 47 हज़ार 295 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित किया है, जो वर्ष 2024-25 से **रुपये 6 हज़ार 491 करोड़ अधिक** है।

34. अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के स्वरोज़गार हेतु संत रविदास स्व-रोज़गार योजना, डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना तथा सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना संचालित की जा रही हैं।

35. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता में रुपये 200 करोड़, छात्रावास योजना में रुपये 193 करोड़, छात्रवृत्तियों हेतु रुपये 1 हज़ार

19 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त अत्याचार निवारण अधिनियम अन्तर्गत रुपये 180 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

36. हमारी संवेदनशील सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिये **अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 32 हज़ार 633 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित किया है जो वर्ष 2024-25 से **रुपये 4 हज़ार 733 करोड़ अधिक है।**

37. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य विभिन्न परम्परागत व्यवसायों से जुड़े हुऐ हैं। इन परम्परागत व्यवसायों को संरक्षित करने तथा आधुनिक तकनीकों का समावेश करते हुए सम्मानजनक पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है।

38. प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के शैक्षिक विकास के लिए वर्तमान उपलब्ध छात्रावासों को मैस तथा इंटरनेट जैसी सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त छात्रवृत्ति, विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति, शैक्षणिक सामग्री तथा परिवहन भत्ता की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

39. पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ वर्ग के लिये वर्ष 2025-26 हेतु रुपये **1 हज़ार 786 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है।

40. सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से गरिमापूर्ण जीवनयापन में असमर्थ वर्ग को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में हमारी संवेदनशील सरकार संकल्पित है। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं यथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना आदि के माध्यम से प्रतिमाह **55 लाख 60 हज़ार से अधिक हितग्राहियों** को सहायता प्रदान की जा रही है। इस बजट में सामाजिक पेंशनों के लिए रुपये **4 हज़ार 66 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है।

41. **"प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना"** के अंतर्गत **1 करोड़ 33 लाख** परिवारों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। योजनान्तर्गत 32 लाख 47 हज़ार 304 मेट्रिक टन खाद्यान्न वितरण किया गया है।

42. घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों में लगभग रुपये 5 हज़ार 730 करोड़ की राहत से **लगभग 1 करोड़ 8 लाख** उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं।

वर्ष 2025-26 हेतु इस योजना में **रुपये 7 हज़ार 132 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है।

43. आजीविका के संसाधनों के सुदृढ़ीकरण से परिवार अधिक आय प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य से "**मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना**" प्रारम्भ की जा रही है। योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों को एक-दो योजनाओं के स्थान पर, उनकी पात्रता अनुसार योजनाओं का पैकेज प्रदान किया जाएगा।

44. प्रदेश के नागरिकों को बीमा योजनाओं के लाभ सरलता से उपलब्ध हो सकें, इस हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की तर्ज पर **राज्य स्तरीय बीमा समिति (SLIC)** का गठन किया जाएगा। शासन की सर्वस्पर्शी तथा महत्वाकांक्षी योजनाओं यथा लाड़ली बहना के हितग्राहियों को केंद्र शासन की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ताकि इन हितग्राहियों को बीमा तथा पेंशन के लाभ भी प्राप्त हो सकें।

45. हमारी सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से संगठित व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ निरन्तर कार्य कर रही है। प्रसूति, शिक्षा, चिकित्सा, विवाह, अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता आदि के अन्तर्गत लगभग **49 लाख 39 हज़ार श्रमिक हितग्राहियों को रुपये 3 हज़ार 917 करोड़** के हितलाभ प्रदान किए गए हैं।

46. असंगठित श्रमिकों के हित संवर्धन के लिए लागू की गई "मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना" अन्तर्गत 1 करोड़ 74 लाख से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं। वर्ष 2024-25 में अब तक असंगठित क्षेत्र के लगभग 42 हज़ार हितग्राहियों को रुपये 300 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता वितरित की गई है। इस योजना में इस वर्ष 700 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

47. प्रदेश में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर को बढ़ाने एवं महिला रोज़गार का बेहतर पारिस्थितिकीय तंत्र प्रदान करने के लिए नवीन योजना **"कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण"** प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 04 सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में कुल **5 हज़ार 772 बेड्स के हॉस्टल** निर्मित किए जाएंगे। इसी तरह औद्योगिक कार्यबल हेतु भी जन-निजी भागीदारी आधारित आवासीय व्यवस्था प्रोत्साहित की जायेगी।

48. श्रम विभाग के लिए वर्ष 2025-26 हेतु **रुपये 1 हज़ार 108 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान से रुपये 106 करोड़ अधिक है।

युवा कल्याण

49. नई सोच और नए जोश से परिपूर्ण युवा वर्ग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

50. प्रदेश में "**स्वामी विवेकानंद युवा-शक्ति मिशन**" प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं की विशिष्ट क्षमताओं का संवर्द्धन तथा दक्षता उन्नयन किया जायेगा। माननीय महोदय, यह मिशन हमारी सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

51. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भी छात्रवृत्तियाँ, साधन सम्पन्न विद्यालय व छात्रावास, स्वरोज़गार व रोज़गार के लिए प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ, रियायती ब्याज दर पर ऋण सुविधा एवं उत्कृष्ट खेल संरचनायें आदि के लिये समुचित प्रावधान प्रस्तावित हैं।

52. महोदय, कहा गया है-

विद्या ददाति विनयम्, विनयाद्याति पात्रत्वाम्।
पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनाद्धर्मः ततः सुखम्।।

"विद्या हमें विनम्रता देती है। विनम्रता से योग्यता, योग्यता से धन और इस धन से हम धर्म के काम करते हैं और सुखी रहते हैं।" जीवन में शिक्षा के महत्व के दृष्टिगत, प्रारंभिक स्तर से ही शैक्षिक व मानवीय पहलुओं को जोड़कर समग्र विकास की आधारशिला रखी गई है।

53. प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 4 हज़ार 473 विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक अर्थात नर्सरी कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। सकल नामांकन दर, प्राथमिक शिक्षा में 98 प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा में 70 प्रतिशत तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में 67 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। प्रदेश में शासकीय व निजी क्षेत्र के कुल

1 लाख 25 हज़ार विद्यालय हैं जिनमें 1 करोड़ 60 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

54. "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020" के अन्तर्गत अब तक 2 हज़ार 383 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 14 ट्रेड्स में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है। इसे बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 600 नये विद्यालयों में संचालित किए जाने का लक्ष्य है। "पी.एम.श्री योजना" के अन्तर्गत चिन्हित 780 विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ अध्ययन पाठ्यक्रमों का संचालन प्रारंभ है। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए "सी.एम. राइज़ स्कूल" संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2022-23 से लागू इस योजना में अब तक 275 विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं तथा वर्ष 2025-26 तक इन विद्यालयों में परिवहन सुविधा भी प्रारंभ कर दी जावेगी।

55. प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए वर्ष 2024-25 में 3 हज़ार 259 शिक्षकों की नियुक्तियाँ की जा चुकी हैं एवं **19 हज़ार 362 नियुक्तियाँ** प्रक्रियाधीन हैं।

56. स्कूल शिक्षा में समग्र शिक्षा अभियान, एक शाला-एक परिसर, सी.एम. राइज़ विद्यालय, आर.टी.ई. अन्तर्गत निजी विद्यालयों को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति, छात्र-छात्राओं को प्रदाय की जाने वाली नि:शुल्क गणवेश, पुस्तकें, सायकल, लैपटॉप, स्कूटी प्रदाय आदि योजनाओं से प्रदेश में शिक्षा की सर्वव्यापकता बढ़ी है। शिक्षा संबंधी प्रमुख योजनाओं जैसे सी.एम. राइज़ में **रुपये 3 हज़ार 68 करोड़,** साइकिलों का प्रदाय योजना में रुपये 215 करोड़, पी.एम.श्री योजना में रुपये 430 करोड़, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रदाय योजना में रुपये 124 करोड़ तथा शाला भवनों के रख-रखाव के लिए रुपये 228 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं।

श्री बाला बच्चन- XXX

अध्यक्ष महोदय- बाला भाई, आप बैठ जायें, आपको बोलने के लिए समय मिलेगा. यह कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं आयेगा.

(मेजों की थपथपाहट)

श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव- XXX

श्री हेमंत सत्यदेव कटारे- XXX

अध्यक्ष महोदय- आप सभी को बजट पर बोलने का अवसर मिलेगा.

57. उच्च शिक्षा, क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक विस्तार हुआ है। प्रदेश में शासकीय व निजी क्षेत्र में 73 विश्वविद्यालय एवं लगभग 1 हज़ार 400 महाविद्यालय हैं।

58. "**प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस**" के तहत प्रत्येक ज़िले में एक महाविद्यालय को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इन कॉलेजों में बहुसंकायी पाठ्यक्रमों और नवीनतम विषयों जैसे बायोटेक्नोलॉजी

और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की शुरूआत राज्य सरकार के दूरदर्शी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है।

59. राज्य में उच्च शिक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए खरगोन, गुना और सागर में तीन नए शासकीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। भवन विहीन महाविद्यालयों के लिए 133 नए भवनों के निर्माण तथा 192 महाविद्यालय भवनों के सुदृढ़ीकरण के कार्य भी प्रचलित हैं।

60. **पी.एम. ऊषा परियोजना** के अंतर्गत इस वर्ष प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों तथा 27 महाविद्यालयों में अधोसंरचना विकास, शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान तथा महिलाओं के समानता और समावेशन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल राशि रुपये 565 करोड़ के कार्य किए जा रहे हैं।

61. आई.आई.टी. इंदौर, आई.आई.टी. जोधपुर एवं आई.आई.टी. दिल्ली के साथ किये गये एम.ओ.यू. के माध्यम से इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों हेतु प्रयोगशालाओं की विज़िट, लर्निंग रिसोर्स सेंटर्स के उपयोग, नि:शुल्क इंटर्नशिप तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में ज्ञानार्जन के अवसर उपलब्ध हुए हैं। आई.आई.टी. इन्दौर के सहयोग से उज्जैन में **डीप-टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैम्पस** स्थापित किया जा रहा है। आगामी पाँच वर्षों में प्रदेश के प्रत्येक संभाग में आई.आई.टी. के स्वरूप की **मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी संस्थान** खोले जाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में **डिजिटल यूनिवर्सिटी** तथा **राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय** के परिसर की स्थापना का भी हमारा लक्ष्य है।

62. इस वर्ष आई.टी.आई. विहीन 22 विकासखंडों में नवीन आई.टी.आई. प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई है, जिससे प्रदेश में आई.टी.आई. की संख्या बढ़कर 958 तथा प्रशिक्षण क्षमता कुल **1 लाख 21 हज़ार** सीटों की हो गई है। विभिन्न आई.टी.आई. में जनजातीय एवं परम्परागत कौशल, एक ज़िला एक उत्पाद से संबंधित पाठ्यक्रम तथा वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गये हैं। शासकीय आई.टी.आई. देवास, छिंदवाड़ा एवं धार में ग्रीन स्किलिंग से संबंधित पाठ्यक्रम, जैसे सोलर टेक्नीशियन एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक, प्रारंभ किये गये हैं।

63. प्रदेश में कौशल विकास के विस्तार तथा विविधता के उद्देश्य से **"लोकमाता देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम"** प्रारम्भ किया जाएगा। यह कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राज्य स्तरीय मंच के रूप में कार्य करेगा।

64. खेल ऐसा माध्यम है जो युवाओं में अनुशासन, टीम भावना तथा साहस जैसे सद्गुणों का विकास कर उन्हें एक संकल्पवान व सफल जीवन प्रदान करता है।

65. हमारी सरकार ने प्रदेश के शहरों के साथ-साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की छुपी प्रतिभाओं को सामने लाकर, उन्हें राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सर्वश्रेष्ठता प्रदर्शित करने का अवसर दिया है। "खेलो इंडिया योजना" के तहत, उभरती प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रदेश के ज़िला मुख्यालयों पर "**खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर**" स्थापित किये गये हैं।

66. वर्तमान में प्रदेश में 11 खेल अकादमियों में 18 खेलों की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की अधोसरंचना, उपकरण व प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध हैं। प्रदेश में वर्तमान में 18 अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 7 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक एवं 114 खेल स्टेडियम के अतिरिक्त 09 अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 05 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक तथा 56 खेल स्टेडियम शीघ्र ही उपलब्ध होंगे।

67. खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **"सी.एम. युवा-शक्ति"** योजना के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक सर्वसुलभ एवं सर्वसुविधा संपन्न स्टेडियम सुनिश्चित किया जायेगा। इस योजना हेतु रुपये 25 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

68. नवीन योजना **"परंपरागत खेलों को प्रोत्साहन"** अंतर्गत प्रदेश के परम्परागत खेल यथा कबड्डी, खो-खो, गिल्ली-डंडा, शतरंज, कुश्ती, तीरंदाज़ी, गदा, पिट्ठू, कंचे आदि की प्रतियोगिताओं का आयोजन समस्त विकासखंडों में भारत सरकार एवं एन.आई.एस. पटियाला के तत्वाधान में किया जावेगा।

कृषक कल्याण

69. महोदय, कृषि, अर्थव्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से जनता को खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती एवं किसानों को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है।

70. पिछला वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया था। हमारी सरकार ने इसे आगे बढ़ाते हुये "**मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन**" के माध्यम से "श्रीअन्न" के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए "**रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना**" लागू की है।

71. मध्यप्रदेश सरकार कृषकों की आय में वृद्धि करने हेतु कृतसंकल्पित है। वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अन्तर्गत सभी किसान परिवारों को रुपये 6 हज़ार प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, हमारी सरकार द्वारा भी कृषकों को राशि रुपये 6 हज़ार प्रतिवर्ष का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में इस वर्ष **रुपये 5 हज़ार 220 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है। नवीन योजना **"मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना"** के अंतर्गत परम्परागत रूप से एक या दो फ़सलें ले रहे किसानों को, फ़सल विविधीकरण में पारिस्थितिकीय संतुलन हेतु सहायक फ़सलें लेने पर, राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।

.. (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय -- बाला बच्चन जी, आपको बजट पर बोलने का समय मिलेगा. मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि जब बजट पर चर्चा हो तो आप अपनी बात रखिएगा.

72. कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन तथा कीट प्रबंधन जैसे विषयों पर **नवीन अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य** से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर तथा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के लिए कुल रुपये 40 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। "नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑइल एण्ड ऑइलसीड" में रुपये 183 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो गत वर्ष के प्रावधान की अपेक्षा **दो गुना से भी अधिक** है।

73. कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत बिल में दी जा रही राहत को निरन्तर रखा गया है, जिससे लगभग **37 लाख किसान** लाभान्वित हो रहे हैं। इस मद में **रुपये 19 हज़ार 208 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 2 करोड़ 42 लाख प्रकरणों में **रुपये 29 हज़ार 555 करोड़** का भुगतान किया जा चुका है। इस हेतु वर्ष 2025-26 में **रुपये 2 हज़ार करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है।

74. प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु कृषि पम्प विद्युत कनेक्शन की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उत्पादित सौर ऊर्जा का उपयोग करने पर विद्युत व्यय में कमी होगी, साथ ही अतिशेष सौर ऊर्जा को ग्रिड में स्थानान्तरित

करने से किसान **"अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता"** भी बनेंगे। इस हेतु नवीन योजना **"प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना"** प्रारंभ की गई है जिसमें वर्ष 2025-26 में **रुपये 447 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है।

75. प्रदेश के किसानों को फ़सलों के समर्थन मूल्य का लाभ उपलब्ध कराने हेतु रबी विपणन वर्ष 2024-25 में 6 लाख 13 हज़ार किसानों से 48 लाख 38 हज़ार मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर, **रुपये 11 हज़ार 6 सौ करोड़ का भुगतान,** किसानों के बैंक खातों में किया गया। इसके अतिरिक्त **रुपये 624 करोड़ 92 लाख का बोनस भुगतान** भी किया गया है।

76. खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 6 लाख 69 हज़ार किसानों से 43 लाख 52 हज़ार मेट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है, जिसकी राशि **रुपये 10 हज़ार 11 करोड़** का भुगतान किसानों के खातों में किया गया है। इसके अतिरिक्त, धान उपार्जन अंतर्गत किसानों को रुपये 4 हज़ार प्रति हेक्टेयर के मान से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। धान उपार्जन पर प्रोत्साहन हेतु **रुपये 850 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है।

77. प्रदेश में फल, फूल एवं सब्ज़ी के उत्पादन के लिए नवीनतम प्रणालियाँ तथा इन उत्पादों के बेहतर विपणन व मूल्य के लिए खाद्य प्रसंस्करण प्रोत्साहित किया जा रहा है। **"प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना"** के अंतर्गत 4 हज़ार 416 इकाईयों को लाभान्वित किया गया है।

.. (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय -- बाला बच्चन जी, आप सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया वित्त मंत्री जी को अपनी बात रखने दीजिए, आपको बजट पर बोलने का समय मिलेगा. मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा.

78. "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" योजना अंतर्गत कृषकों को प्रदत्त सिंचाई उपकरणों के माध्यम से पानी के अपव्यय को रोका गया है, साथ ही उत्पादन तथा उत्पादों की गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन में रुपये 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

79. प्रदेश की अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के हित में **"मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना"** प्रारम्भ की गई है, जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तथा संबद्ध दुग्ध संघों के संचालन एवं प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ अनुबंध की स्वीकृति दी गई है। इस अनुबंध से दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या तथा दुग्ध संकलन में वृद्धि होगी एवं प्रदेश का साँची ब्रांड मजबूत होगा। दुग्ध उत्पादकों को दूध के उत्पादन और संकलन को बढ़ाने के लिए दुग्ध संकलन पर 5 रुपये प्रति लीटर

की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इस हेतु "मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना" के अंतर्गत रुपये 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

80. मुझे यह बताते हुये गर्व है कि राष्ट्रव्यापी पशु कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में हमारे प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। सेक्स सॉर्टेड सीमेन प्रयोगशाला में 7 लाख 50 हज़ार डोज़ का उत्पादन किया गया है।

81. प्रदेश में वृहद स्तर पर स्वावलंबी गौशालाएँ स्थापित करने हेतु नीति तैयार की जा रही है। प्रदेश में संचालित लगभग 2 हज़ार 200 गौशालाओं में 3 लाख 45 हज़ार से अधिक गौवंश का पालन हो रहा है। गौशालाओं में पशु आहार के लिए प्रति गौवंश प्रतिदिन रुपये 20 को दोगुना कर रुपये 40 किया जा रहा है। **"गौ संवर्द्धन एवं पशुओं का संवर्द्धन योजना"** में रुपये 505 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

82. मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है तथा इस क्षेत्र में निजी भागीदारी भी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत 2 हज़ार 137 हेक्टेयर जलक्षेत्र की निजी भूमि में तालाब निर्माण, 175 बायोफ्लॉक पॉण्ड, मत्स्यबीज उत्पादन हेतु 32 हैचरी, 418 बायोफ्लॉक, 51 आइस प्लांट, 78 फिशफीड मिल स्थापित किए गए हैं। मत्स्य विपणन कार्य को सुगम बनाने हेतु मत्स्य पालकों को 46 इन्सुलेटेड वाहन, 1 हज़ार 881 मोटर साइकिल आइस बॉक्स सहित तथा 297 थ्री व्हीलर आइस बॉक्स सहित, प्रदान किए गए हैं।

83. मछली उत्पादन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने हेतु "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना" में रुपये 105 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। **"मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना"** में **रुपये 145 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है, जो गत वर्ष से रुपये 100 करोड़ अधिक है।

84. सहकारिता की सफलता, एकता की शक्ति तथा सामूहिक प्रयासों में निहित है। प्रदेश में कुल 4 हज़ार 500 प्राथमिक सहकारी समितियाँ क्रियाशील हैं। वर्ष 2024-25 में इन समितियों के माध्यम से लगभग 33 लाख किसानों को रुपये **19 हज़ार 895 करोड़** का अल्पकालीन ऋण शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध कराया गया है। **"सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान"** योजना हेतु रुपये 694 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

85. प्रदेश में अब तक तक कुल **69 लाख 63 हज़ार** किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गए हैं। प्रदेश के 5 लाख 34 हज़ार पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं। प्रदेश के मत्स्य पालकों को 1 लाख 10 हज़ार से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं। मत्स्य पालक कृषकों के 83 हज़ार 840 प्रकरण स्वीकृत कर रुपये **236 करोड़ 74 लाख** की साख सीमा स्वीकृत की गयी है।

86. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं का वर्ष 2011-12 से वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल मूल्य वर्द्धन (जी.वी.ए.) में योगदान 34 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है। मुझे बताते हुए गर्व है कि इसी अवधि में कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान **6 प्रतिशत से बढ़कर लगभग साढ़े बारह प्रतिशत** हो गया है।

87. बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिये **रुपये 58 हज़ार 257 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2024-25 के प्रावधान से **रुपये 13 हज़ार 409 करोड़ अधिक** है।

नारी कल्याण

88. **"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता"** के सूत्र वाक्य को हमारी सरकार ने प्रेरणा के रूप में लिया है। हमारी सरकार द्वारा नारी कल्याण से संबंधित प्रमुख योजनायें, जैसे गर्भधारण पर देखभाल, प्रसव पर आर्थिक सहायता, लाड़ली लक्ष्मी, शैशवकाल के लिए आँगनबाड़ियाँ, नि:शुल्क शिक्षा व अन्य शैक्षणिक सुविधायें, उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, जीविका उपार्जन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए स्व-रोज़गार एवं शासकीय सेवाओं में आरक्षण, विवाह तथा निकाह योजना, आवास योजनाओं का लाभ, स्थायी संपत्तियों के क्रय पर पंजीकरण शुल्क में विशेष छूट, लाड़ली बहना योजना तथा विभिन्न पेंशन योजनाएँ सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं।

89. वर्ष 2024-25 में "लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0" अन्तर्गत 2 लाख 43 हज़ार 396 बालिकाओं का पंजीकरण किया गया है। लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत प्रारंभ से अब तक **रुपये 12 हज़ार 932 करोड़** का निवेश किया जा चुका है। वर्तमान में लाड़ली बहना योजना में पंजीकृत महिलाओं की संख्या लगभग 1 करोड़ 27 लाख है। इस योजना के लिये **रुपये 18 हज़ार 669**

करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। "प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना" के अन्तर्गत अब तक लगभग **52 लाख से अधिक** माताऐं पंजीकृत की गई हैं। वर्ष 2024-25 में अब तक लगभग 5 लाख 75 हज़ार हितग्राहियों को रुपये 264 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

90. प्रदेश में संचालित 57 वन-स्टॉप सेंटर पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक सेवाएँ, जैसे- आश्रय, पुलिस सहायता, विधिक सहायता तथा चिकित्सा आदि उपलब्ध कराई जाती हैं। इस वर्ष लगभग 22 हज़ार महिलाओं को सहायता दी गई है।

91. महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पंचमढ़ी स्थित होटल अमलतास का संचालन महिलाओं को सौंपा है। गर्व की बात है कि यह देश का पहला होटल है, जिसका संचालन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जा रहा है।

92. "मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम" के तहत 14 लाख 64 हज़ार पंजीकृत गंभीर कुपोषित बच्चों में से लगभग 86 प्रतिशत बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हुआ है। प्रदेश में कुल 12 हज़ार 670 मिनी आँगनबाड़ियों को उन्नयित कर पूर्ण आँगनबाड़ियों में परिवर्तित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण-2.0 योजना के अंतर्गत 24 हज़ार 662 आँगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाडी केन्द्र के रूप में उन्नत किया जा रहा है। पोषण-2.0 योजना के लिये रुपये 223 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

93. स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग की ग्राम स्तरीय सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, प्रभावी अनुश्रवण एवं हितग्राहियों को एक ही स्थान से विभिन्न सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **"स्वास्थ्य एवं आंगनवाड़ी सेवाओं हेतु एकीकृत अधोसंरचना"** योजना प्रारम्भ की जा रही है। योजना अंतर्गत यथासंभव उप-स्वास्थ्य केंद्र एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों का संयुक्त भवन तैयार किया जाएगा।

94. प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के तहत प्रदेश के 20 ज़िलों में 217 आँगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2025-26 में आँगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 350 करोड़ का बजट

प्रावधान प्रस्तावित है। इसी प्रकार आँगनबाड़ी सेवाओं के लिए **रुपये 3 हज़ार 729 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है।

95. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, छात्राओं को साईकिलों का प्रदाय, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना सहित नारी शक्ति संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 2025-26 में **रुपये 26 हज़ार 797 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है।

अधोसंरचना विस्तार तथा संधारण

96. महोदय, मैंने अपने बजट भाषण के प्रारंभ में विकसित मध्यप्रदेश की लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक औद्योगिक निवेश तथा प्रदेश के समावेशी विकास के लिये प्रारंभ किये गए 4 मिशनों से अवगत कराया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सुदृढ़ अधोसंरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, अतः अब मैं प्रदेश में अधोसरंचना से संबंधित कार्यों एवं प्रस्तावों को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

97. वर्ष 2020-21 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भ पूंजीगत व्यय के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता योजना में हमारा प्रदेश अग्रणी प्रदेश रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश का कुल पूँजीगत परिव्यय रुपये 57 हज़ार 348 करोड़ था जो लगभग 13 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2024-25 में रुपये 64 हज़ार 738 करोड़ अनुमानित है, जिसे वर्ष 2025-26 में **31 प्रतिशत** बढ़ाकर **रुपये 85 हज़ार 76 करोड़** किया जाना प्रस्तावित है।

11.48 बजे

स्वागत उल्लेख

भारत सरकार के कृषि मंत्री एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का सदन में स्वागत एवं अभिनंदन.

मुख्यमंत्री (डॉ. मोहन यादव)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे भारत सरकार के यशस्वी कृषि मंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, श्रीमान् शिवराज सिंह जी चौहान दर्शक दीर्घा में मौजूद हैं. मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं.

(सदन में मेजों की थपथपाहट)

श्री जगदीश देवड़ा-- अध्यक्ष महोदय,

98. हमारी सरकार द्वारा जन-निजी भागीदारी के माध्यम से संस्थाओं के निर्माण के लिए नवीन योजना "**निजी-निवेश से संपति का निर्माण**" प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। निजी निवेश से शासकीय सम्पति एवं संस्थानों के संचालन हेतु योजना बनाई जा रही है, जिससे निजी क्षेत्र में अपनाये जा रहे बेहतर प्रबंधन मॉडल्स को शासकीय संस्थानों में भी लागू किया जा सकेगा। इस योजना के विचार क्षेत्र में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं और छात्रावासों आदि का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल आधारित संचालन किया जाना लक्षित है।

99. एक नवाचारी वित्तीय उपकरण के रूप में प्रदेश में **"सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड"** जारी किए जायेंगे, जिसमें सामाजिक सेवा प्रदाता, हितग्राहियों को सेवा

प्रदान करने के लिए रिस्क फंडर्स से धन जुटाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (**NSE**) का सोशल स्टॉक एक्सचेंज उक्त सम्पूर्ण कार्य को सम्पादित करने के लिए एक कॉमन प्लेटफार्म के रूप में कार्य करता है।

100. किसानों की आय वृद्धि के लिये पर्याप्त सिंचाई सुविधा आवश्यक है। प्रदेश में सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। नहरों के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे सिंचाई जल के वाष्पीकरण एवं अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण हो रहे जल अपव्यय को कम करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति एवं दाबयुक्त पाइपों के माध्यम से सिंचाई जल के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई सुविधा को **वर्ष 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर** किया जाएगा।

101. दो दशक पहले सिंचाई स्रोतों के अभाव में प्रदेश में "धरती सूखी, जनता भूखी" की स्थिति बनी रहती थी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर "मिले जल हमारा तुम्हारा" के प्रयासों से नदियों को जोड़कर सिंचाई क्षेत्र में ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। इन प्रयासों से नदियों को सदानीरा स्वरूप प्राप्त होगा।

102. प्रदेश में **रुपये 24 हज़ार 293 करोड़** की अनुमानित लागत की **केन-बेतवा लिंक परियोजना** एवं **रुपये 35 हज़ार करोड़** की अनुमानित लागत की **पार्वती-कालीसिंध-चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना** के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। ताप्ती नदी पर **ताप्ती बेसिन मेगा रीचार्ज योजना** के लिये महाराष्ट्र सरकार से सहमति हेतु वार्ता प्रचलित है।

103. वर्ष 2025-26 में 19 वृहद एवं मध्यम तथा 87 लघु सिंचाई परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं, जिनसे आगामी समय में 7 लाख 20 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा। सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिये वर्ष 2025-26 में **रुपये 17 हज़ार 863 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2024-25 से **24 प्रतिशत अधिक** है।

104. नागरिक सुविधाओं एवं औद्योगीकरण में वृद्धि के दृष्टिगत वित्त वर्ष 2024-25 में 3 हज़ार 750 किलोमीटर सड़क निर्माण तथा उन्नयन, 850 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण एवं 42 पुलों तथा रेल्वे ओवर ब्रिज के निर्माण पूर्ण किये गये हैं।

105. रेल्वे क्रॉसिंग पर यातायात बाधित होने से समय एवं ईंधन के अपव्यय को रोकने हेतु रेल्वे ओव्हर ब्रिज (आर.ओ.बी.) एवं रेल्वे अण्डर ब्रिज (आर.यू.बी) के निर्माण कार्य रेल्वे से समन्वय कर प्राथमिकता से कराये जा रहे हैं। प्रदेश में रुपये **4 हज़ार 251 करोड़** लागत के कुल 116 नवीन रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

106. रोड नेटवर्क, एक्सप्रेस-वे, मेट्रो, एलिवेटेड कॉरिडोर जैसी अनेक परियोजनाओं के साथ प्रदेश अधोसंरचना विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भोपाल, देवास, ग्वालियर, जबलपुर, सतना एवं इन्दौर में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं। उज्जैन-जावरा 4-लेन के निर्माण से उज्जैन, इन्दौर एवं आसपास के क्षेत्र, मुम्बई-दिल्ली 8-लेन कॉरिडोर से जुड़ जायेंगे। माननीय राष्ट्रपति जी के कर-कमलों से **रुपये 1 हज़ार 692 करोड़** की अनुमानित लागत के उज्जैन-इन्दौर 6-लेन मार्ग का भूमि पूजन हो चुका है।

107. प्रदेश में सड़क निर्माण में नवीन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से फुल डेप्थ रिक्लेमेशन पद्धति द्वारा ग्वालियर, गुना, दतिया ज़िलों में सड़कों का निर्माण प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ किया गया है। जेट पेचर, वेलोसिटी पेचर, इन्फ्रारेड, माइक्रोसरफेसिंग पद्धति से सड़कों की मरम्मत, व्हाइट-टॉपिंग तकनीक से सीमेन्ट काँक्रीट सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

108. प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में एक लाख किलोमीटर सड़क बनाई जाने का लक्ष्य है। इसी तरह प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में 500 रेल ओवर ब्रिज एवं फ्लाईओवर निर्मित किये जायेंगे। इस वर्ष **3 हज़ार 500 किलोमीटर नवीन सड़कें** तथा 70 पुल बनाए जाने का लक्ष्य है।

109. "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 1 हज़ार किलोमीटर सड़कों के निर्माण एवं लगभग 5 हज़ार 200 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण का लक्ष्य पूर्ण होगा। "मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना" के अंतर्गत अब तक 8 हज़ार 631 ग्रामों को, **19 हज़ार 472 किलोमीटर** लंबाई की सड़कें निर्मित कर, बारहमासी मार्ग से जोड़ा जा चुका है।

110. अनुभव में यह भी आया है कि कतिपय ग्राम पंचायतों में अभी भी कई बसाहटें ऐसी हैं, जिनमें मुख्य सड़क मार्ग से ग्राम पंचायतों में पहुँचने हेतु सड़क उपलब्ध नहीं है। अतः ग्रामवासियों को सुविधाजनक मार्ग उपलब्ध कराने

हेतु नवीन योजना **"मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना"** प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के लिये वर्ष 2025-26 में रुपये 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

111. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम चरण में निर्मित मार्गों के एकरेखण में पूर्व से निर्मित पुल-पुलिया-वेन्टेड कॉज़वे में से, कुछ संरचनाओं के क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा वर्षाकाल में जलमग्न हो जाने से बारहमासी सड़क संपर्क प्रभावित होता है, अतः एक नवीन योजना **"क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण योजना"** प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना के लिये वर्ष 2025-26 में रुपये 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

112. सड़कों एवं पुलों के निर्माण एवं संधारण के लिये वर्ष 2025-26 में **रुपये 16 हज़ार 436 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2024-25 से **34 प्रतिशत अधिक** है।

113. भारत सरकार द्वारा "जल जीवन मिशन" के माध्यम से पूरे देश में जल क्रान्ति का श्रीगणेश किया गया है। मुझे अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि इस मिशन के अन्तर्गत **रुपये 71 हज़ार करोड़** लागत की 27 हज़ार 990 एकल तथा 147 समूह नलजल योजनाओं के लिए प्रशासकीय स्वीकृतियाँ जारी की जा चुकी हैं।

114. माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार का मैं हृदय से आभारी हूँ कि जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए भारत सरकार की सहभागिता को वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस वर्ष जल जीवन मिशन के लिये **रुपये 17 हज़ार 135 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है।

115. प्रदेश के औद्योगीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये प्रदेश में ऊर्जा के उत्पादन व उपलब्धता को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। यह हमारी सरकार के प्रयासों के परिणाम ही हैं कि आज प्रदेश के सुदूर तथा दुर्गम स्थलों पर भी विद्युत की अबाध उपलब्धता है। प्रदेश में विद्युत उपलब्धता क्षमता 24 हज़ार 108 मेगावाट हो चुकी है। दिनांक 20 दिसम्बर 2024 को प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक 18 हज़ार 913 मेगावाट की आपूर्ति की गई। प्रदेश में पारेषण हानि मात्र 2.61 प्रतिशत रह गई है जो पूरे देश में न्यूनतम है।

116. निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए रिवेम्पड ड्रिस्टीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) योजना को वर्ष 2025-26 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

इस योजना के अन्तर्गत प्री पेड स्मार्ट मीटरिंग, वितरण हानि में कमी तथा विद्युत उपकेन्द्रों के सुदृढ़ीकरण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। विद्युत व्यवस्था अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2024-25 में 6 नए अति उच्च दाब उपकेन्द्र, 33/11 किलोवाट के 126 उपकेन्द्र, 862 सर्किट किलोमीटर की अति उच्च दाब लाइन, 6 हज़ार 120 किलोमीटर एच.टी. लाइन एवं 7 हज़ार 710 किलोमीटर वितरण लाइन के केबलीकरण के कार्य पूर्ण किए गए हैं।

117. प्रदेश ने नवकरणीय ऊर्जा की स्थापना क्षमता में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। विगत 12 वर्षों में नवकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई है। शाजापुर में 450 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। 278 मेगावाट क्षमता की ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना से विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश के मध्य 2 हज़ार मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। मुरैना में प्रदेश के प्रथम सोलर पावर स्टोरेज संयंत्र की स्थापना की जा रही है। प्रधानमंत्री जन-मन योजना के तहत प्रदेश के 2 हज़ार 60 आदिवासी बहुल ग्रामों को सौर ऊर्जीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

118. ऊर्जा क्षेत्र के लिए वर्ष 2025-26 में **रुपये 19 हज़ार करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है।

119. प्रदेश में वायु सेवा के माध्यम से यात्रा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है जिससे प्रदेश के शहरों तथा देश के महत्वपूर्ण शहरों के मध्य आवागमन शीघ्र तथा सुगम होगा। रीजनल कनेक्टिविटी योजना- उड़ान के अंतर्गत प्रदेश के छिंदवाड़ा, नीमच, शहडोल, शिवपुरी, खंडवा, मंडला, झाबुआ एवं उज्जैन हवाई पट्टियों का विकास प्रगतिरत है। दतिया हवाई पट्टी को विमानतल के रूप में विकसित किया गया है एवं शिवपुरी हवाई पट्टी को विमानतल के रूप में विकसित किया जायेगा। रीवा विमानतल, प्रदेश का छठवां वाणिज्यिक विमानतल बन गया है। ग्वालियर विमानतल को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जा चुका है। उज्जैन हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विस्तारित किये जाने की कार्यवाही प्रगतिरत है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री उमंग सिंघार)—अध्यक्ष महोदय, हवाई पट्टी पर कुत्ते घूम रहे हैं, गाय गोबर कर रही है. हवाई पट्टियां खाली पड़ी हैं. जल जीवन मिशन को लेकर इतना बड़ा घोटाला है. 40 हजार करोड़ रूपये का घोटाला, आदिवासी क्षेत्रों में पैसा नहीं, यहां पर असत्य आंकड़े गिनाये जा रहे हैं. बजट में असत्य आंकड़े गिनाये जा रहे हैं. इसमें कोई नया विजन नहीं है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय---कृपया शांति बनाये रखें. (व्यवधान)

12.01 बजे **बहिर्गमन**

नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सदन में बजट पर असत्य आंकड़े गिनाये जाने के विरोध में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण का सदन से बहिर्गमन

नेता प्रतिपक्ष(श्री उमंग सिंघार)—माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा असत्य आंकड़े गिनाये जानेके विरोध में हम सदन से बहिर्गमन करते हैं.

(नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार के नेतृत्व में सदन में बजट पर असत्य आंकड़े गिनाये जाने के विरोध में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया.)

120. पी.एम.श्री पर्यटन वायु सेवा एवं पी.एम.श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के माध्यम से प्रदेश के मुख्य शहरों एवं धार्मिक स्थलों के मध्य हवाई सम्पर्क स्थापित किया गया है।

नगरीय विकास

121. प्रदेश की विशिष्ट पहचान, नगरों में उपलब्ध अधोसंरचनाओं एवं सुविधाओं के आधार पर होती है। विगत वर्षों में प्रदेश के शहरों ने स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण, सड़क निर्माण, आधुनिक तकनीक के उपयोग एवं जनसुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है।

122. नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण, उद्यान, नगर वन एवं अन्य हरित संरचनाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण किया जा रहा है। नगरीय निकाय, अपने बेहतर प्रशासन एवं कार्यप्रणाली से नगरों की विशिष्टता, ऐतिहासिकता एवं सांस्कृतिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुये विकास कार्य कर रहे हैं।

123. तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण के दृष्टिगत बड़े शहरों का समेकित विकास मेट्रोपॉलिटन एरिया की तर्ज पर किया जाना लक्षित है। प्रदेश की खनन राजधानी कहे जाने वाले सिंगरौली को, खनन के साथ विकास के मद्देनज़र, **एक नए नगर के रूप में** विकसित किया जा रहा है जिससे लगभग 50 हज़ार नागरिकों को एक नवीन एवं सुव्यवस्थित नगर की सुविधाएँ मिल सकेंगी।

124. मुझे यह अवगत कराते हुये गर्व है कि हमारे प्रदेश को, देश में पी.एम. स्वनिधि योजना में प्रथम स्थान तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण-2023 में प्रदेश को जहां दूसरे स्वच्छतम राज्य का सम्मान प्राप्त हुआ वहीं इन्दौर को सातवीं बार स्वच्छतम शहर का सम्मान प्राप्त हुआ। भोपाल को देश की स्वच्छतम राजधानी होने का सम्मान प्राप्त हुआ है।

125. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत **8 लाख 30 हज़ार** आवास निर्मित हो चुके हैं। अगले 5 वर्षों में **10 लाख नए आवासों के निर्माण** का लक्ष्य है। अमृत 2.0 योजना के अन्तर्गत 1 लाख से अधिक आबादी वाले 33 शहरों में जल आपूर्ति तथा सीवर लाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा है।

126. नगरों के विकास के लिए त्वरित व सुलभ शहरी परिवहन आवश्यक है। प्रदेश के इंदौर एवं भोपाल में मेट्रो रेल का संचालन शीघ्र प्रारंभ होने के साथ-साथ अन्य प्रमुख शहरों में केबल कार का भी संचालन किया जाएगा। सुगम शहरी परिवहन के लिए आधुनिक और आरामदायक बसों का संचालन किया जा रहा है, साथ ही पी.एम. ई-बस योजनांतर्गत प्रमुख शहरों में पर्यावरण अनुकूल ई-बसों का संचालन किया जायेगा।

127. इस बजट में नगरीय क्षेत्रों में आवास हेतु लगभग **रुपये 1 हज़ार 700 करोड़,** नगरों की सड़क मरम्मत के लिए रुपये 408 करोड़ तथा मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास के लिए रुपये 295 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं। "नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एकमुश्त अनुदान" अंतर्गत वर्ष 2025-26 में **रुपये 1 हज़ार 617 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2024-25 से रुपये 506 करोड़ अधिक है।

सिंहस्थ महापर्व

128. 'सिंहस्थ' महापर्व न केवल मध्यप्रदेश के लिए अपितु सम्पूर्ण विश्व के लिए प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन है। सिंहस्थ-2028 महापर्व के अवसर पर देश-विदेश से करोड़ों की संख्या में धर्मप्रेमी जनता का, श्रद्धायात्रा पर पधारना संभावित है। आयोजन की विशालता व महत्ता के दृष्टिगत सम्पूर्ण सिंहस्थ क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के साथ-साथ श्रद्धालुओं के लिए सिंहस्थ को एक अविस्मरणीय अनुभव दिये जाने हेतु श्रेष्ठ जन-सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था आवश्यक है। मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रदेश के कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के सक्षम व कुशल नेतृत्व में, प्रदेश सरकार द्वारा सिंहस्थ क्षेत्र में सुनियोजित विकास कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। आयोजन वर्ष 2028 के पूर्व सभी कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस मद में लगभग **रुपये 2 हज़ार करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है।

129. नगरीय विकास के लिये वर्ष 2025-26 हेतु **रुपये 18 हज़ार 715 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2024-25 से लगभग **रुपये 2 हज़ार करोड़** अधिक है।

ग्रामीण विकास

130. हमारी सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार तथा श्रेष्ठ स्तर, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधायें, ग्रामीण सड़कों का विस्तार, हर घर जल का लक्ष्य, रोज़गार के अवसर और आवास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दृढ़संकल्पित है।

131. मुझे यह अवगत कराते हुये प्रसन्नता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत स्व-सहायता समूहों को ऑन-लाईन पोर्टल के माध्यम से बैंक ऋण स्वीकृत कराने में हमारा प्रदेश वर्ष 2020-21 से लगातार देश में प्रथम स्थान पर है। "नमो ड्रोन दीदी योजना" अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाएँ ड्रोन पायलट के रूप में अन्य महिलाओं को भी प्रोत्साहित कर रही हैं।

132. "**जल गंगा संवर्धन अभियान**" अंतर्गत जल संरचनाओं, घाटों एवं धार्मिक स्थलों की साफ़-सफ़ाई एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है। इस अभियान में जनता की उत्साहपूर्ण व सकारात्मक भागीदारी से बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं।

133. समृद्ध व्यक्ति एवं परिवार के साथ ही समृद्ध ग्राम की संकल्पना के तहत **"मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना"** प्रारम्भ की जा रही है। **पशुधन से समृद्धि** के तत्व को समाहित करते हुए इसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर पशुपालन, मछलीपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जायेगा। इस हेतु बजट में रुपये 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

134. पंचायतों को सर्वांगीण विकास में सहायता देने के उद्देश्य से मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान में **रुपये 2 हज़ार 507 करोड़** की वृद्धि करते हुए इस वर्ष **रुपये 6 हज़ार 7 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है। इसी क्रम में पंचायतों का वित्तीय सामर्थ्य बढ़ाने की दृष्टि से ग्राम स्वराज अभियान में कुल रुपये 238 करोड़ तथा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली अनुदान में **रुपये 2 हज़ार 41 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है।

135. ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं यथा- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए **रुपये 4 हज़ार 400 करोड़,** महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के लिए **रुपये 4 हज़ार 50 करोड़,** प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) के लिए रुपये 1 हज़ार 100 करोड़, प्रधानमंत्री जनमन योजना (सड़क) के लिए रुपये 1 हज़ार 56 करोड़, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए रुपये 960 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए रुपये 800 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए रुपये 594 करोड़ तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए रुपये 274 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिये वर्ष 2025-26 में **रुपये 19 हज़ार 50 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है।

स्वास्थ्य सेवायें

136. हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने की दिशा में निरन्तर कार्य कर रही है। प्रदेश के 52 ज़िला चिकित्सालय, 161 सिविल चिकित्सालय, 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1 हज़ार 442 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 10 हज़ार 256 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 47 हज़ार 167 बिस्तर उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त 539 शहरी स्वास्थ्य संस्थायें भी कार्यरत हैं। इस वर्ष पचोर, अमझेरा, सिंगरौली एवं महेश्वर में नवीन चिकित्सालय, 34 नवीन स्थलों पर 50 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा रीवा ज़िला चिकित्सालय में 100 बिस्तरीय वार्ड का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है। उच्च जोखिम वाले दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत गर्भवती महिलाओं हेतु स्वास्थ्य संस्थाओं में 249 बर्थ वेटिंग रूम स्थापित किए गए हैं।

137. प्रदेश में 17 चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस पाठ्यक्रम के लिए 2 हज़ार 575 सीट्स एवं स्नातकोत्तर के लिए 1 हज़ार 337 सीट्स हैं। इस वित्तीय वर्ष में नीमच, मंदसौर एवं सिवनी में नवीन शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस. की 400 तथा स्नातकोत्तर की 252 सीट्स बढ़ाई गई हैं। प्रदेश में जन-निजी भागीदारी के आधार पर नवीन चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

138. प्रदेश में लगभग 1 हज़ार संजीवनी एम्बुलेन्स तथा 1 हज़ार 59 जननी एम्बुलेन्स संचालित हैं। इन एम्बुलेन्स के माध्यम से लगभग **22 लाख नागरिकों को सेवायें** उपलब्ध कराई गई हैं। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्य योजना अंतर्गत आवश्यक उपचार तथा जन जागरूकता के कार्य किए जा रहे हैं।

139. मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि नवीन योजना **"सी.एम. केयर योजना"** के अन्तर्गत गंभीर बीमारियों से पीड़ित नागरिकों को निकटतम चिकित्सा संस्थानों में कैथ लैब तथा कैंसर उपचार सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी। प्रदेश में अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक अनुकूल वातावरण बनाने के प्रयास किए जायेंगे।

140. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान) में **4 करोड़ 26 लाख** से अधिक कार्ड जारी किए गए हैं। इस योजनान्तर्गत 497 शासकीय चिकित्सालय एवं 587 निजी चिकित्सालय सम्बद्ध हैं। आयुष्मान योजना के लिए वर्ष 2025-26 हेतु **रुपये 2 हज़ार 39 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है।

141. प्रदेश में गम्भीर रोगियों को आपात स्थिति में उचित समय पर उच्च स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने हेतु **"पी.एम.श्री एयर एम्बुलेंस सेवा"** प्रारंभ की गई है। इस सुविधा का लाभ प्रदेश के हर क्षेत्र को मिले, इस हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित खेल स्टेडियम का उपयोग हैलीपेड के लिए भी किया जायेगा।

142. स्वस्थ जीवनचर्या में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की महती भूमिका है। प्रदेश में **11 नवीन आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालयों** की स्थापना की जानी है। प्रदेश में पन्ना, गुना, भिण्ड, श्योपुर तथा शुजालपुर में 50 बिस्तरीय आयुर्वेदिक अस्पताल, बड़वानी में 30 बिस्तरीय अस्पताल, बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम एवं मुरैना में आयुष महाविद्यालयों तथा 4 ज़िला आयुष कार्यालयों के भवन निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं। प्रदेश में संचालित आयुष संस्थाओं एवं शिविरों के माध्यम से एक वर्ष में लगभग 1 करोड़ 40 लाख नागरिकों को उपचार दिया गया है।

143. प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल बजट प्रावधान **रुपये 23 हज़ार 535 करोड़** प्रस्तावित है जो गत वर्ष की तुलना में **रुपये 2 हज़ार 992 करोड़** अधिक है।

पर्यटन एवं संस्कृति

144. देश का हृदय प्रदेश- मध्यप्रदेश, पर्यटन के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बना चुका है। राज्य में पर्यटन के विकास की दिशा में किए गए प्रयासों से न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है, बल्कि रोज़गार के अवसर भी सृजित हुए हैं।

145. प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के 14 स्मारकों का निर्माण लगभग रुपये 507 करोड़ की लागत से किया जा रहा है।

146. विश्व के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, ओंकारेश्वर में उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर ओंकारेश्वर महालोक का निर्माण किया जाएगा। अद्वैत वेदान्त दर्शन के प्रणेता आचार्य शंकर के जीवन दर्शन के प्रसार के उद्देश्य से संग्रहालय एवं "आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदान्त संस्थान" को विकसित किया जा रहा है।

147. हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि मध्यप्रदेश में जहाँ-जहाँ भगवान श्रीकृष्ण के चरण पड़े, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जायेगा। इस हेतु **श्रीकृष्ण पाथेय योजना** के लिये रुपये 10 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसी प्रकार **राम पथ गमन योजना** में प्रभु श्री राम के वनगमन पथ अंचल का विकास तथा धार्मिक नगरी चित्रकूट का समग्र विकास किया जाएगा। इस योजना के लिये रुपये 30 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

148. वर्तमान समय में धार्मिक ग्रंथों, साहित्य, वैज्ञानिक अनुसंधानों के सुलभ अध्ययन को प्रोत्साहित करने और जनसाधारण में अध्ययन में घटती रुचि के परिष्कार के उद्देश्य से, प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में सर्वसुविधायुक्त वैचारिक अध्ययन केन्द्र के रूप में "गीता भवन" बनाये जाएँगे। इनमें पुस्तकालय, ई-लायब्रेरी, सभागार तथा साहित्य-सामग्री बिक्री केन्द्र भी होंगे। इस योजना के लिये रुपये 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

149. प्रदेश अपने वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा का पुण्य लाभ प्रदान करने में सहभागी है। इस हेतु रुपये 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इस योजना में, प्रारंभ से अब तक 8 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं। इस योजना के तहत दिव्यांग नागरिकों को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है।

150. पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व के क्षेत्र में **रुपये 1 हज़ार 610 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि गत वर्ष से रुपये 133 करोड़ अधिक है।

सुशासन

151. प्रदेश के गतिशील आर्थिक विकास तथा समृद्धि के लिये सुस्थिर कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण कारक है। इस लक्ष्य के साथ हमारा पुलिस बल पूरे समर्पण व प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। पुलिस बल में उत्साह, ऊर्जा एवं मनोबल बनाये रखने के लिए हमारी सरकार कार्मिकों

के साथ उनके परिवारजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्य कर रही है।

152. पुलिस बल के लिए लक्षित 25 हज़ार आवासों में से 10 हज़ार 352 आवास निर्मित हो चुके हैं। प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर 24 नवीन प्रशासकीय भवन निर्माणाधीन हैं। भोपाल में 50 बिस्तरीय नवनिर्मित सर्वसुविधायुक्त पुलिस चिकित्सालय में उपचार प्रारंभ हो चुका है।

153. त्वरित आपातकालीन पुलिस सहायता के लिए डायल-100 योजना के वाहनों में आधुनिक तकनीकों एवं उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। सहायता के लिए संदेश प्राप्त होने के लगभग औसतन 18 मिनिट की अवधि में वाहन घटना स्थल पर पहुँच रहे हैं। प्रदेश के 60 शहरों में लगभग 2 हज़ार महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित सी.सी.टी.वी. प्रणाली से गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश एवं यातायात प्रबंधन आदि में सहयोग मिल रहा है।

154. सायबर अपराधों को रोकने एवं अन्वेषण के लिए पुलिस को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित एवं प्रशिक्षित किया जा रहा है। **पुलिस बल के आधुनिकीकरण** हेतु केंद्रीय क्षेत्रीय योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना अंतर्गत पुलिस बल को वाहन सुविधा एवं अन्य तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।

155. गृह विभाग के लिए वर्ष 2025-26 हेतु **रुपये 12 हज़ार 876 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान से लगभग रुपये 1 **हज़ार 585 करोड़** अधिक है।

156. केंद्र प्रवर्तित "गरीब बंदी सहायता योजना" के क्रियान्वयन में प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। बंदियों के कौशल विकास एवं रोज़गार हेतु प्रदेश की उज्जैन, बैतूल एवं धार जेलों में आई.टी.आई. संचालित हैं।

157. जेलों की बेहतर अधोसंरचना के लिए 4 नवीन जेलों का निर्माण तथा नवीन बैरक निर्माण कर क्षमता वृद्धि के कार्य किए जा रहे हैं। बंदियों के भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बेहतर प्रावधान किए जा रहे हैं। जेल विभाग हेतु रुपये 794 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

158. वर्ष 2024-25 में अब तक सम्पन्न 3 राजस्व महाअभियानों में **1 करोड़** से भी अधिक नामांतरण, बँटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती आदि राजस्व प्रकरणों का निराकरण हुआ है। अगस्त 2024 से प्रारम्भ साइबर तहसील 2.0

के माध्यम से अब तक 90 हज़ार से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

159. फार्मर आई-डी रजिस्ट्री योजना में **61 लाख** से अधिक फार्मर आई-डी बना कर मध्यप्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। हमें विश्वास है कि स्वामित्व योजना की सफलता उपरांत भारत सरकार की नवीन नक्शा योजना में भी प्रदेश उच्च स्थान पर रहेगा।

160. समस्त शासकीय वाहनों को 15 वर्ष की आयु के उपरांत पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फेसिलिटी (RVSF) के माध्यम से स्क्रैप कराया जाना अनिवार्य किया गया है। निजी वाहनों को भी इन रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्रों के माध्यम से सुव्यवस्थित रूप से स्क्रैप कराया जा सकेगा। आम-जन द्वारा वाहन स्क्रैप कराने को प्रोत्साहित करने हेतु नवीन वाहन क्रय करने पर मोटरयान कर में परिवहन वाहन हेतु 15 प्रतिशत तथा गैर परिवहन वाहन हेतु 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

161. नवीन प्रस्तावित **"मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा"** के अंतर्गत ग्रामीण नागरिकों को सस्ता एवं सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा। परिवहन के संसाधन, अधोसंरचना एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास का लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत चिह्नित किया गया है। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और गतिशील मध्यप्रदेश का स्वप्न साकार करेगी। इस हेतु रुपये 80 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

प्राकृतिक संसाधन

162. हमारा प्रदेश वन एवं वन्य प्राणियों की विविधता के लिए देश-विदेश में विशिष्ट पहचान रखता है। प्रदेश के वन क्षेत्र, इमारती लकड़ी के अतिरिक्त बाँस, लघु वनोपज, औषधीय पौधों तथा वन्य जीवों से परिपूर्ण हैं।

163. राज्य द्वारा वन्यजीव संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश में वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल लगभग 11 हज़ार 200 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान एवं 24 वन्यप्राणी अभयारण्य हैं। वन्य प्राणी संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय उद्यान तथा बफर क्षेत्रों में वन्य जीव, वन्य प्राणी मानव संघर्ष को रोकने हेतु लगभग 3 हज़ार किलोमीटर वन सीमा में फेन्सिंग कार्य किया जायेगा।

164. प्रदेश में स्थित **09 टाइगर रिज़र्व** के बफर क्षेत्रों में स्थित ग्रामों का प्रबंधन, प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए बनाई गई प्रबंध योजनाओं के आधार पर किया जाता है। इन योजनाओं में मुख्यतः परिस्थितिकीय विकास, कौशल उन्नयन कार्य, हैबीटेट सुधार, अग्नि सुरक्षा, वन सुरक्षा, जल स्रोतों का विकास, संरचनाओं का निर्माण एवं उनका रखरखाव आदि कार्य किए जाते हैं। इसके साथ ही वन्य प्राणियों को उनकी जीवनशैली अनुसार वातावरण एवं उचित देखभाल के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चिड़ियाघर तथा बचाव केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

165. धार ज़िले में "**डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान**" तथा डिंडोरी ज़िले के **"घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान"** का पुनर्नवीकरण कर महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किये जायेंगे। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि तकनीकी सहयोग से वनों के विषय में जागरुकता बढ़ाने, वानिकी गतिविधियों का विस्तार, वन्य जीवों के संरक्षण और वनाश्रित जन समुदाय की लघु वनोपज आधारित आजीविका सम्वर्द्धन हेतु **वन विज्ञान केन्द्र** की स्थापना की जायेगी।

166. प्रदेश की जीवन रेखा माँ नर्मदा के तटों के 10 किलोमीटर तक वन भूमि में पर्यावरण संरक्षण हेतु "**अविरल निर्मल नर्मदा योजना**" प्रस्तावित है। योजना अन्तर्गत, वन भूमि में पौधा रोपण द्वारा जलवायु प्रबंधन के संभावित खतरों पर नियंत्रण तथा प्रकृति का मूल वैभव पुनर्स्थापित किया जाएगा। नर्मदा परिक्रमा पथ पर धर्मार्थियों हेतु सुविधाओं का विकास किया जाएगा तथा नर्मदा के निकटवर्ती कृषि क्षेत्रों में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा।

167. वन एवं पर्यावरण क्षेत्र के लिए **रुपए 5 हज़ार 668 करोड़** का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि गत वर्ष की तुलना में रुपए 459 करोड़ अधिक है।

168. प्रदेश में कोयला, चूना पत्थर, ताँबा, मैगनीज़, लौह, बॉक्साईट एवं रॉक फास्फेट आदि प्रमुख अयस्कों तथा खनिजों का खनन किया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में ताम्र अयस्क एवं मैगनीज़ के उत्पादन में प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। रॉक फॉस्फेट एवं चूना पत्थर में प्रदेश का दूसरा एवं कोयला उत्पादन में चौथा स्थान है। लौह अयस्क एवं बॉक्साईट के उत्पादन में प्रदेश का स्थान छठवाँ है।

169. खनिजों के संरक्षण, अन्वेषण व विधिमान्य नियमों के अंतर्गत खनिजों के दोहन पर सतत निगरानी रखी जा रही है। इससे प्रदेश की आय में वृद्धि तथा नए खनिज संपदा की खोज का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। वर्तमान में प्रदेश में लाईमस्टोन, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, कॉपर, वेनेडियम, टंग्स्टन, गोल्ड आदि के 32 अन्वेषण कार्य किए जा रहे हैं ।

शासकीय कार्यप्रणाली में नवाचार व सुधार

170. हमारी सरकार पारदर्शी, उत्तरदायी एवं तत्पर कार्य प्रणाली की सरकार है। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत प्रदेश के समस्त शासकीय सेवकों के प्रशिक्षण हेतु विभागों द्वारा योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जा रहा है।

171. शासकीय सेवा के एन.पी.एस. अभिदाताओं को, उनके अंशदान निवेश विकल्प को विस्तारित किया जाकर पेंशन फण्ड मैनेजर के चयन की अधिकारिता उपलब्ध कराई गई है। भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2025 से वैकल्पिक रूप से प्रारंभ की जा रही यूनीफाइड पेंशन योजना को प्रदेश में लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।

172. सेवानिवृत्त होने पर पेंशन निर्धारण की ऑनलाइन प्रणाली के अन्तर्गत पेपरलेस व्यवस्था लागू है। वर्तमान पेंशन निर्धारण प्रक्रिया को केन्द्रीकृत तथा फेसलेस किया जाएगा, जिससे प्रदेश के किसी भी स्थान अथवा कार्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारी के पेंशन निर्धारण की कार्यवाही केन्द्रीकृत कार्यालय में पदस्थ किसी भी अधिकारी द्वारा संपादित हो सकेगी।

173. शासकीय सेवकों के लिए लागू होने वाले विभिन्न सेवा एवं वित्तीय नियम बहुत पुराने होने से, उनके अनुप्रयोग में होने वाली कठिनाई एवं वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप उनके अद्यतनीकरण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है।

174. हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि शासकीय सेवकों को वर्तमान में देय भत्तों का पुनरीक्षण, 01 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के सुसंगत स्तरों के अनुसार किया जाएगा।

175. माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों का आभार व

धन्यवाद करना चाहूँगा कि शासन के सभी कार्यक्रमों एवं योजनाओं में उनका सराहनीय योगदान सदैव प्राप्त होता है। यह हमारी सरकार एवं कार्मिकों के मध्य विश्वास एवं समन्वय का अप्रतिम उदाहरण है।

176. मुझे विश्वास है कि, हम सभी मिलकर, हमारे प्रदेश को ऐसा आदर्श प्रदेश बनायेंगे जो अन्य प्रदेशों के लिए प्रेरणादायक हो, आकर्षण का केन्द्र हो एवं जो हमारे प्रदेश की योजनायें व उनके सफल क्रियान्वयन की प्रक्रिया को जानने की उत्सुकता पैदा करे।

कर-प्रस्ताव

177. गत वर्ष के बजट की तरह इस बजट में भी कोई नवीन कर अधिरोपित करने अथवा किसी भी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है।

पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2024-25

178. वित्त वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियाँ रुपये 2 लाख 62 हज़ार 9 करोड़ तथा राजस्व व्यय रुपये 2 लाख 60 हज़ार 983 करोड़ अनुमानित हैं। राजस्व आधिक्य का पुनरीक्षित अनुमान रुपये 1 हज़ार 26 करोड़ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के हम आभारी हैं कि केन्द्रीय करों से हिस्से के रुप में बजट अनुमान की तुलना में रुपये 5 हज़ार 267 करोड़ की राशि अधिक प्राप्त हुई।

179. राजकोषीय घाटे का पुनरीक्षित अनुमान रुपए 62 हज़ार 434 करोड़ है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.15 प्रतिशत है, जिसमें भारत सरकार द्वारा पूँजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना में प्रदत्त ऋण तथा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 की अनुपयोगित ऋण राशि शामिल है।

बजट अनुमान वर्ष 2025-26

राजस्व प्राप्तियां

180. वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान **रुपए 2 लाख 90 हज़ार 879 करोड़** है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य करों से प्राप्तियाँ, रुपए 1 लाख 9 हज़ार 157 करोड़ तथा केन्द्रीय करों में प्रदेश के हिस्से के अंतर्गत प्राप्तियाँ, रुपए 1 लाख 11 हज़ार 662 करोड़ अनुमानित हैं। कर भिन्न

राजस्व प्राप्तियाँ, रुपए 21 हज़ार 399 करोड़ तथा केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान अंतर्गत प्राप्तियाँ, रुपए 48 हज़ार 661 करोड़ अनुमानित हैं।

181. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व में, वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 6.4 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है।

182. राजस्व प्राप्तियों का वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान रुपए 2 लाख 63 हज़ार 344 करोड़ रहा है, जिसमें रुपए 27 हज़ार 535 करोड़ की वृद्धि कर वर्ष 2025-26 के लिये रुपए 2 लाख 90 हज़ार 879 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

कुल व्यय

183. वर्ष 2025-26 के लिये कुल विनियोग की राशि रुपए **4 लाख 21 हज़ार 32 करोड़**, राजस्व व्यय **रुपए 2 लाख 90 हज़ार 261 करोड़** तथा पूंजीगत परिव्यय **रुपए 85 हज़ार 76 करोड़** प्रस्तावित है। सामाजिक, आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिये वर्ष 2025-26 के लिये समग्र रूप से बजट अनुमान रुपए 2 लाख 01 हज़ार 282 करोड़ है। **मुख्य शीर्षवार बजट अनुमान खण्ड-1 में उपलब्ध है।**

184. वर्ष 2024-25 का कुल व्यय बजट अनुमान रुपए 3 लाख 26 हज़ार 383 करोड़ का है, जिसमें रुपए 48 हज़ार 954 करोड़ की वृद्धि कर वर्ष 2025-26 के लिये रुपए 3 लाख 75 हज़ार 337 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

शुद्ध लेन-देन

185. शुद्ध लेन-देन के लिये वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान रुपए 3 हज़ार 810 करोड़ का है। वर्ष 2025-26 की कुल प्राप्तियां रुपए 3 लाख 75 हज़ार 340 करोड़ तथा कुल व्यय रुपए 3 लाख 75 हज़ार 337 करोड़ अनुमानित होने से वर्ष 2025-26 का शुद्ध लेन-देन रुपये 2 करोड़ 96 लाख अनुमानित है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय -- आप लोग बैठ जाएं. आप लोगों को बोलने का मौका मिलेगा. अभी वित्त मंत्री जी बोल रहे हैं.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय -- वित्त मंत्री जी के भाषण के अलावा कुछ रिकार्ड में नहीं आएगा.

श्री ओमकार सिंह मरकाम -- (XXX)

श्री बाला बच्चन -- (XXX)

(व्यवधान)

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय -- माननीय सदस्यों मेरा आपसे कहना है आप बैठ जाएं, आपको बजट पर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा.

श्री सोहनलाल बाल्मीक -- (XXX)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय -- यह तरीका ठीक नहीं है. इसको उचित नहीं कहा जा सकता है. आपको बजट पर बोलने का अवसर मिलेगा उस समय अपनी बात रखिएगा. वित्त मंत्री जी आप भाषण जारी रखें.

(व्यवधान)

राजकोषीय स्थिति

186. राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की 3 प्रतिशत है। भारत सरकार द्वारा पूँजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना में वर्ष 2025-26 के लिये रुपये 11 हज़ार करोड़ दीर्घकालिक ब्याज रहित ऋण सहायता (राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 0.65 प्रतिशत) प्राप्त होने का अनुमान है, जो राज़कोषीय घाटे की सीमा से पृथक है। साथ ही भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 में राज्य द्वारा अनुपयोगित ऋण सीमा (राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 1.01 प्रतिशत), जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा के अतिरिक्त है, का उपयोग वित्त वर्ष 2025-26 में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त को ध्यान में रखकर यह बजट अनुमान तैयार किया गया है।

187. वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा रुपए 78 हज़ार 902 करोड़ अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.66 प्रतिशत है। वर्ष 2025-26 में रुपये 618 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित है।

188. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए राज्यों के **राजकोषीय सुधार विषयक प्रतिवेदन** में मध्यप्रदेश को **सर्वश्रेष्ठ-A** रेटिंग दी गई है। इसी प्रतिवेदन में मध्यप्रदेश के द्वारा विकास एवं सामाजिक क्षेत्र में किया गया व्यय तथा व्यय की गुणवत्ता के मानकों में राष्ट्रीय औसत से अधिक होना, उल्लेखित किया गया है। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा राज्यों के **फिस्कल हेल्थ इंडेक्स** संबंधी प्रतिवेदन में, बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से, मध्यप्रदेश राज्य, **देश में प्रथम स्थान** पर है।

189. मैं बजट भाषण का समापन इस भावना के साथ करना चाहूँगा कि हमारा प्रदेश देश के मध्य में है, इसलिए सबका है, हृदय भाग में है, इसलिए सबके लिए है। आज प्रस्तुत बजट प्रस्ताव, प्रदेश को विकास का स्वर्ण मुकुट पहनाकर आकाश छूने की समृद्ध कामना रखता है। यह बजट हमारे दिव्य प्रदेश को प्रणाम भर है।

190. महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रि-परिषद के साथियों, माननीय विधायकों, उद्योग व व्यवसाय जगत के महानुभावों एवं अर्थशास्त्रियों का आभारी हूँ, जिनके परामर्श से बजट को सर्व हितकारी स्वरूप दिया जा सका

है। मैं वित्त विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने अथक परिश्रम व प्रतिबद्धता से बजट को तैयार करने में सहयोग किया है।

191. माननीय महोदय, मैं हमारी सरकार के बजट प्रस्ताव को इन शुभ भावों के साथ सदन को सौंप रहा हूँ:-

आँकड़े नहीं, विश्वास लिखा है,
हमने अब आकाश लिखा है।

जय हिन्द, जय मध्यप्रदेश

12.35 बजे **वर्ष 2025-2026 के आय व्ययक का उपस्थापन**

उप मुख्यमंत्री (वित्त) (श्री जगदीश देवड़ा) -- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक के उपस्थापन के साथ-साथ मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत यथा-अपेक्षित राजकोषीय नीति का विवरण वर्ष 2025-2026 सदन के समक्ष रखता हूं.

12.36 **स्वागत उल्लेख**

केन्दीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का सदन में स्वागत

अध्यक्ष महोदय-- आज दीर्घा में केन्द्र सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी उपस्थित हैं. सदन की ओर से उनका स्वागत है.

अध्यक्ष महोदय:- मैं, आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए दिनांक 13 एवं 17 मार्च, 2025 नियत करता हूं

आय व्ययक में सम्मिलित मांगों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में आज दिनांक 12 मार्च, 2025 को सायंकाल 4.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती हैं.

विधान सभा की कार्यवाही अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित.

(12.37 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

03.06 बजे

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.}

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय)- अध्यक्ष महोदय, सुबह आपकी जैकेट का कलर अलग था, अभी अलग है. संभवत: सुबह वाली जैकेट बजट के लिए थी.

नेता प्रतिपक्ष (श्री उमंग सिंघार)- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आज चूंकि मेरा एक प्रश्न, तीसरे क्रमांक पर था, वह आज बजट के कारण सदन में नहीं आ पाया, वह प्रश्न परिवहन घोटाले को लेकर था और हमारे दल की ओर से, इस संबंध में हमने स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें पूर्व में दी हैं. मैं, चाहता हूं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, आप कृपया इस पर व्यवस्था देने का कष्ट करें.

अध्यक्ष महोदय- इस विषय पर हमारी बात हुई है, इसे बजट पर चर्चा के बाद विचार में लिया जायेगा.

श्री उमंग सिंघार- धन्यवाद.

03.07 बजे

अध्यक्षीय घोषणा

राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा विषयक

अध्यक्ष महोदय- कार्य मंत्रणा समिति में सहमति अनुसार माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर, आज चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब

के पश्चात् पूर्ण होना नियत थी परंतु इस चर्चा में दोनों पक्षों के कतिपय सदस्य भाग लेने से रह गये हैं.

अत: आज पहले दोनों पक्षों के शेष सदस्यों द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया जायेगा. तदुपरांत कल पूर्वाह्न में माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब के साथ इस चर्चा का समापन किया जायेगा.

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है.

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.)

03.08 बजे

राज्यपाल के अभिभाषण पर श्रीमती अर्चना चिटनीस सदस्य द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

अध्यक्ष महोदय- अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनर्ग्रहण होगा.

श्री भूपेन्द्र सिंह (खुरई)- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सरकार का भी अभिनंदन करता हूं जो महामहिम का अभिभाषण रहा, अध्यक्ष महोदय आपका तो बहुत लंबा राजनैतिक अनुभव है, देश के सबसे बड़े सदन में लंबे समय का आपका अनुभव है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण होता है, वह सरकार के कार्यक्रम, नीतियां, जनकल्याण को लेकर महामहिम का अभिभाषण होता है. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजनीति में दो तरह की चीजें मानता हूँ. एक राजनीतिक होते हैं और एक राजनेता होते हैं, इसी तरह से राजनीतिक पार्टियां होती हैं और राजधर्म निभाने वाली पार्टियां भी होती हैं. जो राजनीतिक पार्टी होती है, उसके दिमाग में हमेशा चुनाव कैसे

जीता जाये ? इस गणित को लेकर वह काम करती है और हमारे देश का यह दुर्भाग्य रहा है कि 50-60 वर्ष तक जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर राज किया, वह पूरी तरह से राजनीतिक पार्टी थी और उसके दिमाग में हमेशा सिर्फ चुनाव कैसे जीता जाये, यह इनका लक्ष्य होता था. चुनाव जीतने के जो हथकंडे होते हैं, वह सारे हथकंडे वह अपनाते थे. इसी का परिणाम यह हुआ कि देश लगातार पिछड़ता गया.

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक वह पार्टी होती है, जो राजधर्म निभाती है और इस देश के अन्दर राजधर्म निभाने वाली यदि कोई पार्टी है, तो वह भारतीय जनता पार्टी है. (मेजों की थपथपाहट) जो राजधर्म निभाती है. राजधर्म का मतलब होता है कि राज्य के हितों के लिए सोचना, राज्य की जनता के लिए सोचना एवं सेवा का संकल्प होना, यह राजधर्म होता है और इसीलिये उस राजधर्म का ही परिणाम है कि आज पूरे देश के अन्दर कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया है और राजधर्म पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी को आज पूरे देश की 70 प्रतिशत जनता ने स्वीकार किया है, यह राजधर्म का परिणाम है. (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम विकास की बात करते हैं, तो चूंकि यह विषय हमारे सभी माननीय सदस्यों द्वारा सदन में लाया जा चुका है, मैं तो बहुत बाद में बोल रहा हूँ. अगली बार अगर माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का आशीर्वाद मिला, तो पहली बार बोलने का मौका मिलेगा, तो उसमें ज्यादा समय मिल जायेगा.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) - माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी सभी सदस्यों का समय भी इनको दिया जाता है. आप इनको बोलने दीजिये.

श्री भूपेन्द्र सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और मैं उनका फैन भी हूँ. वह मानते हैं कि नहीं मानते, मुझे नहीं पता है, पर मैं उनका फैन हूँ.

श्री कैलाश विजयवर्गीय - आप फैन हो और मैं आपका एसी हूँ.

श्री भूपेन्द्र सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फैन इस मामले में हूँ कि मुझे आपके और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ काम करते हुए लगभग 40 वर्ष हो गए हैं पर कैलाश जी में जो सबसे बड़ा गुण है, वह कार्यकर्ता की जितनी चिन्ता करते हैं, उतनी चिन्ता करते हुए मैंने बहुत कम लोगों को देखा है (मेजों की थपथपाहट). इसके लिए मैं उनका हमेशा फैन रहता हूँ, वह मेरे हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर माननीय उनका स्नेह मेरे लिए हमेशा रहा है.

अध्यक्ष महोदय - एकतरफा का भी महत्व होता है. (हंसी)

श्री भूपेन्द्र सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य के विकास का जो मापदण्ड होता है, वह उस राज्य के विकास की जो दर होती है, वह उस राज्य के विकास का मापदण्ड होता है. जब हम राज्य के विकास के मापदण्ड की बात करते हैं. हमें कोई आंकड़े गिनवाने की या योजनाएं गिनवाने की आवश्यकता नहीं है. अभी बजट में भी हमारे वित्त मंत्री जी ने बड़े विस्तार से सारे विषय रखे हैं लेकिन जब हम राज्य के विकास की बात करते हैं तो वर्तमान में राज्य की विकास दर 11.5 परसेंट है जो कि राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा विकास करने वाला कोई राज्य है तो वह हमारा मध्यप्रदेश है यह इस बात का प्रमाण है. मध्यप्रदेश के प्रति व्यक्ति की जो आय है यह भी विकास का एक मापदण्ड होता है. जब हम प्रति व्यक्ति की आय देखते हैं तो मध्यप्रदेश में आय एक वर्ष में 9.3 प्रतिशत बढ़कर 1लाख 52 हजार 615 रुपये हो गई जो कि देश में सबसे ज्यादा है.

श्री बाला बच्चन - यह राष्ट्रीय स्तर से कम है. राष्ट्रीय स्तर की 1 लाख 85 हजार है.

श्री भूपेन्द्र सिंह - बाला जी, आपकी कांग्रेस में तो कोई सुनता नहीं था आप बैठो.

श्री बाला बच्चन - आप राष्ट्र से भी तुलना कर रहे हैं डबल इंजन से कर रहे हैं तो मैंने बोला कि यह औसत राष्ट्रीय स्तर पर टेली करेंगे तो यह कम है वह 1 लाख 85 हजार प्रति व्यक्ति है.

श्री भूपेन्द्र सिंह - यह बौद्धिक विषय है आपकी समझ में नहीं आएगा.

श्री बाला बच्चन - समझ में क्यों नहीं आएगा अगर मैं गलत हूं तो बताईये. राष्ट्रीय स्तर का 1 लाख 85 हजार प्रति व्यक्ति है यहां का 1 लाख 52 हजार है.

श्री भूपेन्द्र सिंह - बाला जी, देश में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा आय अगर कहीं पर है तो मध्यप्रदेश में है. मैं आंकड़ों के साथ प्रमाण के साथ बोलता हूं मैं कभी गलत बात नहीं करता.

श्री बाला बच्चन - आप तुलना करेंगे तो केवल उत्तर प्रदेश ऊपर है.बाकी कर्नाटक के पीछे है.तमिलनाडु के पीछे है. छत्तीसगढ़ से भी पीछे हैं आप.

श्री अभय मिश्रा - गोवा सबसे ऊपर है इसमें.

अध्यक्ष महोदय - अभय जी, आपकी विद्वता के कायल हैं हम लोग.

स्वागत उल्लेख

मुरैना श्योपुर के सांसद श्री शिवमंगल सिंह तोमर जी का सदन में स्वागत

अध्यक्ष महोदय - आज दीर्घा में हमारे मुरैना श्योपुर के सांसद श्री शिवमंगल सिंह तोमर जी उपस्थित हैं सदन की ओर से उनका स्वागत है.

राज्यपाल के अभिभाषण पर श्रीमती अर्चना चिटनीस,सदस्य द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

श्री भूपेन्द्र सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय,हम अगर कृषि उत्पादन की दृष्टि से देखें तो हमारा राज्य आज देश में सोयाबीन उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है. इसका मतलब कि कृषि के क्षेत्र में हमारा राज्य किस तेजी के साथ आगे बढ़ा है यह इस बात का प्रमाण है. आप भी अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी उसके बाद तो ज्यादा अवसर नहीं मिला उनको,उस समय कृषि उत्पादन में हम देश में दसवें नंबर पर थे. आज देश में कृषि उत्पादन में पहले नंबर पर हैं. उस समय मैं भी विधायक था आप भी विधायक थे.तो चाहे हमारी आर्थिक विकास दर हो,चाहे हमारी कृषि उत्पादन की बात हो उसमें हम नंबर वन पर हैं. हम सब अटल जी के चरणों में नमन करते हैं जिन्होंने इस देश को एक नदी जोड़ो योजना जैसा एक देश की दिशा बदलने वाला,कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला,देश के विकास में क्रांति लाने वाला जो निर्णय लिया जब अटल जी के बाद जब यूपीए की सरकार बनी तो मैं उस समय संसद में था आप भी थे उस समय (XX) कहा करते थे कि यह नदी जोड़ो योजना फालतू है इससे सारे जंगल नष्ट हो जाएंगे और पार्लियामेंट में (XX) ने इस योजा का विरोध किया था आन रिकार्ड.

श्री बाला बच्चन-- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां (XX) तो हैं नहीं, क्या (XX) का उल्लेख होना चाहिये ?

श्री भूपेन्द्र सिंह-- मैं तो कोड कर रहा हूं, उनका उल्लेख कर रहा हूं.

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय-- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वक्ताओं को बोलने ही नहीं दे रहे.

श्री बाला बच्चन-- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ही व्यवस्था दी है कि जो यहां नहीं है, जो इस सदन का हिस्सा नहीं है, उसका उल्लेख नहीं होना चाहिये.

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय-- आपने बजट के समय भी बार-बार व्यवधान किया. उनकी बात पूरी होने दो. ...(व्यवधान)...

श्री प्रहलाद सिंह पटेल-- अध्यक्ष जी, मैं रूल बुक पढ़ रहा था जब वित्त मंत्री जी का भाषण चल रहा था उसमें रूल 205 ख दूसरे नंबर की जो कंडिका है, मैं बाला बच्चन जी को लेकर ही कह रहा था कि कितने सीनियर आदमी हैं और हमारे कार्य संचालन के जो नियम हैं उसमें 250 ख अभी भी आप वही कर रहे हैं. आप लोगों से हम सीखते हैं, मेरे जैसा व्यक्ति तो पहली बार विधायक है तो मुझे लगता है कि हर चीज में नहीं, बजट में तो अध्यक्ष जी किसी भी परंपरा में बजट प्रस्तुत करने वाला बैठ नहीं सकता तो इंट्रप्ट करने का कोई फायदा नहीं. आप इतने सीनियर मोस्ट भी हो और मुझे लगता है कि भूपेन्द्र सिंह जी भी उसी श्रेणी में आते हैं, इतने सीनियर एमएलए हैं और आप भी सीनियर एमएलए हो. मुझे लगता है कि बोलने का मौका मिले तब जरूर हमें जवाब देना चाहिये. इंट्रप्शन तो अच्छा लगता है लेकिन डिस्टरबेंस अच्छा नहीं लगता.

श्री बाला बच्चन-- हम आप लोगों से ही हाउस में सुनते हैं कि जो इस सदन के सदस्य नहीं है, जो इसका हिस्सा नहीं हैं ...(व्यवधान)... अब (XX) हम लोगों के नेता हैं और उनके बारे में इस तरह की बात होगी तो अध्यक्ष महोदय हमको उसका जवाब तो देना पड़ेगा. वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं.

अध्यक्ष महोदय-- बाला जी, मेरे कहने का कुल मिलाकर यह है कि उन्होंने जो बात कही कोई व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाया. आरोप होता है तो फिर आपत्तिजनक होता है. सामान्य तौर पर नाम लिया है, लेकिन अगर उसमें आपत्ति है तो कोई दिक्कत नहीं है.

श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव-- उन्होंने ही कहा कि (XX) ने इसका विरोध किया अब वह तो इस सदन में हैं नहीं ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय-- सचिन जी, आपने हमारी बात पूरी ही नहीं होने दी, बीच में ही खड़े हो गये. ...(व्यवधान)...

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय-- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब उच्च सदन में किसी बात को माननीय सदस्य के द्वारा रखा गया, वह पूरे देश को प्रभावित करने वाली कार्य योजना है. वह योजना यहां मध्यप्रदेश में लागू हुई, उससे राजस्थान भी लाभांवित हो रहा है, उससे उत्तर प्रदेश भी लाभांवित हो रहा है, उससे महाराष्ट्र भी लाभांवित हो रहा है तो जो विगत वर्षों में उच्च सदन में किसी सदस्य के द्वारा उल्लेख किया गया अगर उसको यहां पर उद्धत किया जाता है तो वह तो नियमानुकूल है. वह तो प्रासंगिक है.

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह था आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने जो बात कही मैं उनसे सहमत हूं 250 ख में जो बताया और मैं सिर्फ याद दिलाना चाहूंगा कि जब माननीय वित्तमंत्री जी का भाषण चल रहा था तो इंट्रप्शन जो सबसे बड़ा हुआ था वह माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा हुआ था और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान साहब का इंट्रोडक्शन मतलब वित्तमंत्री जी के अभिभाषण को रोककर के केन्द्रीय मंत्री जी का स्वागत हो रहा था तो मुझे लगता है वह जो बात कह रहे थे वह शायद डॉ. मोहन यादव जी के लिये थी वह होंगे तो उन तक आप यह संदेश जरूर पहुंचाइएगा.

श्री भूपेन्द्र सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, बाला बच्चन जी इतने अच्छे व्यक्ति हैं ये जब गृहमंत्री थे उसके पहले मैं भी गृहमंत्री था. जब यह गृहमंत्री थे तो ये डॉग हेंडलर का ट्रांसफर कर देते थे इतने अच्छे गृहमंत्री थे. मतलब मध्यप्रदेश के इतिहास में पहली बार डॉग

हेंडलर का ट्रांसफर हुआ, कुत्ते का ट्रांसफर हुआ, जब यह गृहमंत्री थे. आप मुझसे क्यों बुलवाते हो.

श्री बाला बच्चन-- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको भी किसी नियम के तहत चर्चा करा लें तो मैं उसके लिये भी तैयार हूं. उसका जवाब दूंगा, आप भी होम मिनिस्टर रहे हो हम भी होम मिनिस्टर रहे हैं लेकिन मध्य प्रदेश की विधान सभा नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत चलती है अगर आप व्यवस्था देंगे तो हम उसके लिये तैयार हैं.

श्री भूपेन्द्र सिंह-- नहीं-नहीं आप तो करो.

अध्यक्ष महोदय-- भूपेन्द्र सिंह जी, आगे कंटीन्यू करें इसी में समय चला जाता है.

श्री भूपेन्द्र सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, नदी जोड़ो योजना जो है केन वेतवा परियोजना, पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना और हमारी अंतर्राज्यीय परियोजना ताप्ती वेगा रिचार्ज परियोजना. माननीय अध्यक्ष महोदय, इन तीन-तीन परियोजनाओं की सौगात हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉ. मोहन यादव जी, हमारी सरकार ने यह इतना बड़ा निर्णय लिया है जो मध्यप्रदेश को आर्थिक क्षेत्र में न केवल देश में, बल्कि दुनिया में सबसे ऊपरी आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में लेकर जायेगा, यह काम हमारी सरकार ने किया, जो वर्षों नहीं हुआ, वह काम हम लोगों ने किया है.

अध्यक्ष महोदय, हम यह पूरा वर्ष उद्योग वर्ष के रूप में मना रहे हैं और उद्योग के इतिहास में 30 लाख करोड़ रूपये का इंवेस्टमेंट हुआ है. आज तक भारत में जितनी भी इंवेस्टर्स समिट हुई है, किसी इंवेस्टर्स समिट में 30 लाख करोड़ रूपये के एम.ओ.यू. साईन नहीं हुए हैं. यहां पर प्रधानमंत्री जी आये और वह दो दिन भोपाल में रूके, वह मध्यप्रदेश के विकास के लिये रूके. भारत सरकार की तरफ से न केवल देश के बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता, दो दिन

मध्यप्रदेश में विकास की गति और तेजी से कैसे बढ़े, इसके लिये माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, हमारा शीर्ष नेतृत्व यहां पर रहा कि मध्यप्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में कैसे तेजी से आगे बढ़े और हम उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय, हम जब किसानों की बात करते हैं, आज हमारी सरकार ने 2600 रूपये क्विंटल जैसा अभी विषय आ गया है, यह देने का निर्णय लिया है. अभी कल की ही बात है मिनरल ऑक्शन में हमारे मध्यप्रदेश को देश में पहला स्थान मिला है. हमारी सरकार कितनी पारदर्शिता के साथ, कितने सुशासन के साथ, इस प्रदेश के अंदर काम कर रही है, यह इस बात का प्रमाण है.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देता हूं कि आप मुरैना में देश का पहला सोलर ऊर्जा स्टोर करने का 600 मेगावाट का संयत्र लगवा रहे हैं, सरकार लगा रही है, इसके पहले हमारे माननीय उपमुख्यमंत्री जी श्री राजेन्द्र शुक्ल जी ने भी यह किया है और देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट अगर लगा तो वह रीवा के अंदर ही लगा है.

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने मध्यप्रदेश में जो काम किये हैं, हर काम में देश में अगर हम देखें तो हम ऊंचाईयों पर मध्यप्रदेश को हर क्षेत्र में लेकर गये हैं और इसी का परिणाम है कि लगातार पिछले 20-22 वर्षों से प्रदेश में जनता का आर्शीवाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है.

अध्यक्ष महोदय, अगर हम सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्र में भी देखें तो सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्र में वर्ष 2024-25 में प्रचलित भाव पर हम 15.3 लाख करोड़ रूपये से अधिक तक हमारा सकल घरेलू उत्पाद पहुंच गया है, तो इस प्रकार से हर क्षेत्र में हमने मध्यप्रदेश को विकास की ऊंचाईयों पर ले जाने का काम किया है और अभी तो बहुत काम हमारी सरकार को करना है.

अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश के विकास के लिये आज भी माननीय वित्तमंत्री जी ने जो बजट लायें हैं, वह भी अपने आपमें एक विकास को और तेजी से आगे ले जाने वाला बजट माननीय वित्तमंत्री जी लेकर आये हैं और यह जो सारी गलतियां कांग्रेस ने देश के साथ की, यह उसका ही पूर्व का परिणाम है कि देश तो आगे बढ़ गया, मध्यप्रदेश तो आगे बढ़ रहा है पर कांग्रेस लगातार पीछे जा रही है, देश भी बढ़ रहा है, राज्य भी बढ़ रहा है, पर कांग्रेस पीछे जा रही है, यह इस बात का प्रमाण है.

श्री भूपेन्द्र सिंह – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं. पर मैं यह भी निवेदन करुंगा कि मैं मध्यप्रदेश की विधान सभा की, जो उच्च परम्परा हमेशा रही है और एक उस परम्परा को बनाकर रखना, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है. पर पिछले दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि जो कमजोर विपक्ष है, वह तर्कहीनता, सतही राजनीति और इस कारण से अपने आपको और कमजोर करने का काम देश और मध्यप्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी कर रही है. तर्कहीनता है, न तर्क है, न सतही राजनीति है, ऐसे लोगें के कारण ही यह स्थिति देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की हो रही है. कांग्रेस पार्टी बार बार हिन्दुओं का अपमान करने काम इस देश के अंदर कर रही है.(...व्यवधान)

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे – अध्यक्ष जी, इसको विलोपित करवाईए.

श्री महेश परमार – अध्यक्ष जी यह क्या बात कर रहे हैं, क्या इन्होंने हिन्दुओं का ठेका ले रखा है क्या. .(...व्यवधान)

श्री अभय मिश्रा – अध्यक्ष जी, यह विलोपित होना चाहिए.(...व्यवधान)

श्री सचिव सुभाष यादव – ये क्या बात कर रहे हैं .(...व्यवधान)

श्री महेश परमार – अध्यक्ष जी, माननीय पूर्व मंत्री जी की पार्टी में यह स्थिति है. वे बहुत विद्वान व्यक्ति हैं. इस तरह की असत्य जानकारी देना ठीक नहीं, इसको विलोपित किया जाए. (...व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय – देखिए सचिन भाई, अगर मुझसे सुनना है तो आपको बैठना पड़ेगा. मैं प्रोसीडिंग दिखवा लूंगा. अगर उसमें कुछ भी आपत्तिजनक है तो उसको विलोपित कर दिया जाएगा, ठीक है.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) – अध्यक्ष महोदय, एक पार्टी के अध्यक्ष अगर यह कहे कि प्रयागराज में नहाने से कोई गरीबी दूर हो जाती है क्या? तो प्रश्न तो उठता है.

श्री बाला बच्चन – अध्यक्ष जी, कुंभ में जाने से] स्नान करने से कोई रुके क्या. हम भी परिवार सहित गए थे. मैं समझता हूं कि ये मैटर हाउस का नहीं है और पूर्व मंत्री जी ये बयां कर रहे हैं. मेरे हिसाब से ये टाइम खराब करने वाली बात है, इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसकी भी किसी नियम के अंतर्गत चर्चा करवा लीजिए, कांग्रेस पार्टी पर आ गए, कुंभ पर आ गए, तो कुंभ में तो हम भी गए हैं.

डॉ. चिंतामणि मालवीय – अध्यक्ष जी, मेरा तो आग्रह है कि कांग्रेस के सारे नेताओं के बयान एक बार इनको पढ़ना चाहिए. जरा आत्म अवलोकन कर लें कि किस तरह के बयान आ रहे हैं, तो बात तो होगी ही.

अध्यक्ष महोदय – चिंतामणि जी बैठ जाए. भूपेन्द्र जी अभी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है. आप लोग विषय के अंतर्गत रहें, यह ध्यान रखें सभी(...मेजों की थपथपाहट)

श्री भूपेन्द्र सिंह – अध्यक्ष जी, भारत की जो मुख्य धारा है, वह है राष्ट्रवाद, भारतीय सभ्यता और संस्कृति ये आज की भारत की मुख्य धारा है और जो राजनीतिक दल इस मुख्य धारा को नहीं समझेगा, उसकी यही हालत होने वाली है. अध्यक्ष जी कल मैं सदन में नहीं था तो कांग्रेस के एक सदस्य हैं (XX) मेरे ऊपर लगाया कि एक आरक्षक, परिवहन में सौरभ शर्मा उसकी नियुक्ति मैंने की थी.

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वह नोटशीट है. मैंने पटल पर भी रखी है. मेरे पास मेरे कार्यालय में एक किसी व्यक्ति का आवेदन आया उस आवेदन में उन्होंने जो भी लिखा होगा. मेरे आफिस से लिखकर के गया संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ है. संबंधित आवेदन में विभाग का क्या अभिमत है. वह अभिमत मुझे दें. इसमें मेरे द्वारा नियुक्ति कैसे हो गई. मंत्री के कार्यालय में अगर पत्र आता है तो मंत्री क्या अभिमत नहीं मांगेगा. मेरे पास में अभिमत भी नहीं आया. बिना अभिमत के उस आरक्षक की नियुक्ति हो गई. आरक्षक की नियुक्ति में ना तो मंत्री का अनुमोदन लगता है, ना ही मैंने अनुशंसा की, ना ही मैंने उसमें लिखा कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, ना ही मैंने यह लिखा कि इसमें आदेश करें. तो मैंने कहां गलत कर दिया यह उसकी नोटशीट है. आरोप लगाया कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति मेरी अनुशंसा में हुई. यह उसकी नोटशीट है. (नोटशीट दिखाते हुए) राजनीति का स्तर किस स्तर पर गिर गया है जो मैं कह रहा था, यह इसका प्रमाण है. यह नियुक्ति हुई अक्टूबर 2016 में मैं मंत्री था 2018 तक नियम यह है कि आरक्षक की भर्ती होने के बाद मैं आज कह रहा हूं कि वह नियुक्ति गलत हुई थी. वह नियुक्ति नहीं होना थी. उसमें जो जांच एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं उसमें जिसने भी यह नियुक्ति की है सरकार उस पर कार्यवाही करेगी. यह नियुक्ति नियम से हो ही नहीं सकती थी. पर इस बात को छुपाया गया कि नियुक्ति कैसे हुई ? पर चीजों को कैसे भी मेरे ऊपर आरोप लगाना है या मामले को डायवर्ट करना है तो कह दो कि उन्होंने की थी. यह राजनीति का स्तर है जिससे मेरे कोई लेना देना नहीं. फिर कहा कि –

श्री अभय मिश्रा—अध्यक्ष महोदय,मेरी मुर्गी की तीन टांग यही तो सुनता आया हूं इससे तो मुझे समझ में आता है कि कौन कितना विद्वान है. कौन सूपा है और कौन चलनी है.

श्री राजेन्द्र मेश्राम—अभय जी जरा धैर्य रखिये और अनुशासन बनाकर रखिये.

श्री अभय मिश्रा—अध्यक्ष महोदय, इनसे पहले मंत्री कौन थे जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया जिनको आप दोषी ठहरा रहे हैं उनका भी तो नाम बता दीजिये. कौन सूपा है और कौन चलनी है. जब आप कह रहे हैं कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिये सरकार भी आपकी थी. यहां तक आप पहुंच गये हैं तो थोड़ा और बता दीजिये कि वह मंत्री कौन था ? आप ही उत्सुकता पैदा कर रहे हैं और आप ही रोक रहे हैं.

श्री भूपेन्द्र सिंह—भईया आरक्षक की नियुक्ति मंत्री नहीं करता. आरक्षक की नियुक्ति ट्रांसपोर्ट कमिश्नर करता है. जब यही नहीं पता है तो काहे को खड़े हो जाते हो.

अध्यक्ष महोदय—भूपेन्द्र सिंह जी आप विषय पर आ जायें.

श्री भूपेन्द्र सिंह— माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम यह है कि सात महीने तक किसी आरक्षक की नियुक्ति होती है तो सात महीने तक उसकी पोस्टिंग नहीं होती है. पोस्टिंग भी नहीं हुई और सात महीने तक उसका परीवीक्षा अवधि होती है वह करना पड़ता है. मेरे समय में अध्यक्ष महोदय, ना ही मैंने उसकी नियुक्ति की ना ही मैंने पोस्टिंग की, ना ही उसकी फील्ड में पोस्टिंग हुई तो मैं कहां दोषी हो गया अध्यक्ष महोदय.

श्री बाला बच्चन—अध्यक्ष महोदय, हम आपको कहां कह रहे हैं कि आप दोषी हैं. यह तो जिसने की है वह दोषी है. ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सरकार के अंडर अथवा किसी मंत्री जी के अंडर में आते हैं.

श्री भूपेन्द्र सिंह— माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बाला बच्चन जी आपका बात करने का तरीका ठीक नहीं है. आप हर बात पर खड़े होते हो. आप विषय की गंभीरता तो समझो.

अध्यक्ष महोदय—आप विषय को कन्टीन्यु करिये.

श्री भूपेन्द्र सिंह— माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी पर गलत आरोप लग जाये मैं अपनी बात भी न कह पाऊं उसमें आप टोकाटाकी करो. मेरे तो केरियर का सवाल है. मेरे समय में

किसी चेक पोस्ट पर उसकी पोस्टिंग नहीं हुई, जब कि मैं नहीं करता. पर फिर भी संयोग से किसी चेकपोस्ट पर 18 तक जब तक मैं मंत्री रहा, उसमें भी 6 महीने आचार संहिता थी. पोस्टिंग नहीं हुई, फिर मैं कहां दोषी हो गया. माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश के इतिहास का पहला परिवहन मंत्री हूँ. श्री जगदीश देवड़ा जी भी रहे. यह आदेश है (आदेश की कापी दिखाते हुए) जिसमें मध्यप्रदेश के चेकपोस्टों को बंद कर दिया, यह आदेश हमने किया. मध्यप्रदेश के चेकपोस्टों को बंद किया. (मेजों की थपथपाहट) शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि बॉर्डर चेकपोस्ट जो एमपीआरडीसी के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत संचालित है उनके अलावा परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश की सीमा में स्थित समस्त जांच चौकियों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाये. यह मेरा आदेश है. यह आदेश दिनांक 12.9.2017 मैं पटल पर रख रहा हूँ. मैंने परिवहन मंत्री रहते हुए चेकपोस्ट बंद किये. पहला परिवहन मंत्री मध्यप्रदेश के इतिहास का, जिसने चेकपोस्ट बंद किए. मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए.

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जिन्होंने आरोप लगाए, अब जरा उनके बारे में अपनी बात मैं कह लूं. श्री हेमन्त कटारे जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाये. (XX)

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइंट ऑफ ऑर्डर है.

श्री भूपेन्द्र सिंह -- माननीय अध्यक्ष जी,...

अध्यक्ष महोदय -- भूपेन्द्र जी.....

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें अपनी सिर्फ थोड़ी-सी बात रखना चाहता हूँ. बड़ा आनंद आ रहा था सुनते हुए. मैं अभी पूरा सुनूंगा.

अध्यक्ष महोदय -- एक मिनट हेमन्त जी...

श्री भूपेन्द्र सिंह -- अभी तो सुनो जरा. अभी तो शुरूआत है. सुनो तो जरा...(व्यवधान)..

श्री हेमन्त सत्येदव कटारे -- माननीय अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)..

श्री भूपेन्द्र सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में हाईकोर्ट के जज ने कहा कि मैं इस मामले को नहीं सुनूंगा. मेरे ऊपर इतना दबाव है. जस्टिस विवेक अग्रवाल ने वह केस वापस कर दिया.

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, सब गलत, सब गलत. हाईकोर्ट एफआईआर को क्वॉश कर चुका है....(व्यवधान)....

श्री भूपेन्द्र सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, केस वापस कर दिया और उसके बाद मैं इसको लेकर (XX)...(व्यवधान)..

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, सब गलत बोल रहे हैं..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- भूपेन्द्र सिंह जी..

श्री भूपेन्द्र सिंह -- अध्यक्ष महोदय जी, यह आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर. ये आरोप लगाएंगे...(व्यवधान)...

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे -- नहीं, नहीं, हाईकोर्ट निरस्त कर चुका है. हाईकोर्ट क्वॉश कर चुका है...(व्यवधान)..

श्री भूपेन्द्र सिंह – (XX)..(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय -- भूपेन्द्र सिंह जी, प्लीज....

श्री अभय मिश्रा -- आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- भूपेन्द्र सिंह जी, देखिए, बातचीत और शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए...(व्यवधान)...

श्री भूपेन्द्र सिंह -- अध्यक्ष महोदय, मैं मर्यादा रखूंगा.

अध्यक्ष महोदय -- हेमन्त कटारे जी, आपने इनका नाम लिया था. वह आज यहां अपनी बात कह रहे हैं. उन्होंने आपका नाम लिया था आपको तो...(व्यवधान)...

श्री भूपेन्द्र सिंह -- अध्यक्ष महोदय, मैं तो उपस्थिति में आरोप लगा रहा हूँ. इन्होंने तो अनुपस्थिति में आरोप लगाया और रिकार्ड में रखकर लगा रहा हूँ...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- मैं आपको अपनी बात रखने का अवसर दूंगा..(व्यवधान)...

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे -- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय सदस्य भूपेन्द्र सिंह जी कह रहे हैं..(व्यवधान)...

श्री भूपेन्द्र सिंह -- आप सुनें तो, आप सुनें तो..(व्यवधान)..

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, (XX) और उनके कैरियर के बारे में माननीय श्री अभय मिश्रा जी बता चुके हैं...(व्यवधान)..

श्री अभय मिश्रा -- कैरियर का सवाल है. आपको अपना कैरियर दिख नहीं रहा. दो-दो उपमुख्यमंत्री आपको चेक कर ले रहे हैं. नये मुख्यमंत्री जी आपको समझ गए, यह अच्छा हुआ.

अध्यक्ष महोदय -- आपको बोलना है तो मैं आपको मौका दूंगा, जो उन्होंने आरोप लगाया है....(व्यवधान)..

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, इनको रोक कर रखिएगा. नहीं, तो ये निकल जाएंगे फिर. इनको रोक कर रखिएगा...(व्यवधान)..

श्री भूपेन्द्र सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष महोदय -- एक मिनट, माननीय राजेन्द्र कुमार जी कुछ कह रहे हैं..(व्यवधान)..हजारीलाल जी, एक मिनट, थोड़ा बैठ जाएं. माननीय राजेन्द्र कुमार जी कुछ कह रहे हैं...(व्यवधान)..

डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह - अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है.

अध्यक्ष महोदय - एक मिनट, डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह जी कुछ कह रहे हैं.

डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह (अमरपाटन) - अध्यक्ष महोदय, आपके आसंदी में बैठते वक्त सदन की सारी मर्यादाएं तार-तार हो रही हैं. एक बात, इस स्तर पर तो डिस्कशन नहीं जाना चाहिए. दूसरा, अगर यह सब-ज्युडिस मामला है जैसा माननीय श्री भूपेन्द्र सिंह जी कह रहे हैं.

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे - हाईकोर्ट क्रॉश कर चुका है.

श्री भूपेन्द्र सिंह - कुछ नहीं हुआ. फर्जी है.

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे - इनको अते-पते ही नहीं है.

श्री भूपेन्द्र सिंह - मुझे सब पता है. आदेश लेकर आया हूं. ऐसे ही नहीं आया हूं, बताऊंगा.

डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह- अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात कहना चाहता हूं कि यह जो आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, नियम यह कहते हैं, परंपरा यह कहती है कि माननीय सदस्य के खिलाफ आरोप लगाने के पहले लिखित में सूचना देनी चाहिए. क्या माननीय श्री भूपेन्द्र सिंह जी ने सूचना दी है?

श्री भूपेन्द्र सिंह - मैंने सूचना दे दी. सब कुछ दे दिया है. मैंने पेपर पटल पर रख दिये.

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे - अध्यक्ष महोदय, आपके संज्ञान में होना चाहिए.

श्री भूपेन्द्र सिंह - अध्यक्ष जी को दे दिया है.

डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह- इस चीज का कॉग्निजेंस लें, यह तो गलत हो रहा है. सदन में परंपराएं गलत पड़ रही हैं.

अध्यक्ष महोदय - इसमें मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है कि कुल मिलाकर शब्दावली का हम सब लोग ध्यान रखें. दूसरा, श्री हेमन्त जी ने आपके नाम का उल्लेख किया, जिस विषय को लेकर किया, उसके बारे में आपने स्पष्टीकरण दे दिया और अब मुझे लगता है कि आगे अपने को राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आना चाहिए.

श्री भूपेन्द्र सिंह - अध्यक्ष महोदय, अभी मेरा विषय रह गया है. मैंने आपको लिखकर भी दिया है और सारे पेपर पटल पर भी रखे हैं. दूसरा आरोप धारा 420 का ईओडब्ल्यू में केस रजिस्टर्ड हुआ है, अभी हुआ है. इसमें जो आरोपी हैं श्री हेमन्त कटारे, उनकी पत्नी, उनकी मां, ये सब आरोपी हैं. अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल पर नियम विरुद्ध भूखण्ड आवंटन करके, आवासीय भूखण्ड आवंटन करके..

श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव - अध्यक्ष महोदय, यह क्या राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है? (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह - फिर कल क्यों बोलने दिया? कल फिर राज्यपाल महोदय के भाषण में मैं कहां से आ गया? फिर कल क्यों बोला? अब बोला है तो सुनो. मैं तो उस समय हाउस में था भी नहीं, तब नियम कहां गये थे?

अध्यक्ष महोदय - श्री सचिन जी, अगर श्री हेमन्त जी उस मामले में बोलने का अवसर मांगेंगे तो मैं उनको स्पष्टीकरण का अवसर दूंगा.

श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव - क्या यह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है?

अध्यक्ष महोदय - मैं पहले उनको कह चुका हूं.

श्री भूपेन्द्र सिंह -श्री सचिन जी आप सुनें.

श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव -आप हमको ज्ञान बांट रहे हो.

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे - अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस पर बोलने का समय दीजिएगा. माननीय सदस्य को जो बोलना है वह मैं पूरा सुनूंगा. एक अवसर मुझे बोलने का जरूर दीजिएगा, नहीं तो थोड़ा-सा मन में रह जाएगा.

श्री भूपेन्द्र सिंह - आपको पता नहीं है श्री सचिन जी, कल मेरे ऊपर जो आरोप लगाए वह क्या आरोप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में थे? फिर कल क्यों आरोप लगाए?

संसदीय कार्यमंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) - अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है. कभी भी सदन में कोशिश यह होना चाहिए कि व्यक्तिगत आरोप नहीं लगे. यही सदन की परंपरा रही है. बहुत जरूरी हो तो आवश्यक पेपर टेबल करें उसके बाद लगाएं. यह मध्यप्रदेश का उच्च सदन है.

अध्यक्ष महोदय, इसमें गरिमामय चर्चा हो. आप जैसे गरिमामय अध्यक्ष यहां पर बैठे हुए हैं और इस प्रकार की चर्चा से मन दुखी हो रहा है. मेरा आपसे निवेदन है कि कल जो श्री हेमन्त जी ने भी जो कहा है, उसको भी आप रिकार्ड से निकालें और अभी जो श्री भूपेन्द्र जी ने जो कहा है, उसके लिए भी श्री भूपेन्द्र जी से निवेदन करूंगा, आप बहुत सीनियर सदस्य हैं, बहुत गंभीर सदस्य हैं. अगर कोई बच्चा गलती कर दे तो हमें माफ कर देना चाहिए और सदन की गरिमा का हमें ध्यान रखना है बाकी और कुछ भी नहीं. सदन चलता रहता है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं. हम सदन की मर्यादा को खराब करें, मेरा ख्याल है, मैं बहुत दुखी मन से यह बात बोल रहा हूं और इस प्रकार का कोई भी सदस्य अगर व्यक्तिगत आरोप लगाए तो बचना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, आपसे भी करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप भी इस प्रकार कोई आरोप लगाए तो आप रोकने की कोशिश करें.

अध्यक्ष महोदय- मैं कैलाश जी की भावना से पूरी तरह सहमत हूं.

श्री भूपेन्द्र सिंह- मैं भी पूरी तरह से सहमत हूं और मैंने शुरूआत नहीं की.

अध्यक्ष महोदय- मैंने पहले भी आग्रह किया कि हम अभिभाषण पर चर्चा में आयें और दूसरा उनका जो पाइंट ऑफ आर्डर है, मैं कार्यवाही को दिखवा लूंगा जो होगा उचित कार्यवाही करूंगा.

श्री भूपेन्द्र सिंह- अध्यक्ष महोदय, आपको भी मालूम है कि कल में सदन में नहीं था, उसके बाद राज्यपाल जी के अभिभाषण पर हेमन्त कटारे जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाये तो क्या यह राज्यपाल के अभिभाषण का पार्ट था. वह आपको नोटिस देते, व्यवस्था है,नियम है.

अध्यक्ष महोदय- इसीलिये आपने जब स्पष्टीकरण दिया तो मैंने बिल्कुल भी आपत्ति नहीं ली, क्योंकि मुझे मालूम है कि हेमन्त जी ने कल आपकी अनुपस्थिति में आरोप लगाये थे और आप सदन के सदस्य हैं और सदन के सदस्य की हैसियत से अगर आप अलग से भी समय मांगते तो मैं आपको अवसर देता.

श्री भूपेन्द्र सिंह- माननीय अध्यक्ष्ा महोदय, बस मैं फैक्ट रख दूं. बाकी आप सब डिलिट कर देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है. मैं तो सिर्फ फैक्ट रखना चाहता हूं और अपनी बात दो मिनिट में खत्म कर दूंगा.

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे- आप तो सारे फैक्ट्स ले आयें और मुझे भी बोलने का एक अवसर दे लीजियेगा.

श्री भूपेन्द्र सिंह- अध्यक्ष महोदय, धारा-420 का केस रजिस्टर्ड ईओडब्ल्यू में. एक पेट्रोल पम्प लालघाटी पर स्वीकृत हुआ कटारे जी का. नियम यह है कि यदि एक पेट्रोल पम्प आपका स्वीकृत हो गया, तो आपने आवेदन दिया कि इसको हम ISBT पर करना चाहते हैं और उसको हम बंद करना चाहते हैं. वह पेट्रोल पंप आज भी बंद नहीं हुआ. लालघाटी का भी पेट्रोल पंप चल रहा है और ISBT का भी चल रहा है, यह भी चार सौ बीसी है. इसके लिये भी मैंने लिखा है. इसकी भी माननीय अध्यक्ष महोदय कार्यवाही चल रही है और एक माननीय अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष महोदय- यह काफी हो गया. अब आप अभिभाषण पर आ जाओ.आपका स्पष्टीकरण पर आ जाओ.

श्री भूपेन्द्र सिंह- अध्यक्ष महोदय, अभी तो बहुत हैं..

अध्यक्ष महोदय:- होंगे, मैं यह नहीं कह रहा हूं.

श्री भूपेन्द्र सिंह- अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं बोलूंगा. आपका आदेश सर्वोपरि है.

डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह- आप इस पर व्यवस्था तो दे दें. माननीय कैलाश जी ने वह विषय उठाया, मैंने भी पहले उठाया था उस पर आप व्यवस्था दे दें. क्या उचित है, इस तरह से चलना. क्योंकि दो माननीय सदस्य सदन को हाईजैक कर लें और इतनी महत्वपूर्ण कार्यवाही बाधित, यह क्या उचित है.

अध्यक्ष महोदय:- मैंने बता दिया कि मैं कार्यवाही को दिखवा लूंगा.

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य (XX) है तो विद्धवता से उनके पास में जो तथ्यात्मक जानकारी है, सदन उससे अवगत होना चाहता है. उसमें क्या नियमानुसार नहीं है, उसमें क्या कठिनाई है. हेमन्त कटारे जी ने यह चुनौती दी कि आप (XX) हैं. आपको अंग्रेजी नहीं आती है. मतलब आपको ज्ञान नहीं हैं, आप अज्ञानी हैं तो अब वह अपने ज्ञान से जो तथ्यात्मक जानकारी से सदन को अवगत करा रहे हैं, सदन अवगत होना चाहता है उसमें क्या बुराई है.

श्री भूपेन्द्र सिंह- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं. मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूं कि विधान सभा के नियमों में क्या कहीं पर उप नेता का प्रावधान है विधान सभा के नियमों में ? (XX) स्वयं मियां मिट्ठू घूम रहे हैं. खुद ही,मैं उप नेता, अरे काहे का उप नेता, (XX). डॉ. राजेन्द्र जी आप इस पर तो कुछ बोलें. क्या इसमें कहीं उप नेता का नियम है.

श्री भूपेन्द्र सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं खतम कर रहा हूं, कैलाश जी ने बहुत दिन में समय दिया है.

अध्यक्ष महोदय—भूपेन्द्र सिंह जी, कैलाश जी ने सारा समय आपको ही एलाट कर दिया है.

श्री कैलाश विजयवर्गीय – अध्यक्ष जी, भूपेन्द्र सिंह जी इधर से उधर आ गये अब.

..(हंसी)..

अध्यक्ष महोदय—मेरा आग्रह यह है कि कुल मिलाकर अभिभाषण पर चर्चा हो रही है. यह चर्चा दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहना चाहिये, इसलिये मैं समझता हूं कि इसको व्यापकता प्रदान करके आप अभिभाषण पर आइये. शुरुआत आपने जितनी ऊंचाई से की है, उसी ऊंचाई पर आप भाषण को रखें.

श्री भूपेन्द्र सिंह—अध्यक्ष महोदय, अब मैं **(xx)** के साथ फंस गया, तो मुझे मजबूरी में इस स्तर पर आना पड़ा. मेरा तो स्वभाव ही नहीं है, मैं तो ऊंचाई पर ही रहता हूं.

श्री अभय मिश्रा—अध्यक्ष महोदय, इस **(xx)** शब्द के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय—इस शब्द को विलोपित कर दें. भूपेन्द्र सिंह जी, अब आप राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आइये.

श्री भूपेन्द्र सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनन्दन करता हूं और माननीय डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश देश में विकास की ऊंचाइयों को छुएगा. मैं फिर से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं. अध्यक्ष जी, आपका भी और माननीय कैलाश जी का भी धन्यवाद करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद.

डॉ. सीतासरन शर्मा-- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भूपेन्द्र सिंह जी को धन्यवाद देता हूं, आगे से कोई ऐसे आरोप लगाने की हिम्मत नहीं करेगा. सदन में एक अच्छी परम्परा डाल दी.

श्री हेमंत सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय, मैं इसका कल ही उत्तर देना चाहूंगा. आप आज कहें, तो मैं इसका उत्तर आज दूं.

अध्यक्ष महोदय—कल नहीं देंगे, आज ही कर देंगे. मैं बाकी यह प्रोसीडिंग दिखवा लूंगा. हम आपको अवसर देंगे.

डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह—अध्यक्ष महोदय, भूपेन्द्र सिंह जी कह रहे थे कि इनको उप नेता किसने बनाया. तो आपके सचिवालय से लेटर इशू हुआ है. आप रेकार्ड चेक करवा लें.

श्री भूपेन्द्र सिंह— नहीं हुआ है.

अध्यक्ष महोदय—चलो, डॉ. हिरालाल अलावा कल रह गये थे, उनको बात करने दीजिये.

श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव-- अध्यक्ष महोदय, लेटर जारी हुआ है, पता कर लें.

श्री भूपेन्द्र सिंह—पता कर लिया है मैंने, नहीं हुआ है.

श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव—अध्यक्ष महोदय, लेटर जारी हुआ है. सचिवालय ने जारी किया है. तो यह किस प्रकार से कह रहे हैं.

श्री भूपेन्द्र सिंह—अध्यक्ष महोदय, नहीं हुआ है, पता कर लिया है. मैं पता करके ही बोलता हूं.

श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव—हमारे पास लेटर है. अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे, तो हम पटल पर रख देंगे.

श्री भूपेन्द्र सिंह— वह भी फर्जी है.

अध्यक्ष महोदय—सचिन जी, इसमें हेमंत जी जवाब दे देंगे. हेमंत जी को अवसर मिलेगा, आप काहे को चिंता कर रहे हैं. हेमंत जी, जवाब दे देंगे.

डॉ. हिरालाल अलावा (मनावर)—अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया है. मैं आपका तहेदिल से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं. मैं सबसे पहले आप सभी को पूरे सदन को आदिवासियों के पारम्परिक सांस्कृतिक पर्व भगोरिया हाट की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं. साथ ही होली पर्व की भी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं. राज्यपाल जी के अभिभाषण में प्रदेश के पौने 2 करोड़ आदिवासियों के लिये पेसा एक्ट का जिक्र हुआ, अभिभाषण में युवाओं की बात हुई. विकसित भारत की बात हुई. मैं इसी पर अपनी बात रख रहा हूं. मध्यप्रदेश में अधिसूचित क्षेत्र में पेसा एक्ट जब लागू किया गया और पेसा एक्ट के नियम बनाये गये, तो प्रदेश में आदिवासियों को इस बात का भरोसा था कि सरकार उनकी जमीन नहीं छीनेगी,

आदिवासियों को इस बात का भी भरोसा था कि उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, लेकिन पेसा एक्ट 1996 में लागू हुआ, नियम नवम्बर,2022 में बने. इसके बाद भी न तो आदिवासियों की जमीन छीनना बंद हुई, न आदिवासियों का छोटे छोटे मालमों में जेल में जाना बंद हुआ. पेसा एक्ट की धारा 4 (क) और 4 (घ) में स्पष्ट रुप से यह प्रावधान किया गया है कि आदिवासियों की रुढ़ियों, परम्पराओं, धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का संरक्षक्षण किया जायेगा.

समय 4.00 बजे {**सभापति महोदय(डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए**}

डॉ. हीरालाल अलावा --

माननीय सभापति महोदय, मध्यप्रदेश में जब पेसा अधिनियम बना तो आदिवासियों की रूढियों-परम्पराओं और धार्मिक रीति-रिवाजों को रूढिजन्य संहिता में विधि का रूप दिये बिना ही पेसा नियम लागू कर दिया गया. आज मध्यप्रदेश के जो आदिवासी बाहुल्य जिले धार, झाबुआ, रतलाम, खरगोन और बड़वानी हो सबसे ज्यादा आदिवासियों के ऊपर मुकद्दमें दर्ज किये जा रहे हैं.

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन और सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि आदिवासियों का स्वभाव आक्रामक नहीं होता है, बहुत सीधे-साधे, बहुत विनम्र और बहुत ईमानदार होते हैं. पिछले दिनों रतलाम में एक आदिवासी की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, धार जिले के मनावर जो मेरी विधानसभा क्षेत्र है वहां पर भी अल्ट्राटेक में एक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हुई, आदिवासी युवाओं और आदिवासी समाज में इस बात का आक्रोश था कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जाये और जिन युवाओं की मृत्यु कंपनी की गलती के कारण हुई है उस कंपनी के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज होना चाहिये.रतलाम में भी ऐसा ही मामला था लेकिन मृतक के परिवार को न्याय मिलने के बजाए, न्याय की मांग करने वाले आदिवासियों को न्याय मिलने के बजाए जब उन्होंने आंदोलन किया तो उनके ऊपर एनएसए की धारा के तहत मुकदमे दर्ज किये गये. आज तीन माह से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन उन युवाओं को जेल से बाहर आने नहीं दिया जा रहा है. क्या यही न्याय आदिवासियों के साथ में यह सरकार करेगी. क्या लोकतंत्र में जो न्याय मांगने वाले लोग हैं उनके ऊपर धारायें एनएसए की लगाई जायेंगी,

यह धारायें तो आतंकवादियों के ऊपर लगाई जाती है. यह धारायें प्रदेश के और देश के आदिवासियों के ऊपर क्यों लगाई जा रही हैं.

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ओर महत्वपूर्ण पक्ष इस सदन में रखना चाहता हूं. आदिवासियों की वैवाहिक पद्धति के जो तरीके हैं रूढी-प्रथा के तहत और उस रूढीवादी प्रथा के अंदर आदिवासियों के जो भी मामले हैं जैसे जमीन संबंधी विवाद हों, विवाह से संबंधित विवाद हो,आज भी गांव में पंचायत बैठती है, आज भी गांव में पटेलों को राजस्व का दर्जा है, उनके समक्ष आज भी फैसला होता है और गांव के फैसले गांव में ही होते हैं और यही पेसा नियम का मूल आधार भी है, आज भी मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में पुलिस न तो ग्राम सभा से अनुमति लेती है, न ही ग्राम समिति जो पेसा के तहत बनी है उससे अनुमति लेती है, डायरेक्ट आदिवासियों के ऊपर गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज करती है. सभापति महोदय, जब यह कानून बना- एक्ट बना है क्या यह एक्ट और कानून सिर्फ दिखावा है.

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि इस देश और प्रदेश के आदिवासियों के साथ में न्याय होना चाहिये, लोकतंत्र में उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये, खासकर पांचवी अनुसूची के जिलों में 6वीं अनुसूचित क्षेत्रों में जो आदिवासी अपनी संस्कृति के लिये जाना जाता है, अपनी परम्पराओं के लिये जाना जाता है वही उनकी पहचान है, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिये.

माननीय सभापति महोदय, युवाओं के बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने बात रखी कि युवा शक्ति मिशन सरकार चला रही है. सभापति महोदय, युवाओं के साथ में सरकार को न्याय करना चाहिये. आज मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हैं. जब चुनाव आते हैं तो सरकार उनसे बड़े बड़े वायदे करती है. मैं पिछले 6 माह से युवाओं के साथ में बैठा, कई बैठकें उनके साथ की और जो बातें सामने निकल कर के आई हैं वही बात मैं सदन में रख रहा हूं. आपके समक्ष रख रहा हूं. "जन सेवा मित्र". सभापति महोदय में इस "जन सेवा मित्र" के बारे में कहना चाहता हूं कि चुनाव से एक साल पहले तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उन मित्रों को भरोसा और विश्वास दिलाया था, मेरे भांजे-भांजियो, मेरे बेटे-बेटियों, लाल परेड मैदान, भोपाल में तो उन्होंने आई लव यू भी बोला था. लाल परेड मैदान, भोपाल में तो आई लव यू बोला था. लड़कों ने भी विश्वास करके आई लव यू

टू भी बोला था. लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ सरकार बनी, बिना नोटिस दिए उन 9300 जनसेवा मित्रों को सरकार ने निकाल दिया. सरकार उन बेरोजगार युवाओं के साथ न्याय करे. सरकार उनको तत्काल नियुक्तियां दे और सरकार की योजनाएं जन-जन तक पहुंचें उसके लिए इनकी नियुक्ति की जाए.

सभापति महोदय, वर्ष 2023 में पुलिस भर्ती परीक्षा हुई लेकिन उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया है. प्रदेश में 25 हजार पुलिस कांस्टेबल के पद रिक्त हैं. कानून-व्यवस्था दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है. सरकार ने दूसरी विज्ञप्ति भी निकाल दी है लेकिन पुरानी परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं किए हैं.

सभापति महोदय, शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2018 में हुई थी. 60 हजार शिक्षकों के पद रिक्त हैं. वर्ष 2018 में परीक्षा ली गई लेकिन अभी तक शिक्षकों की पूरी तरह भर्ती नहीं की गई है.

सभापति महोदय, पिछले दिनों मध्यप्रदेश पीएससी के अभ्यर्थी इंदौर में पीएससी आयोग से सामने आंदोलन कर रहे थे, मैं भी उसमें शामिल हुआ था. उनकी मांग थी कि पीएससी की परीक्षा में पारदर्शिता होना चाहिए. पीएससी की परीक्षा की मेन्स की कॉपी दिखाई जानी चाहिए. इंटरव्यू जातिगत नहीं होना चाहिए. मध्यप्रदेश पीएससी में इंटरव्यू जाति के आधार पर हो रहे हैं. इसलिए उनको नंबर भी जाति के आधार पर कम करके दिए जा रहे हैं. एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को नंबर ही नहीं दिए जा रहे हैं. जब युवा यह मांग कर रहे थे तो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वत किया था कि आपकी मांगें मानी जाएंगी. मांगें मानने की बजाए उन्हीं आंदोलनकारी युवाओं के ऊपर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई और उनको जेल में डाल दिया गया. क्या मध्यप्रदेश सरकार युवाओं के साथ यह न्याय कर रही है.

सभापति महोदय, निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है. राष्ट्रीय संस्थाओं के निजीकरण का एक चलन चल रहा है. चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, आईटी सेक्टर हो. सरकारी क्षेत्र की जो बैंक थीं उनका और रेलवे सभी का निजीकरण हो रहा है. निजी क्षेत्र में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाता है. बड़े पैमाने पर अप्रत्यक्ष रुप से आरक्षण को खत्म किया जा रहा है. मैं चाहता हूं कि सरकार इन वर्गों को भी बराबरी का हक और सम्मान देना चाहती है तो निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था होना चाहिए. सभापति

महोदय, यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज देश की जो स्थिति है गरीब, गरीब होता जा रहा है और अमीर, अमीर होता जा रहा है. आज मार्केट में पैसा नहीं है. देश की जीडीपी वर्ष 2022 में 13 प्रतिशत थी आज वह 6 प्रतिशत रह गई है. लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है. मनरेगा जैसी योजनाएं जिससे गरीब तक पैसा पहुंचता है यह योजनाएं चालू रहना चाहिए. गरीबों को आर्थिक रुप से बराबरी का मौका मिलना चाहिए. प्रायवेट सेक्टर में वर्ष 2021 में 36,342 नौकरियां थीं. यह वर्ष 2024 में घटकर 21054 रह गई हैं. महिलाओं की भागीदारी 10963 थी वह वर्ष 2024 में 6564 रह गई है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार जो आंकड़े दिखाती आ रही है कि हमारी जो आंकड़े सरकार दिखाती आ रही है कि हमारी जीडीपी 11 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक जा रही है और हकीकत में जब बैलून फूटता है तो जीडीपी के सही आंकड़े पेश होते हैं. मध्यप्रदेश में नर्सिंग घोटाला हुआ था और इस नर्सिंग घोटाले में 75 हजार छात्र-छात्राओं को पिछले चार वर्षों से स्कॉलरशिप नहीं मिली है. कई छात्र छात्राओं का जीवन बर्बाद हो गया है. इसमें छः साल लग गए न तो उनके समय पर एग्जॉम हुए और न ही उनको समय पर छात्रवृत्ति मिली. मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि ऐसे छात्र-छात्राएं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली उनको छात्रवृत्ति दी जाए.

माननीय सभापति महोदय, आज भर्ती परीक्षा की व्यवस्था लागू होना चाहिए. अभ्यर्थियों को एक ही भर्ती के लिए कई परीक्षाएं देने के लिए मजबूर किया जाता है. समय-समय पर पैसों की भी बर्बादी होती है. हर भर्ती के लिए अलग-अलग परीक्षाएं करवाने की बजाय सरकार एक भर्ती एक परीक्षा का नियम लागू करे जिससे पारदर्शिता रहे और समय की बचत हो. अभी ज्यादातर परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं और ऑनलाइन परीक्षाओं में बार-बार पेपर लीक होना, सर्वर फेल होना और साफ्टवेयर में गड़बड़ी जैसी गंभीर समस्या आती हैं. यह जो पिछले दिनों नर्सिंग परीक्षा में घोटाला हुआ, पटवारी परीक्षा में घोटाला हुआ, शिक्षक पात्रता भर्ती में घोटाला हुआ और यह जो धांधलियां हैं यह सब ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से हो रही हैं. मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि यह मध्यप्रदेश के युवाओं की मांग है कि परीक्षा ऑफलाइन होना चाहिए ताकि युवाओं को न्याय मिल सके. परीक्षा केन्द्रों का आवंटन अभ्यर्थियों की प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए. मध्यप्रदेश में कई अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता वाले परीक्षा केन्द्र नहीं दिये जाते हैं. अभ्यर्थियों को 500, 600 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है जिससे गरीब और दूरदराज़ के छात्रों को दिक्कत होती है.

सभापति महोदय-- अलावा जी आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें.

डॉ. हिरालाल अलावा-- सभापति महोदय, पहली प्राथमिकता के अनुसार अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र आवंटित. ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी गंभीर है. कांग्रेस सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण बिल विधान सभा में पास किया था लेकिन ओबीसी आरक्षण विरोधी बीजेपी सरकार आज तक इसको पूरी तरह लागू नहीं कर पा रही है. ईएसबी ने हाईकोर्ट में अंतरिम आदेश डब्ल्यूपी 18105/2021 4/8/2023 के तहत कई रिजल्ट रोक दिये थे. अब याचिका खारिज हो चुकी है जिससे आदेश स्वत: निरस्त हो गया है लेकिन सरकार अभी भी ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं दे रही है. ओबीसी वर्ग के 13 प्रतिशत पदों को होल्ड कर दिया गया है जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार में लटक गया है.

सभापति महोदय, आरक्षित वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं नये-नये नियम लागू किये जा रहे हैं. नियमों में कहा है कि 90 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को आरक्षित वर्ग में अर्हता अर्जित किये वह अनारक्षित वर्ग में चयन के लिए पात्र नहीं होंगे. अनारक्षित वर्ग में उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा जिन्हें पात्रता परीक्षा में 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों साथ ही चयन परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अर्जित किये हों. यह नियम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के अवसर को समाप्त कर देगा और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव करेगा. मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मेरे विधान सभा क्षेत्र से संबंधित कहना चाहता हूं. मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसानों की बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है कि किसानों को बिजली का लो वॉल्टेज मिलता है. वर्ष 2016-2017 तक किसानों के ट्रांसफार्मर के लिए मुख्यमंत्री अनुदान योजना चलती थी और उस योजना में 60 प्रतिशत सब्सिडी सरकार देती थी 40 प्रतिशत पैसा किसान भरता था. योजना बंद होने के कारण जब किसान मोटर चालू करता है और पानी देने जाता है तो बार-बार ट्रांसफार्मर या तो चल जाते हैं या लाईट चली जाती है और किसानों के पास पैसा नहीं होने के कारण किसानों की फसलें भी बर्बाद हो जाती हैं. मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार किसान अनुदान योजना चालू करे और किसानों को राहत दे. मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीसरे और चौथे चरण की नहर है लेकिन नहर के आसपास का सारा रोड उखड़ गया है और रोड उखड़ने के कारण बड़े-बड़े गड्ढ़े हो गए हैं और इस कारण नहर में कोई भी गिरता है और उसकी मृत्यू हो जाती है. माननीय सभापति महोदय, मैं, चाहता हूं कि वह सड़क बने और दुर्घटनायें रूकनी चाहिए. आपके

माध्यम से एक अंतिम बिंदु कहना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अवैध शराब बिकती है, उसमें जो अंग्रेजी शराब बिकती है, उस पर कोई पुलिस प्रकरण नहीं बनाया जाता लेकिन हमारा आदिवासी महुए की शराब बेचता है जबकि महुए की शराब धार्मिक परंपराओं के लिए भी आदिवासियों द्वारा बनाई जाती है लेकिन उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रकरण दर्ज किये जाते हैं. अंग्रेजों के समय बाम्बे आबकारी एक्ट और महुआ एक्ट बना था, उसी के आधार पर आज भी आदिवासियों के ऊपर केस बनाये जाते हैं. जब सरकार कहती है कि हमने पुराने कानून समाप्त कर दिये तो क्यों न आदिवासियों को महुए की शराब बेचने की छूट दी जाये और उन पर इससे संबंधी प्रकरण दर्ज नहीं किया जाये.

माननीय सभापति महोदय, कोरोना काल में बहुत से डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ने हमारी मदद की थी. जब हमें कोई डॉक्टर-नर्स नहीं मिल रहे थे, तब उन्हें सरकार ने कुछ समय के लिए रखा था लेकिन कोरोना काल समाप्त होने पर सरकार ने उन्हें निकालकर फेंक दिया. मुश्किल समय में जिन्होंने प्रदेश की सेवा की, ऐसे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन और अन्य स्टाफ को भी रोजगार देने की दिशा में, सरकार को प्रयास करना चाहिए. आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद, आभार.

श्री आशीष गोविंद शर्मा (खातेगांव)- माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, मैं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं. निश्चित ही मध्यप्रदेश, भारत का बहुत तेजी से विकसित राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ने वाला वह राज्य है, जहां की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासतें न सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करती हैं बल्कि मां नर्मदा जो जीवनदायिनी है, मां क्षिप्रा जो मोक्षदायिनी है, ताप्ती-केन-बेतवा इस तरह की नदियां हमारे मध्यप्रदेश के किसानों को समृद्धि प्रदान करती है. महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, इस सरकार के उस संकल्प को पुष्ट करता है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के स्वप्न के रूप में देखा है. यदि भारत के समस्त राज्य इस दिशा में केंद्र सरकार के साथ काम करेंगे तो निश्चित ही आने वाला समय जब भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम होगा, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और जनसंख्या में सर्वप्रथम देश होने के बाद भी, जहां मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं, उसके बाद भी भारत दुनिया का नेतृत्व करने में आगे बढ़ेगा.

माननीय सभापति महोदय, मैं, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, जो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की कि हमारी सरकार जो समाज के चार प्रमुख वर्ग हैं, जिनके इर्द-गिर्द ही विकास की योजनायें घूमती हैं और जिन्हें वास्तव में यदि सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है तो उनके अंदर न सिर्फ आत्मविश्वास जागता है बल्कि समाज को दिखता है कि इन वर्गों के जीवन में परिवर्तन आया है. सरकार का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन में, समाज की व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना होना चाहिए और हमारी सरकार इस उद्देश्य को सफल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन चारों का सशक्तिकरण यदि ठीक तरह से हो जाये तो समाज में कोई ऊंच-नीच, भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा इसलिए विकास की जितनी योजनायें बनती हैं, उनके केंद्र में इन चार वर्गों को रखना चाहिए. माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार, मध्यप्रदेश की सरकार भी इन चार वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है. नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमारी सरकार "देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन" चला रही है. युवाओं के लिए उद्यमिता प्रशिक्षण और उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में "स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन" प्रारंभ हुआ है जो कि बहुत कारगर साबित होगा. किसानों के लिए, जो हमारे अन्नदाता हैं और नि:संदेह यहां पक्ष-विपक्ष दोनों बैठे हैं लेकिन वह दिन भी सभी को याद है, यहां सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य भी बैठे हैं, जब बिजली के लिए किसान को भटकना पड़ता था और बिजली की व्यवस्था नहीं होने के कारण वह रबी की फसल नहीं ले पाता था. लेकिन आज किसानों को पर्याप्त 10 घण्टे बिजली हमारी सरकार उपलबध करा रही है और आने वाले समय में सोलर एनर्जी, जो प्रकृति के द्वारा हमको प्रदत्त की गई है. आज पूरी दुनिया सोलर एनर्जी की ताकत को समझ चुकी है. मान्यवर प्रधानमंत्री जी ने भी इसे समझा और हमारे मध्यप्रदेश में बड़े-बड़े सोलर प्लांट सरकार लगाने जा रही है. अभी सरकार ने सब्सिडी के माध्यम से किसानों के खेतों पर पांच हॉर्स पावर और आठ हॉर्स पावर के सोलर पम्प लगाए हैं. जिसको दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसान ऑपरेट कर सकता है और इसके कारण उसके बिजली का बजट, वह पहले से बहुत कम हुआ है. जब 30 लाख किसानों के खेतों पर सोलर पम्प लग जाएंगे, तब हमको एक नया कृषि क्षेत्र देखने के लिए इस मध्यप्रदेश में मिलेगा.

सभापति महोदय, हमारी सरकार श्री अन्न को प्रोत्साहन दे रही है. आज जो समाज का श्रेष्ठ वर्ग है, जो चिकित्सा विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने भी श्री अन्न/मोटे अनाज की

महत्ता को स्वीकार किया है. भारत की परम्पराओं में, यहां जो मुख्य फसलें हैं, उसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी हैं, यह हमारे पूर्वज खाया करते थे और वह स्वस्थ रहते थे. यह आज अनुसंधान का विषय भी है. आप बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल में जाएंगे, तो आज वहां पर आपको इसके स्टॉल मिल जाएंगे. लोग श्री अन्न को अपने आहार का हिस्सा बना रहे हैं, यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है. मध्यप्रदेश की सरकार भी श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए 3,900 रुपये का अनुदान प्रति हेक्टेयर उन किसानों को देने जा रही है, जो अपने खेत पर अपनी जमीन पर श्री अन्न उपजाना चाहते हैं, यही समाज के लिए अच्छा काम होगा क्योंकि हम स्वस्थ एवं निरोगी रहेंगे, तो ही हम समाज और देश की सेवा कर पाएंगे, इसलिए हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है.

सभापति महोदय, नदी जोड़ो के विषय में बहुत सारी बातें सदन में होती हैं. पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था. उस सपने को मध्यप्रदेश की धरती पर साकार करने का काम हमारी सरकार कर रही है. केन-बेतवा के बाद तापती नदी पर, जो कि हमारे बुरहानपुर और खण्डवा जिले को जोड़ती है और हम सिर्फ अपने यहां के किसानों के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश इसके भी सीमावर्ती जिलों को जब इन राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना से पानी मिलेगा, तब 'परहित सरिस धर्म नहीं भाई', यह उक्ति चरितार्थ होगी कि हम अपने यहां के लोगों का तो कल्याण कर ही रहे हैं, लेकिन पड़ोसी धर्म भी निभा रहे हैं. इसलिए मैं मानता हूँ कि यह परियोजना मध्यप्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ.

सभापति महोदय, गौवंश हम सबकी चिन्ता है. निश्चित ही सड़कों पर हम सब लोग जनप्रतिनिधि हैं, प्रतिदिन परिवहन करते हैं, हाईवे और सड़कों पर जो गौवंश फिरता रहता है, वह दुर्घटनाग्रस्त भी होता है और इसलिए सरकार की चिन्ता में जब तक गौवंश आधारित उद्योग चालू नहीं होंगे एवं उनसे जुड़े हुए प्रोडक्ट निर्मित नहीं होंगे, तब तक गौवंश के प्रति सकारात्मक भाव समाज में नहीं आएगा. धर्माचार्य निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं. लेकिन प्रति गौवंश 40 रुपये देने की जो भावना है, वह भी गौवंश के संरक्षण के लिए बहुत कारगर होगी. मैं आपके माध्यम से जो हमारे मछुआरे भाई हैं, मध्यप्रदेश में नरेगा खेत तालाब योजना

और बलराम तालाब जैसी योजनाओं के माध्यम से जिनके पास जमीन है, उन्होंने अपने खेतों पर एक एकड़, डेढ़ एकड़ के छोटे-छोटे तालाब बनवाये हैं, कई किसान उनमें कमल के फूल की खेती कर रहे हैं, सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं और मछलीपालन भी कर रहे हैं. ऐसे मत्स्यपालकों के 1.30 लाख कार्ड मध्यप्रदेश की सरकार ने, विभाग ने बनाए हैं. निश्चित ही जब काम करते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो बेटा-बेटी की पढ़ाई के लिए यह कार्ड बहुत कारगर सिद्ध होगा, इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ.

सभापति महोदय, मध्यप्रदेश के विद्यार्थी जो मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, पहले प्रदेश में 8-10 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन आज 30 मेडिकल कॉलेज हमारे मध्यप्रदेश में हैं और सरकार यह भी प्रयास कर रही है कि इन मेडिकल कॉलेजों की संख्या और बढ़ाई जाये, बड़ी संख्या में जब डॉक्टर पढ़कर निकलेंगे, तो डॉक्टरों की जो कमी है, वह भी काफी हद तक पूरी हो सकेगी. जिला मुख्यालयों पर हमारी सरकार का संकल्प था कि जो किडनी के मरीज हैं, उनको डायलिसिस के लिए बड़े महानगरों की ओर जाना पड़ता है. आजकल किडनी की बीमारी के बहुत मरीज ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं, जिला मुख्यालयों पर आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनका नि:शुल्क डायलिसिस हो जाता है. यह एक बहुत बड़ी सौगात है और मध्यप्रदेश के अधिकांश जिला अस्पतालों में, शत-प्रतिशत अस्पतालों में डायलिसिस किया जा रहा है. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ. हम अभी तक डिस्कवरी चैनल पर देखते थे, फॉरेन में कहीं पर दुर्घटना होती है, कोई आपदा में फंसा रहता है तो उसको एयर एंबुलेंस या बचाव दल लेने के लिए आता है. लेकिन हमारे मध्यप्रदेश की धरती पर भी सरकार ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि हर तहसील मुख्यालयों पर जो स्टेडियम हैं, अच्छी जगह पर हैं, वहां पर हैलिपेड बनाया जाएगा. आपदा में पड़े हुए गंभीर परिस्थिति में बीमार व्यक्ति को एयर लिफ्ट करके बड़े अस्पताल तक पहुँचाया जाएगा. यह मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ काम है. निश्चित ही मध्यप्रदेश जैसे राज्य में जहां पर जननी एक्सप्रेस, 108 एम्बुलेंस, संजीवनी एम्बुलेंस, ये मरीजों को अस्पतालों तक लेकर जा रही है, उनकी जान बचाने का काम कर रही है, वहां इस प्रयास की भी मैं अपनी तरफ से सराहना करता हूँ.

सभापति महोदय, साथ ही साथ हमारी जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसे चरक, सुश्रुत, महर्षि पतंजलि ने इस देश को दिया है, जो प्राचीन विरासत है, जिसके आधार पर पूरे

विश्व में आयुर्वेद को लेकर शोध हो रहे हैं और कोरोना के समय भी हमने देखा कि आयुर्वेदिक दवाओं ने जटा, हमारे गिलोय जैसी दवाओं ने कोरोना में लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया है और आज भी उसे आयुर्वेद की सबसे बड़ी मेडिसिन माना जा रहा है. ऐसे मध्यप्रदेश सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के लिए 108 आयुष औषधालय और बालाघाट में जड़ी-बुटियों पर शोध करने का एक केन्द्र खोल रही है, यह भी बहुत बड़ा काम है और इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद जो रोगों का निदान तो करता ही है, लेकिन हम निरोगी रहें, इसके लिए भी उसके ट्रीटमेंट और उपचार मौजूद होते हैं, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है और 11 आयुर्वेद महाविद्यालय इस मध्यप्रदेश में सरकार की खोलने की योजना है. वास्तव में हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति को लेकर इस तरह का काम होना ही चाहिए.

माननीय सभापति महोदय, महिलाओं के लिए इस सरकार ने बहुत कुछ किया है. लाड़ली लक्ष्मी-02, आज मध्यप्रदेश में 1 करोड़ से अधिक लाड़ली लक्ष्मी हो गई है. आज माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण में हमको यह जानकारी लगी, लाड़ली लक्ष्मी योजना जिसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक, कई पीढ़ियों तक इस मध्यप्रदेश में देखने के लिए मिलेगा, बेटी के जन्म को अभिशाप मानने वाला समाज आज उसे लाड़ली लक्ष्मी के रूप में स्वीकार करना सीख गया है. जब वह 6वीं कक्षा में जाती है, तब उसे 2,000 रुपये सरकार देती है. 9वीं में, 11वीं में और कॉलेज की पढ़ाई करती है, तब भी सरकार उसके खाते में पैसा डालती है, जिस दिन वह बेटी 21 वर्ष की होगी, तब 2 लाख रुपये की राशि लेकर अपने ससुराल जाएगी, यह प्रयास मान्यवर शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने वर्ष 2006 से इस प्रदेश में प्रारंभ किया और हमारी सरकार ने इस योजना के लिए भी बजट में बहुत बड़ा प्रावधान किया है. मैं नारी सशक्तिकरण की दिशा में इस काम की सराहना करता हूँ.

माननीय सभापति महोदय, 'प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना', महिलाओं की जब प्रसूति होती है, तब परिवार के लिए बोझ हो जाता है, लेकिन आर्थिक समस्या परिवार के सामने न आए, इसलिए हमारी सरकार संबल कार्डधारी को 'जननी सुरक्षा योजना' के अंतर्गत राशि देती है. प्रधानमंत्री जी भी प्रथम प्रसूति पर 'जच्चा बच्चा कार्ड' बनने पर आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी के माध्यम से 5,000 रुपये की राशि उस महिला को प्रथम प्रसूति पर प्राप्त होती है. दूसरी प्रसूति पर यदि उसके यहां बेटी का जन्म होता है तो फिर 5,000 की राशि उसको

प्राप्त होती है. इन योजनाओं के कारण संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिला है, सुरक्षित प्रसव हमारे मध्यप्रदेश में हो रहे हैं. मैं इसके लिए भी सरकार को धन्यवाद देता हूँ. हमारी सरकार पर बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि आप धार्मिक कामों को बढ़ावा दे रहे हैं. यदि राम और कृष्ण इस देश के लिए धार्मिक हैं तो मुझे विपक्ष की सोच पर तरस आता है. जहां पर ईसा मसीह पैदा हुए, उस देश की जनता उनको भगवान नहीं अपनी जन्मभूमि पर जन्मा हुआ अपना पुत्र मानती है, जहां जिस भूमि पर भगवान ने, उनके दूतों ने अवतार लिया, वहां सब लोग उनको पूजते हैं, लेकिन इस देश में राम और कृष्ण को पूजना साम्प्रदायिक माना जाता है. यदि श्रीकृष्ण की शिक्षा सांदीपनी में हुई और उसका विकास हमारी सरकार कर रही है. आने वाली पीढ़ी में कैसा विद्यार्थी बने, कैसी गुरुकुल की पद्धति थी, जो हमको उनको दिखा सकें तो इसमें अगर विकास कार्य उनके उन स्मारकों का, उनके इन चिह्नों का जो इस इतिहास में बिखरे पड़े हैं अगर कराती है तो हमें साम्प्रदायिक कहा जाता है. राम वन गमन पथ का भी विकास सरकार करना चाहती है और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद सरकार को देना चाहता हूँ कि नर्मदा परिक्रमा पथ, जहां पूरे भारतवर्ष से निकलने वाले प्रतिदिन सैकड़ों, हजारों की संख्या में यात्री नर्मदाजी की लगभग 3,000 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, उनके लिए नर्मदा परिक्रमा पथ का विकास करना इस सरकार का संकल्प है और नर्मदा जी के स्नान के लिए घाटों का निर्माण और वहां यात्रियों के विश्राम की व्यवस्था करना ये इस सरकार की योजना में शामिल है, इसलिए मैं...

सभापति महोदय -- आशीष जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, थोड़ा शीघ्र पूरा करें.

श्री आशीष गोविन्द शर्मा -- सभापति महोदय, बस मैं समाप्त कर रहा हूँ. ओंकारेश्वर में एकात्मधाम, जगतगुरु शंकराचार्य, जिन्होंने सनातन की परिभाषा को नए रूप में गढ़ा, समाज के सामने प्रस्तुत किया, चारों धामों के दर्शन करने के लिए करोड़ों तीर्थयात्री आज इस देश में इन धामों के दर्शन के लिए जाते हैं. उसका विकास सरकार कर रही है और सरकार को धन्यवाद देता हूं यह छोटा कदम जरूर है लेकिन नर्मदा के किनारे के और प्राचीन धार्मिक नगरियों में लगभग 19 स्थानों पर सरकार ने शराब बंदी का फैसला लिया है. शराब बंदी समाज की आवश्यक्ता है और इन धार्मिक नगरियों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर सरकार का एक बहुत साहसिक निर्णय निकलकर सामने आया है. हम प्रयास करते हैं सरकार से मांग भी करते हैं कि धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप मध्यप्रदेश पूर्ण शराब बंदी की दिशा में आगे बढ़े.

आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा. इस सरकार ने पर्यावरण की चिंता की है वनों की चिंता की है. हम सब जनप्रतिनिधि हैं हर कोई अपने क्षेत्र में जमीन पर वन भूमि के पट्टे की मांग करता है. अतिक्रमण जब कोई कर लेता है तो हम सबको संकोच होता है कि ठीक है कर लिया तो कर लिया. रहने,खेती के लिये जमीन चाहिये लेकिन इस सरकार ने नौवां टाईगर अभ्यारण,माधव अभ्यारण्य बनाया. निश्चित ही वन्य प्राणी जो मूक होते हैं लेकिन हम अपने इस जीवन चक्र को चलाना चाहते हैं. इस प्रकृति को बचाना चाहते हैं तो मधुमख्खी से लेकर चींटी से लेकर हाथी तक की आवश्यक्ता इस प्रकृति में है. इसलिये सरकार वनों के संरक्षण और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिये बहुत अच्छा काम कर रही है जो चीते विलुप्त हो चुके थे. जिनके बारे में सरकार को बहुत क्रिटिसाईज किया गया.वन विभाग का मनोबल भी टूटा जब उन चीतों की मृत्यु हुई लेकिन आज वह मध्यप्रदेश के वातावरण के अनुरूप अपने को ढाल पाए हैं. आज से 20 साल बाद जब हमारे बच्चे,बच्ची उनको देखने जाएंगे तब यह कोई नहीं कहेगा कि यह वही विलुप्त प्राणी है जो कि मध्यप्रदेश और भारत से विलुप्त हो चुका था. हमें कुछ काम प्रकृति के लिये भी करना चाहिये. पर्यावरण की सुरक्षा के लिये भी करना चाहिये इसलिये मैं सरकार और महामहिम राज्यपाल के इस अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं.

श्री कमलेश्वर डोडियार (सैलाना) - माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकार की पिछली उपलब्धियों को गिनाया. अभी वर्तमान में सरकार लोगों की भलाई के लिये क्या करना चाहती है इसका भी जिक्र किया और आने वाले समय में प्रदेश के लोगों की भलाई के लिये सरकार क्या-क्या करना चाहती है बहुत सारी चीजें हुईं.मैं प्रदेश के नौजवानों की बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं. छात्र लोग,नौजवान लोग बहुत संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद आज नौकरी के लिये बहुत तड़फ रहे हैं परेशान हो रहे हैं. आपके माध्यम से सरकार से यह कहना है कि प्रदेश में जितने भी बैकलाग पद पड़े हुए हैं उन सभी बैकलाग पदों को भरा जाये. सरकार के सभी विभागों के अन्दर लाखों की तादात में बैकलाग पद रिक्त पड़े हुए हैं और पुलिस भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाए.2 साल हो गये हैं अभी तक पुलिस भर्ती का फाईनल रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है. सरकार को चलाने में प्रशासन को चलाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल पुलिस का होता है और पुलिस की भर्ती में इतनी लापरवाही बरती जा रही है. अलग-अलग विभागों में आउटसोर्स से कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है अस्थाई तौर पर मेरा यह कहना है कि जो ठेके पर कर्मचारियों को भर्ती करने की

जो परंपरा शुरू की है. अभी पिछले सत्र में जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री जी ने भी कहा कि आदिवासी और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये जो छात्रावास बने हुए हैं उन सभी छात्रावासों में अधीक्षकों के पद पर अस्थाई तौर पर भर्ती करने की बात कही है. मैं इसमें आपत्ति लेकर यह कहना चाहता हूं कि स्थाई तौर पर सभी पदों पर भर्ती की जाये और बेरोजगार युवा बहुत हैं प्रदेश में मेरी मांग है कि बेरोजगारी भत्ता शुरू किया जाये क्योंकि अलग-अलग महानगरों में जाकर लाखों की तादात में छात्र पढ़ाई करते हैं. घर से पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता है ऐसे में अगर पढ़े-लिखे युवाओं को जो आगे चलकर सरकार में सेवा करना चाहते हैं लोगों की ऐसे लोगों की अगर थोड़ी बहुत सहायता बेरोजगारी भत्ते के रूप में दी जाए तो बहुत बेहतर होगा. आजकल परीक्षा के पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं.

माननीय सभापति महोदय, मध्यप्रदेश के अंदर भी कुछ ऐसा किया जाये और मेरे से पहले भी माननीय सदस्य ने अवगत करवाया कि जो जनसेवा मित्र होते हैं ये सरकार की जितनी भी योजनायें होती हैं यानि यहां पर बैठकर जितना भी डिस्कशन होता है, जमीन पर उतारने का काम यह जनसेवा मित्र लगतार कर रहे थे पिछली सरकार में और तकरीबन डेढ़ साल तक इन्होंने अपनी सेवायें दीं और सेवा के बदले इनको कुछ मानदेय दिया गया. लेकिन अभी न इनकी सेवायें ली जा रही हैं और न इनको किसी भी प्रकार का कोई मानदेय दिया जा रहा है. मेरी मांग है कि पूरे प्रदेश में जनसेवा के जितने भी मित्र हैं जो काम करते हैं सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिये इन सभी को वापस सर्विस में लगाया जाये. माननीय सभापति महोदय, मैं रतलाम जिले की सैलाना विधान सभा से आता हूं, आप मेरे पड़ौसी हैं, आपकी और मेरी विधान सभा की बार्डर भी लगी हुई है. लाखों की तादाद में आदिवासी लोग मेरा आदिवासी बाहुल्य वाला इलाका है मजदूरी करने के लिये बाहर चले जाते हैं इसका एक ही कारण है कि यह जो मनरेगा योजना है यह तकरीबन दो दशक पहले बनी थी इसका मूल उद्देश्य था कि गांव के लोगों को रोजगार दिया जाये. इन दिनों की अगर हम बात करें तो मनरेगा में एक मजदूर की मजदूरी 200 रूपये से नीचे है, 190, 180 तकरीबन 200 रूपये एक दिन की मजदूरी, तो मजदूर लोग मजबूरी में मजदूरी नहीं करना चाहते हैं और फर्जी तरीके से मस्टर भरे जाते हैं, वह क्या प्रक्रिया है वह आप और हम सब जानते हैं. मेरी यह मांग है कि मनरेगा में मजदूरी बढ़ाई जाये. 200 रूपये को बढ़ाकर उसको तकरीबन 400 रूपये हर दिन के हिसाब से तो किया ही जाना चाहिये. अब माननीय सभापति महोदय, एक बड़ा गंभीर विषय

है रतलाम जिले में आपने देखा भी होगा मीडिया के माध्यम से मैं पहले भी तकरीबन एक साल पहले भी सदन के अंदर उठाया था कि आदिवासी इलाके के अंदर जो अवैध शराब होती है दूध की तरह मोटर साइकिलों पर बांटी जाती है उसका परिवहन किया जाता है, हर गांव के अंदर अवैध शराब बेची जाती है. उसको लेकर मैं पहले बोला भी था, लिखा भी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की फिर मैं खुद ही सड़क पर उतरा, शराब की अवैध गाड़ियां, मोटर साइकिल पकड़ने की कोशिश की, मेरे साथ मारपीट तक हुई, मेरा गला तक दबा दिया था, वह दुनिया को पता है. माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके जरिये यह कहना है कि कोई ठोस कदम ऐसा उठाया जाये इस तरह की जो हरकत करते हैं चाहे वह आबकारी विभाग के कर्मचारी, अधिकारी अगर मिले हुये हैं, वह खुद अगर अवैध शराब का परिवहन अपना टारगेट पूरा करने के लिये, रेवेन्यू जनरेट करने के लिये अगर अवैध शराब का परिवहन करवाते हैं या अवैध शराब की बिक्री करवाते हैं तो इनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही होना चाहिये.

माननीय सभापति महोदय, अब मैं मेरी विधान सभा क्षेत्र की समस्या आपके सामने रखना चाहता हूं. राज्यपाल महोदय ने बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही हैं प्रदेश की बेहतरी के लिये लेकिन ऐसा लगा है कि आदिवासी इलाकों को जानबूझकर नजर अंदाज किया गया और जो विकास की मुख्यधारा से जोड़ने से रोका गया है ऐसा मुझे लगा है. मेरी विधान सभा क्षेत्र का पहले भी मैंने सवाल उठाया था इस मुद्दे को और माननीय सभापति महोदय आपके बिलकुल करीब लगा हुआ है सरबन वहां पर कृषि उपज मंडी नहीं है, उसकी लगातार मांग की जा रही है. मैंने पहले लिखा भी है और बोला भी है, लेकिन अभी तक कृषि उपज मंडी शुरू करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है. राजस्थान से सटा हुआ इलाका है बांसबाड़ा जिला प्रतापगढ़ जिले के लोग भी अपनी उपज बेचने के लिये सरबन में आते हैं, वहां मंडी का निर्माण जल्दी से जल्दी शुरू किया जाये.

माननीय सभापति महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र सैलाना के बाजना और रावटी के अंदर में उपमंडियां बनी हुई है. एक उपमंडी बाजना में है जहां पर न तो तौल कांटा है न ही गोडाउन है व्यापारियों की उपज रखने के लिये और मंडी का कोई भी कर्मचारी बाजना में जाता नहीं है. बहुत सेटिंग करके व्यापारियों के साथ में मंडी के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वह व्यापारियों को अपनी दुकानों पर ही बिक्री खरीदी करवाते हैं और जो अनपढ़ किसान होते

हैं कम पढ़े लिखे उनको औने पौने दाम पर उनकी उपज ठग ली जाती है. मेरी यह मांग है कि सरबन और बाजना के अंदर जो उपज मंडी बनी हुई हैं उनको ठीक तरीके से संचालित किया जाये और किसानों की उपज की खरीदी बिक्री कृषि मंडी परिसर के अंदर ही की जाये. मेरी विधान सभा क्षेत्र के अंदर एक ढोलावर डेम है उस ढोलावर डेम में दो पाइप लाइन रतलाम सिटी में पानी सप्लाई करने के लिये लगाई हुई है. पर्याप्त से भी ज्यादा पानी रतलाम सिटी को ढोलावर डेम का दिया जा रहा है और वह जो हमारा इलाका है रावटी वाला तकरीबन 100 गांव है इस बार की फसलें सूख गई हैं.

माननीय सभापति महोदय, जिले के अंदर कोई सुन नहीं रहा था, रतलाम के जिला कलेक्टर फोन नहीं उठा रहे थे, जलसंसाधन विभाग के, डब्ल्यूआरडी के ई.ई. भी फोन नहीं उठा रहे थे, जब मजबूरन जाकर मैं दो दिन तक आमरण अनशन पर बैठा रहा, तब जाकर नहर चालू की गई है. मेरा यह कहना है कि अगर पानी उपलब्ध है, तो उस पानी का सदुपयोग होना चाहिए. जानबूझकर के आदिवासी किसानों के खेतों में पानी नहीं जाने दिया जा रहा है, आदिवासी किसानों की फसलें जानबूझकर सुखायी जा रही है, तो मेरी आपसे मांग है कि इस प्रकार की जो हरकत करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ में कठोर कार्यवाही किया जाना चाहिए.

सभापति महोदय, यहां जो नहरें हैं, जल संसाधन विभाग के तकरीबन 60 के आसपास छोटे बड़े तालाब और यह एक धोलाबड़ बांध है, इसकी नहरों को पक्का किया जाये यह मेरी मांग है. राज्यपाल महोदय ने बहुत चीजें कहीं हैं कि किसानों की आय को कैसे दोगुना करना है, कैसे चार गुना करना है और उपज बढ़ाने की बातें भी हो रही हैं, लेकिन मेरा जो इलाका है, वहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है और पानी है, लेकिन उसको दिया नहीं जा रहा है और कुछ तालाब तो ऐसे हैं, जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति करना बाकी है.

सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक धाबड़िया बैराज है, संगेसरा बैराज है, गौरपाड़ा बैराज है, बांकी का तालाब है, रूपारेल का तालाब है, इनकी साध्यता प्राप्त हो चुकी है, सिर्फ इतना निवेदन है कि इनकी प्रशासकीय स्वीकृति दी जाये और इन जगहों पर तालाब बना दिये जायें और जल संसाधन विभाग के जितने भी तालाब और बांध हैं, उन सबकी नहरें

पक्की की जायें, यह मेरी आपसे मांग और अपेक्षा है. आपने बोलने के लिये अवसर दिया, इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद, जय भील प्रदेश.

श्री हरिशंकर खटीक (जतारा) -- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं. हमारे मध्यप्रदेश की सड़कें वर्ष 2003 के पहले की क्या स्थिति थी ? आज की हमारी सड़कें देखी जा सकती हैं. मध्यप्रदेश में बिजली की क्या स्थिति थी? आज मध्यप्रदेश में बिजली की स्थिति देखी जा सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व में क्या था और जो गुणात्मक सुधार हुआ है, जिससे प्रतिभाशाली बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कल्याण के लिये भी वर्ष 2003 के पहले योजनाएं क्या थीं और आज योजनाएं क्या हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो ज्ञान के मंत्र के रूप में हम सब लोगों को लक्ष्य दिया है, उसके आधार पर सरकार ने क्या-क्या काम किये हैं और सरकार का क्या लक्ष्य है, हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने आप सब लोगों के समक्ष, हम लोगों के समक्ष बताया है.

सभापति महोदय, सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, मध्यप्रदेश की भलाई के लिये अनेकों कार्य कर रही है, जो आज बजट प्रस्तुत हुआ है,उसमें भी हर वर्ग के कल्याण के लिये चहुँमुखी विकास के लिये यह बजट प्रस्तुत किया गया है. सभापति महोदय, सबसे पहले तो हम आपको यह बताने चाहते हैं कि जो बजट में प्रावधान किया गया है, हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, उन्होंने एक सपना संजोया था कि जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वहां हम उन नदियों को जोड़ने का काम करेंगे, उसी समय उस सपने को उन्होंने साकार करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उसके संबंध में सबसे ज्यादा सर्वे हुआ और उस सर्वे में पाया कि सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में सूखे की स्थिति बनती है और नदियों का पानी उत्तरप्रदेश में होकर समुद्र में चला जाता है और उन नदियों का पानी रूक नहीं पाता है, बिचारे किसान परेशान होते हैं और सूखे की मार के कारण वह पलायन भी करते हैं. आज वह हम सब लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन हम सभी लोग उनके सपने को साकार करने के लिये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने केन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना के लिये 44 हजार 605 करोड़ स्वीकृत किये हैं, यह हम सब लोगों के लिये बहुत बड़ा सौभाग्य है, उससे जहां केन नदी में पानी है और बेतवा जी अगर

सूख गईं हैं, तो बेतवा जी में पानी डालने का काम किया जायेगा और बेतवा जी में पानी है और केन नदी सूख गई है, तो बेतवा का पानी केन में डालने का काम किया जायेगा, उसका जो केंद्र बिंदु है वह हमारे मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश का जो हमारी विधानसभा का बार्डर है, वह है. वह टीकमगढ़ जिले का विधानसभा क्षेत्र है.

सभापति महोदय, हम आपसे यह अनुरोध करना चाहते हैं कि इस केन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना से जहां मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के दस जिलों को उसका लाभ मिल रहा है, उससे 10 लाख 40 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है.उसमें पीने के पानी की भी बात रखी गई है. 63 लाख लोगों को पानी देने की व्यवस्था वहां पर की गई, वहां पर विद्युत का उत्पादन भी होगा, 66 मेगावाट बिजली भी उससे बनाने का काम किया जाएगा. मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश को लाइट मिलेगी, बल्कि राष्ट्रीय ग्रिड में भी जुड़ने से ऊर्जा की आपूर्ति में मदद करेगा. ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने किया और उसको 25 दिसम्बर 2024 को उसका भूमि पूजन भी हो गया है, उसका कार्य भी प्रारंभ हो गया है. पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह के साथ साथ उत्तरप्रदेश के ललितपुर, झांसी, महोबा, उरई, जालौन और हमीपुर जैसे जिलों को इसका लाभ मिलेगा और हमारे किसानों को लाभ मिलेगा. हमारा जतारा विधान सभा क्षेत्र जो छूटा हुआ था, हमारी मध्यप्रदेश की सरकार ने उसमें जुड़वा दिया है. इसके साथ साथ पार्वती-कालीसिंध, चंबल नदी जोड़ों परियोजना भी स्वीकृत हुई है, हमारे अन्य सदस्यों ने बताया कि उससे भी 11 जिलों को लाभ मिलेगा. हमारी सरकार लगातार चिन्ता करती है. एक काम के बाद भविष्य में क्या करें, भविष्य के लिए तो दो योजनाओं जिनका भूमि पूजन हुआ, उसके बाद तीसरी परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना, ताप्ती-बेसिन मेगा रिचार्ज योजना का कार्य भी मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र में संयुक्त रूप से लाभ देगी. इसके लिए सरकार का प्रयास चालू हो गया है. कल कांग्रेस के मित्र हमारे प्रधानमंत्री जी के ज्ञान के बारे में बोल रहे थे तो उनको हम बताना चाहते हैं, जी से गरीब होता है, वाय से युवा होता है, ए से अन्नदाता किसान और एन से नारी. ऐसे चार वर्गों के कल्याण के लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है. युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार का एक मिशन है उसके आधार पर हमारी सरकार कार्य कर रही है. गरीब कल्याण मिशन का कार्य हमारी सरकार ने प्रारंभ कर दिया, गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए हमारी सरकार इस दिशा में कार्य कर है और उनकी आय कैसे बढ़ा सके. युवाओं के कल्याण के

लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति सरकार ने प्रारंभ किया है. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो, तब तक, लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, तब तक. जो उनकी यह बात की उसके आधार पर हम कार्य कर रहे हैं और लगातार प्रयास भी कर रहे हैं. महिलाओं के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन कार्य भी शुरू हो गया है. उसमें हमारी माताओं, बहनों के लिए आर्थिक विकास, सुरक्षा, स्वास्थ्य पोषण, महिला एवं बालकों तक सरकारी योजनाओं के लक्ष्य इसमें निर्धारित किए हैं.

किसान कल्याण की बात करें तो, जब कांग्रेस का जमाना था वर्ष 2003 के पहले की स्थिति, हमारे सभी सदस्यगण बैठे हैं यहां पर. पहले यह स्थिति थी कि किसानों को 18 प्रतिशत ब्याज दर कर्जा दिया जाता था. किसान का जन्म कर्ज में होता है और कर्ज चुकाने के पहले ही किसान ऊपर चले जाते थे, लेकिन उनका ब्याज नहीं चुक पाता था. हमारी सरकार ने 18 प्रतिशत से घटाकर जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर कर्जा देने का कार्य किया.

सभापति महोदय – हरिशंकर जी थोड़ा संक्षेप करें.

श्री हरिशंकर खटीक – सभापति महोदय हमने तैयारी की है. किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री, केन्द्र सरकार की ओर से 6 हजार रुपए और मध्यप्रदेश की सरकार भी 6 हजार रुपए, यानि गरीब से गरीब किसान को 12 हजार रुपए हमारी सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, अभी मध्यप्रदेश में 80 लाख किसानों को इसका लाभ दिया जा रहा है. इसके लिए 2024-25 में 1 हजार 624 करोड़ रुपए किसानों के हित में सरकार ने देने का काम किया. किसानों का गेहूं का समर्थन मूल्य पहले 2425 रुपए प्रति क्विंटल के अतिरिक्त अब 175 रुपए का बोनस देते हुए प्रति क्विंटल 26 रुपए देने का सरकार ने निर्णय लिया है कि हम 26 सौ रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का काम करेंगे. मध्यप्रदेश सोयाबीन उत्पादन के क्षेत्र में भी देश में प्रथम है. मध्यप्रदेश का गेहूं विदेश जा रहा है और विदेश में लोग उसको पंसद भी कर रहे हैं. एक जमाना वह था कि पंजाब और हरियाणा में गेहूं का उपार्जन हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा होता था. आज हम सौभाग्यशाली है कि जहां साढ़े सात लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हुआ करती थी, आज हम 50 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि सिंचित कर रहे हैं. इसके साथ साथ हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा गेहूं का उपार्जन हो रहा है, तो वह मध्यप्रदेश राज्य में हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि है. इन्होंने किसानों के लिए काम किया है. एक

और चीज बताना चाहता हूं पहले गरीब लोग कोदो, कुटकी खाया करते थे. गरीब से गरीब कोदो कुटकी की खेती करके अपना भरण-पोषण करते थे. लेकिन हमारी सरकार ने चिन्ता की. हम भी कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहते हैं कि कोदो कुटकी खाने से शुगर नहीं होती है. शुगर ना हो इसलिये आप लोग भी कोदो कुटकी का उपयोग करें. इसके लिये एक योजना सरकार ने बनायी है रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने का सरकार ने निर्णय किया है. इसमें कोदो कुटकी के उपार्जन के लिये महासंघ का गठन भी किया जा रहा है. उद्यानिकी के क्षेत्र में बताएं आपको तो सरकार की चिन्ता है कि हमारे किसान फूलों की खेती करें, फलों की खेती करें. अपनी खेती को लाभ का धंधा कैसे बनाये इसके लिये सरकार चिन्ता कर रही है. पहले 20 लाख हैक्टेयर फूलों और फलों की खेती होती थी आज हम 30 लाख हैक्टेयर रखने का लक्ष्य सरकार ने किया है. 3 वर्षों में 30 लाख किसानों को सोलर पम्प उपलब्ध करायें जायेंगे, ऐसा सरकार ने निश्चय किया है. किसानों को 5 रूपये में बिजली का स्थायी कनेक्शन देने का सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया है, वह हमारे साथी भाईयों को भी सोचना चाहिये कि 5 रूपये में कैसे स्थायी पम्प का कनेक्शन मिलेगा. जल संसाधन तथा नर्मदा घाटी विकास के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि 2007 के पहले साढ़े सात लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित होती थी.आज 50 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित कर रहे हैं. इस बार सरकार ने 2028-29 तक यह बढ़ाकर के हम 100 लाख हैक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश की सिंचित करेंगे, यह ऐतिहासिक फैसला सरकार ने किया है. इसके साथ साथ दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन भी हमारे मध्यप्रदेश में हो गया है. सांची ब्रांड को और मजबूत किया जा रहा है. जो हमारी गाय माता है उसमें हम भूसे की व्यवस्था करते थे उसका मात्र 20 रूपया प्रतिदिन के हिसाब से गौवंश के लिये भोजन की व्यवस्था की जाती थी उसको बढ़ाकर 40 रूपये प्रति गौवंश बढ़ाने का निर्णय किया है. शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहां पर गुणात्मक सुधार हुआ है विद्यार्थियों को पहले लेपटॉप नहीं दिये जाते थे, लेकिन आज सरकार लेपटॉप देने का काम हमारी सरकार कर रही है. बच्चों को स्कूटी भी देने का सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है. इस वर्ष 89710 मेघावी विद्यार्थियों को सरकार ने लेपटॉप देने का काम किया है. उनके खातों में 25-25 हजार रूपये मानदण्ड के आधार पर 224 करोड़ रूपये सरकार ने उनके खातों में दिये हैं. सरकार ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिये 7832 निशुल्क ई स्कूटी प्रदान की है. सरकार ने चिन्ता की है जो हमारी यूनिवर्सिटी खुली हैं पहले यूनिवर्सिटी बहुत कम हुआ करती

थीं. लेकिन सरकार ने इस बार तीन विश्वविद्यालय नवीन खोलने का निर्णय लिया है. इसमें क्रांति, सूर्यदेव, टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन में क्रांति सूर्यदेव, तात्याटोपे विश्वविद्यालय गुना में, रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय सागर में खोलने का सरकार ने फैसला किया है.

श्री हेमंत सत्यदेव कटारे—सरकार ने जो लेपटॉप देने का निर्णय किया है. मेरे ख्याल से 25 हजार रूपये में कोई लेपटॉप नहीं आता है. कौन सी कंपनी का आ रहा है, बतायें. इसमें तो टेबलेट भी नहीं आता.

श्री हरिशंकर खटीक—आप किलप रहे हैं. आपका सत्ता में आने का सपना कभी पूरा नहीं होगा.

सभापति महोदय—हरिशंकर जी आप विषय पर आईये.

श्री हरिशंकर खटीक—सभापति महोदय, हमारी सरकार ने फैसल किया है कि हम हर जिले में एक पीएम कॉलेज खोलने का सरकार ने फैसला किया है. यह ऐतिहासिक फैसला है. 55 कॉलेज इसमें संचालित है. 700 पीएमश्री स्कूलों की स्थापना भी की जा रही है. लेकिन इसके साथ साथ हमारे मध्यप्रदेश के चार ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज चाहे वह सागर हो, जबलपुर हो, उज्जैन हो, चाहे रीवा हो. ऐसे चार इंजीनियरिंग कॉलेज बरसों से चल रहे थे उनका उन्नयन करके मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी की स्थापना सरकार करने जा रही है. सरकार ने ऐतिहासिक फैसले हम लोगों के बीच में लिये हैं.

सभापति महोदय—कृपया खटीक जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं और भी वक्ता हैं बोलने के लिये आप कृपया समाप्त करें.

श्री हरिशंकर खटीक—सभापति महोदय, आपने जितना भी बोलने के लिये समय दिया है इसके लिये आपका धन्यवाद.

श्री दिनेश जैन (महिदपुर) -- सभापति महोदय, मैंने अभिभाषण भी सुना और पढ़ा भी. मैंने सदन को भी सुना, सभी ने किसानों के बारे में बात की. लेकिन मध्यप्रदेश में जिस गति से, जिस तेजी से किसानों की जमीनें बिक रही हैं और किसान कौन बन रहा है. चारों तरफ दलाल घूम रहे हैं. किसानों की जमीनों की रोज 50 से 100 रजिस्ट्रियां तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर हो रही हैं. यह जमीन बिक किसकी रही है और इनको खरीद कौन रहा है. बड़े-बड़े आईएएस अफसर, बड़े-बड़े उद्योगपति, बड़े-बड़े व्यापारी. यदि इसी तरह से जमीनें बिकती रहीं, आप आंकड़े देख लीजिए. रोज 50 से 100 रजिस्ट्रियां मेरी तहसील महिदपुर में होती हैं.

सब किसान बेचते हैं. विषय यह है कि किसानों की जमीन ही नहीं बचेगी, तो किसान कौन कहलाऐगा. यह बड़े-बड़े आईएएस अफसर, बड़े-बड़े उद्योगपति. यह बहुत बड़ा विषय है जिस तेजी से किसानों की जमीनें बिक रही हैं, इनको रोकना बहुत जरूरी है. यही कल्याण की बात होगी.

सभापति महोदय, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना सहित कई योजनाएं किसानों को लाभान्वित कर रही हैं. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में प्रदेश के 80 लाख से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रूपए की राशि डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदाय की जाती है. आप 2 हजार रूपए दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है लेकिन जमीन को बेचने से रोकना उससे ज्यादा जरूरी बात है. मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ लेकिन किसान के कल्याण की बात तब ही होगी, जब वह जमीन बेचना बंद करेगा.

सभापति महोदय, मैंने अभी नवीनीकरण ऊर्जा के बारे में बहुत सुना और सौर ऊर्जा सब्सिडी को आपने तीन भागों में बांट दिया है. कुसुम-1, कुसुम-2, कुसुम-3. कुसुम-1 में आप सोलर पंप दे रहे हैं और हीटर, पाइप बहुत सारी चीजें दे रहे हैं लेकिन उनकी लागत कितनी है. 60 हजार रूपए की कोई चीज बाजार में 30 हजार रूपए में भी मिलती है. 40 हजार रूपए में भी मिलती है और उसमें आपने 20 परसेंट सब्सिडी दे दी, तो उसका क्या फायदा हुआ. चलो, इस बात को भी छोड़ दिया जाएगा. आप बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं कि किसानों के लिए दूसरी योजना है, उसमें कोई सब्सिडी नहीं है. जमीनें रोज बिक रही हैं. यह किलोवाट की बात थी, वह मेगावाट की बात है. आपकी योजना में 1 हेक्टेयर जमीन साढ़े चार बीघा जमीन पर जो आज बंजर है, उपजाऊ नहीं है, वहां 1 हेक्टेयर पर अगर आप 1 मेगावाट का पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, तो साढ़े तीन करोड़ रूपए में आपको पड़ेगा. उसमें कोई सब्सिडी नहीं है और बैंक वाला 70 लाख रूपए उसको 20 परसेंट भरवाएगा. तो यह कैसी योजना है. जो बंजर जमीन है सूखी जमीन है. 4-5 बीघा जमीन उसके पास है. वह कहां से 70 लाख रूपए लाएगा. कहां से उसकी सिबिल बनेगी. एक मोबाइल लेने में ही उसकी सिबिल खराब हो जाती है तो इसके कारण किसानों को अपनी जमीनें बेचना पड़ रही है. उद्योगपतियों का राज हो रहा है, आईएएस अफसरों का राज हो रहा है, व्यापारियों का राज हो रहा है. यह जमीनें खरीद कौन रहा है. ये जमीनें वे सब खरीद रहे हैं जो किसान नहीं हैं. किसान की कोई क्षमता नहीं है.

उनकी आय दोगुनी करने की बात की जाती है लेकिन वह नहीं होता है. यह हकीकत है, यह एक्चुअल फैक्ट है. आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए. कितनी जमीनें बिक रही हैं. किसान किसान नहीं रह जाएगा, किसान मजदूर हो जाएगा और किसान बनेंगे वे सब, जो बहुत बड़े लोग हैं. उन सब योजनाओं का फायदा उन लोगों को मिलेगा, किसानों को नहीं मिलेगा.

सभापति महोदय, मैंने नवीनीकरण ऊर्जा के तीनों पार्ट बताए. आप उनकी एमआरपी पर कंट्रोल कीजिए न. वह 80 हजार रूपए पर 20 परसेंट सब्सिडी दे रहे हैं तो क्या मतलब है. 100-100, 1000-1000 बीघा जमीन में आप बोल रहे हैं कि हमने मुरैना में इतना कर दिया, यहां इतना कर दिया, यह जमीनें आयी कहां से. यह जमीनें गरीब किसानों की हैं. वह किसान भीखमंगा हो रहा है वह भीख मांगने पर मजबूर हो रहा है, वह आत्महत्या कर रहा है. उसकी जवाबदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की है. यहां सदन में बैठे हर एक एमएलए की है कि वे उनकी लड़ाई लड़ें. किसानों की लड़ाई लड़ें.

सभापति महोदय, सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं. एक पशुपालन का विषय ले लिया जाए. सरकार का टॉरगेट दो सौ केस बनाने का था. उन्होंने कहा, हमने डेढ़ सौ केस बना दिए. 80 परसेंट योजना हमारी सफल हो गयी. लेकिन डेढ़ सौ योजनाएं जो आपने बैंक में भेजी, बैंक वालों ने उसमें से केवल 2 या 3 व्यक्तियों के लोन पास किए हैं. बाकी के लोन पास नहीं किये हैं, सरकार की योजनाएं फेल हो रही हैं. रिकार्ड में लगता है कि योजनाएं पास हो रही हैं. इसके कारण किसान अपनी जमीनें बेचने के लिए मजबूर हो रहा है. मेरी हाथ जोड़कर विनती है, चांद पर पहुंचना जरूरी है लेकिन किसानों को बचाना भी जरूरी है. चांद पर पहुंचना तभी सफल होगा जब गरीबी, भुखमरी और किसानों को बचा पाएंगे. आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन किसान जिंदा नहीं है. हमें न्याय नहीं मिलता है. आप एसडीएम के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, जिनको हक मिलना चाहिए, उनको हक नहीं मिलता है. नामांतरण उनके हो जाएंगे जो रिश्वत दे देगा. मैं कोई देखकर नहीं बोल रहा हूं, यह हकीकत है. जो देखा है वही मैं सदन में बोल रहा हूं और मेरी जवाबदारी है, अगर मैं विधायक बनकर आया हूं तो हकीकत से वाकिफ कराऊं, उसमें पक्ष और विपक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूं. मैं किसानों की हकीकत की बात कर रहा हूं. आप बोलते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना, मैं सभी विधायकों से पूछना चाहता हूं, एक कि.मी. से दो कि.मी., एक कि.मी. से पांच कि.मी. तक के गांव अभी भी प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़े हुए नहीं हैं. अभी भी गांवों में लोगों की

शादियां नहीं होती है क्योंकि आपके यहां पर सड़क ही नहीं है. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी हमें जवाबदारी लेना है. किसानों की आय कैसे बढ़े, नवीकरणीय ऊर्जा में बदलाव हो, किसानों को भी सब्सिडी मिले. जो भाव बहुत ज्यादा हैं वह कम हो. इन सब किसानों की मांग और मैं महिदपुर की भी मांग रखता हूं. मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कहीं यह नामांतरण, बंटवारे के रेट डिसाइड नहीं हों. 25 हजार रुपये, 50 हजार रुपये देंगे, यह रेट डिसाइड हो गये हैं.

सभापति महोदय, अब बात ले लेते हैं मेडिकल की, हेल्थ एजूकेशन की. साहब, बिल्डिंग तो बन गई, स्वास्थ्य केन्द्र बन गये. मेरी महिदपुर तहसील में एक भी डॉक्टर नहीं है. पूरे मध्यप्रदेश की यह हालत है. बिल्डिंग किस काम की जिसमें इलाज के लिए डाक्टर नहीं हैं. अभी दिशा की मीटिंग में मैं बैठा था. सांसद जी ने कोविड में वहां पर ऑक्सीजन प्लांट दिया था. मुझे पता लगा, मैंने वहां पर प्रश्न उठाया तो मालूम हुआ कि वह चालू ही नहीं है. सांसद निधि से बना हुआ ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं है. 18-20 मेरे यहां स्वास्थ्य केन्द्र हैं, वहां कोई डॉक्टर नहीं है. एक नगरपालिका में डॉक्टर है, वह भी आर्थोपेडिक्स का है तो यह कैसी दुर्दशा कर रखी है. इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए. इसी तरीके से स्कूल की हालत है, स्कूल में शिक्षक नहीं हैं. कैसे भारत की नींव बनेगी, पहले ही ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बहुत हल्का है उनके पास सीबीएससी कोर्स भी नहीं है. एमपी बोर्ड से पढ़ते हैं और उसमें टीचर्स नहीं हैं. यह हिन्दुस्तान की कैसी दुर्दशा है और उस मध्यप्रदेश की और मैं चाहूंगा कि इन सब चीजों पर ध्यान देकर कम से कम मेरी महिदपुर तहसील में जरूर कुछ न कुछ करवाएं ताकि लोगों को न्याय मिले. बहुत बहुत धन्यवाद.

डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान (नागदा-खाचरोद) - सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं. मुझे लगता है कि उनके भाषण को प्रतिपादित करते हुए एक ही बात यदि कही जाय मध्यप्रदेश बनने के पश्चात् कांग्रेस के पूरे शासनकाल में यदि पूरे मध्यप्रदेश भर में सिंचाई का रकबा सरकारी संसाधनों से होता था तो वह मात्र 7 लाख हैक्टेयर भूमि होता था, लेकिन वर्तमान की सरकार में लगातार सिंचाई के क्षेत्र में काम करते हुए सरकार ने नये आयाम स्थापित किये हैं. वर्तमान में डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पार्वती-कालीसिंध-चंबल सिंचाई परियोजना को मंजूरी देकर 35 हजार करोड़ रुपये की. जिसमें मालवा अंचल के 11 जिले आयेंगे, बुन्देलखण्ड सहित

और केन-बेतवा परियोजना के अंतर्गत केवल इन दो योजनाओं को यदि हम देखें तो इन दो योजना से ही 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होने वाली है. मध्यप्रदेश बनने के बाद से केवल 7 लाख हेक्टेयर भूमि और वर्तमान की सरकार में केवल इन दो परियोजनाओं के माध्यम से 7 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना यह सरकार की बड़ी उपलब्धि है. प्रदेश की सरकार किसानों के हित में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके युवाओं के कल्याण की बातों को आगे बढ़ाते हुए, महिलाओं के सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए नये विकास को आयाम दे रही है.

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले दिनों में मुख्य मंत्री जन-कल्याण के माध्यम से गांव-गांव, पंचायत-पंचायत पहुंचने का काम किया, नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक वार्डों में पहुंचने का काम किया और मध्यप्रदेश सरकार के लगभग11-12 विभागों के उन तमाम हितग्राहियों को चिन्हित करने का काम किया, जो मध्यप्रदेश की विभिन्न योजनाओं के पात्र होते हुए भी अभी उसका लाभ लेने से वंचित थे. मध्य प्रदेश में लगभग लाखों लोगों को फिर से इन योजनाओं में जो पात्र होने के बाद भी नहीं जुड़ पाये थे उनको जोड़ने का काम किया है.

सभापति महोदय, मध्यप्रदेश की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भू-स्वामित्व उनको क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट की तरह उनको सम्पत्ति देने का काम किया है. गांव में शहरों में मध्य प्रदेश की सरकार ने 70 से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ देकर, उनको चिन्हित करके और उनको कार्ड बनाकर वितरित करने का काम किया है.

सभापति महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे देश भर में किसी भी परिवार में किसी वृद्धजन के इलाज के लिये और उस वृद्धजन के इलाज के लिये और उस वृद्धजन के इलाज के लिये जिसने अपने परिवार को खड़ा करने के लिये अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया है, चाहे बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके रोजगार लगाने तक और उन्हें व्यवसाय तक खड़ा करने की बात हो. लेकिन जब उसी वृद्ध व्यक्ति के इलाज की बात आती है तो फिर परिजन इस बात पर विचार करने लगते थे कि इनके इलाज में तो पांच लाख रूपये खर्च होने वाले हैं, इनके इलाज में तो 2-4 लाख रूपये खर्च होने वाले हैं. वही परिजन जो अपने बच्चों के इलाज में या अपने स्वयं के इलाज में लाखों रूपये खर्च कर देता था लेकिन एक वृद्धजन के इलाज को कराते समय उसके परिवार के लोग उस खर्चे पर विचार करने लगते थे, लेकिन सरकार ने उनकी पीड़ा को महसूस करने का काम किया है.

मान्यवर् मोदी जी के सहयोग से, केन्द्र सरकार के इस योजना का क्रियान्वयन जो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, उसमें एक विशेष बात यह रखी है कि इसमें गरीबी रेखा का कोई मापदण्ड नहीं रखा, चाहे वह शासकीय कर्मचारी हो, चाहे वह 100 बीघा का काश्तकार हो, चाहे वह व्यापारी रहा हो अगर वह बीमार है और 70 प्लस का है तो उसे पांच लाख रूपये का आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभ देने का काम सरकार करेगी और मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो इन बातों को शामिल किया गया है, वह अक्षरश: सही प्रमाणित हो रही है.

सभापति महोदय, मध्य प्रदेश मान्यवर् मोदी जी के नेतृत्व में उनके साथ में वर्ष 2047 तक विकसित प्रदेश की और आगे बढ़ना चाहता है और मध्य प्रदेश विकसित प्रदेश की राह पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है. मैं सदन को इस बात से भी अवगत कराना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अभी वर्ममान में जिस तरीके से देव-स्थानों को विकसित करने का काम किया है और उनको विकसित करने के साथ-साथ, जो रोजगार के नये संसाधन विकसित हुए हैं, वह अद्भूत हैं. हम यदि केवल एक महाकाल लोक के निर्माण को देख लें तो महाकाल के लोक के निर्माण में घर-घर विश्राम गृह बनने का काम हुआ है. जिसके घर में यदि 1 या 2 कक्ष की भी अतिरिक्त जगह थी तो उसने अपने घर पर अतिथिगृह बनाकर और लगभग महीने के तीस से चालीस हजार कमाने का काम किया है. नये रोजगार के तहत ई-रिक्शा के माध्यम से, चाय की दुकानों के माध्यम से, स्टेशनरी, पूजा के सामान की सामग्री के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिलने का काम हुआ है. जहां महाकाल मंदिर उज्जैन में दर्शन के लिये केवल लाख एवं डेढ़ लाख लोग आया करते थे, आज वहीं पर लगभग सात लाख से ज्यादा लोगों का आवागमन रोजगार के नये संसाधनों के साथ हमारी धार्मिक आस्था को भी बढ़ाने का का काम कर रहा है और यह केवल मध्य प्रदेश सरकार का विषय महाकाल लोक, उज्जैन तक नहीं है. चाहे सल्कनपुर माता जी का मंदिर हो, चाहे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थान हो.

ऐसे सारे स्थानों पर मध्यप्रदेश की सरकार विकास करके पर्यटन के साथ साथ रोजगार के नये संसाधनों को भी उपलब्ध कराने का काम कर रही है और इसलिये मैं आज इस सदन में समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए इतने ही विषय पर अपनी बात को समाप्त करता हूं. सभापति महोदय, मेरी ओर देख रहे हैं, वे टोकें, उसके पहले ही मैं अपन कथन को समाप्त करता हूं.धन्यवाद.

सभापति महोदय-- डॉ. साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. आप बहुत विद्वान हैं, अनुभवी हैं. बाकी सदस्यगण भी सब अनुभवी एवं विद्वान हैं, वह भी इसका अनुसरण करेंगे, तो सुविधा रहेगी.

श्री महेन्द्र नागेश (गोटेगांव)-- सभापति महोदय, मैं राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन में खड़ा हूं. हमारी सरकार जिन जिन विभागों में काम कर रही है, उनका राज्यापल जी ने अभिभाषण में उल्लेख किया है. हमने अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं देखी, क्योंकि कभी आवेदन और निवेदन बगैर किये हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास देकर गरीबों के मकान बनवाये. इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव की दशा को देखते हुए उस समय प्रधानमंत्री सड़क योजना दी, जिस पर आज हम सुलभता से जा रहे हैं. हमने सुना था कि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम किसी हितग्राही को एक रुपया देते हैं, तो उसके खाते में 15 पैसे जाते हैं. लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी सरकार अगर किसी हितग्राही को एक रुपये भी देती है, पूरा का पूरा पैसा हित्ग्राही के पास में जाता है. हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा था, उनको पूरा करने का काम हमारी मोदी जी की सरकार कर रही है. कहीं प्रदेश में सूखा, बाढ़ आ जाती थी, कभी क्षेत्र में कैसे पानी पहुंचे, उसके लिये नदी जोड़ो अभियान प्रारम्भ किया. हम जिस क्षेत्र से आते हैं, गोटेगांव विधान सभा है, अनुसूचित जाति की, पिछड़ी विधान सभा है. अभी हमने देखा कि एक वर्ष में मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, मंत्री जी के माध्यम से हमारे क्षेत्र में चहुमुखी विकास के लिये हम बढ़ रहे हैं. हमारे पास अभी और भी समय है. आज हम धन्यवाद कहना चाहते हैं, वित्त मंत्री, देवड़ा जी को, जिन्होंने सभी क्षेत्र में अपना बजट बढ़ाकर उससे पूरे प्रदेश में हम सबको उसका लाभ मिलेगा. हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं.

सभापति महोदय—बहुत बहुत धन्यवाद महेन्द्र जी.

श्री दिनेश राय मुनमुन (सिवनी)—सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद. मैं राज्यपाल जी के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करने एवं धन्यवाद देने के लिये खड़ा हुआ हूं. राज्यपल जी के अभिभाषण में मध्यप्रदेश की जो प्रगति हम देख रहे हैं 20 सालों में जो सड़कें गांव से शहर आने के लिये बनी थीं, जहां लोग पहले छकड़ों से शहर आते थे, आज प्रधान मंत्री सड़क, मुख्यमंत्री सड़क, जिसके माध्यम से जो विकास हुआ है, वह वास्तव में

मध्यप्रदेश में इन 20 सालों में देखने को मिल रहा है. आज मैं शिक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में बात आ रही थी कि सीएम राइज स्कूल क्यों बनाया जा रहा है और पुराने, छोटे स्कूलों को खतम किया जा रहा है. मैं कहना चाहूंगा कि गरीबों के बच्चे प्रायवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं. सिर्फ बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं. अगर यह सीएम राइज स्कूल खुलता है, तो उनके बच्चों के लिये अच्छ से शिक्षक, अच्छी व्यवस्थाएं और साथ में उनको 20 किलोमीटर के अन्दर उनको लाने और ले जाने के लिये जो बसें लगाई जायेंगी हमारी सरकार की तरफ से, वह भी अपने आपको गौरवान्वित महसूस करेंगे और हमारे प्रदेश के बच्चे बेहतर स्कूल में पढ़ने का काम करेंगे. जो प्रायवेट स्कूलों में शिक्षा नहीं हो रही है, जहां उनको फीस भी देना पड़ती है. ऐसे काम हमारी सरकार कर रही है. आज मेडिकल कालेज, मैं कहना चाहता हूं कि मैं जहां से आता हूं सिवनी, जहां आज मेडिकल कालेज स्टार्ट हो गया. लगभग 100 बच्चे डॉक्टर बनकर के निकलेंगे , तीन जगह का हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने उसका लोकार्पण किया था. आने वाले समय में शीघ्र ही हमारे यहां हास्पीटल भी प्रारंभ होने जा रहा है .हमारे वित्त मंत्री जी को इसके लिये धन्यवाद देता हूं.

सभापति महोदय, रोजगार की बात सदन में आई थी मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं कि आज गांव में भी अगर हम लेबर ढूढने के लिये जाते हैं तो हमें लेबर नहीं मिलते हैं. आप रोजगार को सिर्फ नौकरी के रूप में मत देखिये, मैं तो कहता हूं कि लोगों को नौकरी देने वाला बनना चाहिये, आज व्यवसाय से हमारी सरकार ने स्ट्रीट वेंडर से जो स्टार्टअप किया है, आज ही माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में हमने देखा है कि 39 और औद्योगिक केन्द्र खुल रहे हैं. लोगों के पास में समृद्धि आ रही है, व्यवसाय आ रहा है और वे खुद सक्षम बन रहे हैं. नौकरी करने वाले नौकर हो सकते हैं लेकिन मालिक बनाने का काम मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव जी की सरकार और केन्द्र में मोदी जी की सरकार कर रही है. इसके लिये में साधुवाद देना चाहता हूं.

सभापति महोदय, आज हमारे प्रदेश के बच्चे विदेश में जाकर के पढ़ेंगे, लगभग 50 बच्चे प्रदेश से जाकर के विदेश में पढ़ेंगे, इस दिशा में भी हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है. शेरों के बारे में कहना चाहता हूं कि पिछले 20 सालों में जंगलों में शेर खतम हो गये थे, आज शेरों की संख्या बहुत बढ़ गई है, नेशनल पार्क में तो हम शेरों को देखते ही हैं आज वह शेर हमारे खेतों

में ,गांव में आ रहे हैं, कहीं न कहीं शेरों की रक्षा और सुरक्षा संरक्षण के कारण ही प्रदेश में ऐसी स्थिति शेरों की बनी है.

सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री सहायता योजना और आयुष्मान योजना के माध्यम से लाखों गरीबों की जान को बचाने का काम हमारी सरकार कर रही है. लाड़ली लक्ष्मी योजना के बारे में कहना चाहता हूं कि पूर्व में बिटिया के जन्म लेने से पूर्व सामाजिक कुरीतियों के कारण मां की कोख में ही उसकी हत्या कर दी जाती है. आज लाड़ली बिटिया सम्मान से जन्म लेती है, उसका विवाह भी हमारी सरकार कर रही है, आज अगर लाड़ली लक्ष्मी बहना से कोई विवाह करना चाहता है तो स्वयं उसका पूरा खर्चा सरकार उठाती है. इस योजना का गरीब वर्ग को बहुत बड़ा फायदा मिला है.

माननीय सभापति महोदय, हमारे छिंदवाडा-सिवनी में पेंच व्यपवर्तन योजना है वहां पर सूखा रहता था एक फसल मुश्किल से लोग लेते थे आज इस योजना में सिंचाई के माध्यम से देश में, और नदी से नदी जोड़ने की जो योजना हमारी डबल इंजन की सरकार ने लाई है, उसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, क्योंकि एक समय था जब हमारे नदी नालों में पानी 12 महिने बहता था, आज क्यों नहीं बहता है उसका कारण भी आपको समझना होगा, उस समय लोग इंजन से पानी लेते थे, आज हमारे यहां बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है, संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है तो किसान हर छेद से पानी निकालकर के अपनी फसलों को बहुत अच्छे तरीके से पैदा कर रहा है जिससे फसल का उत्पादन भी बढ़ रहा है. सभापति महोदय जो शेष गांव हमारे क्षेत्र के जोड़े गये हैं उसके लिये मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि नल जल योजना के माध्यम से, लिफ्ट माइक्रो इरीगेशन भी आपने हमें दिया है इसके लिये भी मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं.

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार गरीबों को अनाज का वितरण करती है. इसमें मेरा सुझाव है मैं चाहता हूं कि गरीबों को जो आप अनाज दे रहे हैं उसकी तुलना में अगर आप गरीबों को नगद राशि दें तो हमारे किसानों से वह अनाज खरीदेंगे भी, किसान भी सक्षम बनेगा और गोदाम में लाना-ले जाना,ट्रांसपोर्टिंग करना फिर गरीबों तक पहुंचाने में जो अतिरिक्त भार आता है उसको कहीं कम करने के लिये योजना बनाई जाये ऐसी मैं वित्त मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं.

माननीय सभापति महोदय, एक बात मेरे मन मे है वह मैं सदन में कहना चाहता हूं कि आरक्षण का लाभ जिनको मिल रहा है उनको मिलना चाहिये, हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिये भी आरक्षण बढ़ाया है इसके लिये धन्यवाद लेकिन मेरा निवेदन इसमें यह है कि आप ऐसा मापदंड लायें कि जो गरीब है, कमजौर है वह उस आरक्षण का लाभ ले, अधिकांश देखने में आता है कि सक्षम व्यक्ति ही उसका लाभ ले जाता है. गरीब तो गरीब ही रह जाता है उसके लिये अनुरोध है कि ऐसी कोई व्यवस्था सरकार बनाये.

सभापति महोदय, पुलिस विभाग के बारे में कहना चाहता हू कि पुलिस कर्मचारियों की बहुत हैवीड्यूटी होती है, शनिवार और इतवार में कम से कम एक दिन तो उनको छुट्टी के लिये प्रावधान होना चाहिये. गौशाला हमारे यहां खुली हैं, संधारण बहुत अच्छा हो रहा है. गौ अभ्यारण्य भी है, लेकिन अभी जिस तरीके से गौकशी (गाय की तस्करी) हमारे यहां हो रही है, जिसको लेकर के उनको पकड़ा भी जा रहा है, अंदर भी किया जा रहा है, तो अनुरोध है कि इसके लिये कानून को और कड़ा किया जाये, उस गाय माता के मांस को बेच न सकें, इसके लिये कठोरतम कानून बने जिसमें हम सबकी आस्था जुड़ी हुई है, आपसे विशेष आग्रह करता हूं कि बच्चियों को हम स्कूटी दे रहे हैं, सायकिल हम दे रहे हैं, लेप-टॉप हमारी सरकार दे रही है, कहीं न कहीं हमारी सरकार ने प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाया है इसके लिये सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा.

सभापति जी, नगरीय प्रशासन मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूं कि प्रदेश मे अवैध कालोनियां बढ़ रही हैं. किसान भी उसकी जमीन की अधिक कीमत मिलने के कारण प्लाट काट कर के बेच रहा है, अधिक कीमत मिलने की वजह से प्लाट बेच रहा है और अवैध कॉलोनियां डेवलप करने की नगर पालिका और नगर परिषद की ड्यूटी बनती है. इन कॉलोनियों का डेवलपमेंट करेंगे तो हमारी राशि इसी में खर्च हो जाती है. अवैध कॉलोनियों को रोकें, वैध करें और उनसे पूरा काम करवाएं. सिवनी में 6 माह से सीएमओ खत्म हो गया है. नगर पालिका प्रभारी दो दिन के लिए आती हैं. मेरा निवेदन है कि वहां के लिए पूर्णकालिक सीएमओ पदस्थ किया जाए. मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ.

श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार (चित्रकूट) -- माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में अपनी बात रखना चाहता हूँ.

सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उनके डेढ़ साल के छोटे से कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हैं. नए बीज और टेक्नालॉजी को बढ़ावा दिया है. इससे खेती में विकास हो रहा है. गेहूं का रेट 175 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया है. 4 हजार रुपए प्रति हेक्टयर धान का रेट बढ़ाया गया है. इस प्रकार किसानों का सम्मान किया है. 6 हजार रुपए किसान कल्याण के रुप में उनकी सरकार दे रही है. सिंचाई के क्षेत्र में केन-बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से साढ़े दस लाख हेक्टयर भूमि सिंचित होगी. चंबल नदी जोड़ो और ताप्ती बेसिन योजना से लगभग 11 जिले सिंचित होंगे. कई राज्यों को भी पानी जाएगा. इससे सिंचाई क्षेत्र का रकबा बढ़ेगा. अभी करीब 50 लाख हेक्टयर में सिंचाई हो रही है इसे वर्ष 2028 तक 100 लाख हेक्टयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है. आज से 21 साल पहले पूरे मध्यप्रदेश में केवल 7 लाख हेक्टयर भूमि सिंचित हो रही थी. आज लगभग 8 गुना से ज्यादा भूमि सिंचित हो रही है. मध्यप्रदेश को पूर्व में 7 कृषि कर्मण पुरस्कार भारत सरकार से प्राप्त हो चुके हैं. इस बार धान की खेती बहुत हुई है और गेहूं का उत्पादन भी ज्यादा होने की उम्मीद है. इससे लगता है कि इस साल भी कृषि कर्मण पुरस्कार मध्यप्रदेश सरकार को मिलने वाला है.

सभापति महोदय, विद्युत के क्षेत्र में विद्युत विभक्तीकरण का काम हो रहा है. इससे पॉवर कनेक्शन और प्रकाश कनेक्शन अलग अलग किए जा रहे हैं. इससे किसानों की मोटर पूरी क्षमता से चल सकेंगी और लोगों को प्रकाश भी मिलेगा. इस योजना से विद्युत के क्षेत्र में सुधार हो रहा है.

सभापति महोदय, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत गांवों में भी शहरों की तरह नलजल योजना से लोगों तक पानी जाए यह प्रयास किया जा रहा है. अभी जितने जलाशय बने हैं और जितने बनने जा रहे हैं उनसे गांव-गांव तक पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है. हमारे सतना जिले में 2150 करोड़ रुपए की लागत से यह राष्ट्रीय जल जीवन मिशन योजना का काम चालू है. मुझे लगता है कि साल डेढ़ साल के अंदर यह पानी किसानों और उपभोक्ताओं के घर-घर पहुंच जाएगा. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन भी विधायक के क्षेत्र में जिन कामों की जरूरत है उनको 15-15 करोड़ रुपए पहले एक साल के लिए दिया अब उन्होंने उसको बढ़ाकर पूरे पांच साल के लिए कर दिया है. प्रत्येक वर्ष के लिए 15 करोड़ रुपए की कार्ययोजना है, पैसा दे भी रहे हैं मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं. (व्यवधान)

श्री सोहनलाल बाल्मीक-- हमको तो पता ही नहीं है. यह कहां 15-15 करोड़ रुपए हमको तो एक करोड़ भी नहीं मिला है. बहुत बहुत धन्यवाद. यही सबका साथ सबका विकास है. (व्यवधान)

सभापति महोदय-- सुरेन्द्र सिंह जी आप अपनी बात जल्दी पूरी करें. (व्यवधान)

श्री सोहनलाल बाल्मीक-- लज्जा आना चाहिए यह हमारे साथ नहीं इस प्रदेश की जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है. (व्यवधान)

श्री दिलीप सिंह परिहार-- अपने 15 महीने के कार्यकाल को याद कर लो.

श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार-- गरीब, युवा, अन्नदाता के कल्याण के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है. नौजवानों के लिए विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना प्रारम्भ हुई है. यह काम भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है. माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार को बहुत-बहुत बधाई दूंगा कि संभागीय स्तर पर पूरे प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट के बड़े-बड़े कार्यक्रम हुए. भोपल में माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे और मुझे यह कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि पहली बार ऐसा हुआ तीस लाख करोड़ से ज्यादा के आवेदन प्राप्त हुए हैं बड़े-बड़े उद्योग लगाने के लिए. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा डेयरी विकास के माध्यम से पांच रुपए प्रति लीटर दूध उत्पादन किसानों को पृथक से बोनस के रूप में दिया जाएगा और 40 रुपए प्रति पशु उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए दिये जाएंगे मैं उनको धन्यवाद दूंगा. लाड़ली लक्ष्मी योजना, हमारे विपक्ष के साथी बहुत ही हल्ला मचा रहे थे कि यह योजना बंद होने वाली है लगभग डेढ़ हजार करोड़ रुपए प्रतिमाह लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिये दिये जाते हैं. अभी जो गांव सड़क विहीन रह गए हैं वह मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना के अंतर्गत सड़क विहीन न रह जाए इसके लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखी है.13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वहीं सरकार 17 सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाकर इलाज की सुविधा गांव गांव तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है. निश्चित रूप से यह प्रशंसनीय काम है. स्वसहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को उनकी तरक्की के लिए सरकार द्वारा मदद की जा रही है. चित्रकूट रामपथ गमन के विकास के लिए आज के बजट में भी इस विषय पर चिंता हुई है. मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद चित्रकूट को चित्रकूट विकास प्राधिकरण घोषित किया गया. महाकाल उज्जैन, बाबा काशी विश्वनाथ और अयोध्या की तर्ज पर चित्रकूट का अध्यात्मिक और धार्मिक विकास हो इसके लिए उन्होंने राम महालोक बनाने की सोची है उनको धन्यवाद दूंगा. अभी

कई बैठकें हो चुकी हैं जिसमें 650 करोड़ रुपए से बढ़ाकर माननीय मंत्री कैलाश जी के नेतृत्व में बैठक हुई.

5.29 बजे **अध्यक्षीय घोषणा**

सदन के समय में वृद्धि विषयक

सभापित महोदय-- माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन की चर्चा जारी रहे और चर्चा में भाग लेने हेतु शेष सदस्यों के भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है. सुरेन्द्र जी आप अपनी बात जारी करें.

5.30 बजे

राज्यपाल के अभिभाषण पर श्रीमती अर्चना चिटनीस सदस्य द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण (क्रमश:)

श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार- माननीय सभापति महोदय, 37 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाने का लक्ष्य है. प्रधानमंत्री आवास में जो गरीब रह गए हैं, प्रधानमंत्री आवास का पंजीकरण 31 मार्च तक हो रहा है. कोई गरीब परिवार शेष न रहे, सभी के पास पक्के मकान हों इसलिए प्रधानमंत्री जी की गांव-गांव तक गरीबों को घर पहुंचाने की योजना चली है. मैं, उसका समर्थन करता हूं. सी.एम.राईस स्कूल की कई बातें कही जा चुकी हैं, गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल मिलेगा, खासकर मेरी विधान सभा जहां गरीबों की संख्या अधिक है, वहां भी अच्छा स्कूल मिलेगा. विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदाय की भी चिंता हुई है. विक्रमादित्य की वैदिक घड़ी को पुनर्जीवित करने के लिए, जिससे कालगणना की जाती थी, उज्जैन में उसका विस्तार हो रहा है. मैं, राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा-

"मनुज वही जो पथ की पीड़ायें सहता है,
हार मानता नहीं निरंतर आगे बढ़ता है,
प्रतिबंधों से कभी न अपना शीश झुकाना,
राह कठिन है पथिक कहीं घबरा मत जाना"

सभापति महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं. आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद.

सभापति महोदय- कटारे जी, चूंकि सदन के समय में वृद्धि की गई है, सदन द्वारा सहमति दी गई है. आपके भाषण के समय काफी व्यवधान हो गया था और आप अपनी बात रखना चाह रहे थे. यदि आप, अभी अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा समय का ध्यान रखकर, सीमित करते हुए, विषय बिंदु को लेते हुए, जितना संक्षेप में अपनी भावना व्यक्त कर सकें, कर सकते हैं.

श्री हेमंत सत्यदेव कटारे (अटेर)- धन्यवाद, सभापति महोदय. आपने मुझे यह अवसर दिया है, मेरे विधायक बनने के बाद, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि मुझे एक आरोप पत्र, प्रमुख सचिव विधान सभा के माध्यम से प्राप्त हुआ है. इसमें कुछ जानकारियां, बिंदु क्रमांक 1 से 8 तक संलग्न की गई हैं लेकिन मुझे संलग्न जानकारी प्राप्त नहीं हुई है. (XX) मैं, उसे पूरी तरह पढ़कर, एक-एक जानकारी लेकर जवाब दूंगा. मेरा एक और आग्रह है कि जिन्हें मैं उत्तर देना चाहता हूं, मैं स्वयं भी उनसे निवेदन कर लूंगा लेकिन मेरा फोन नहीं उठायेंगे, आप भी निवेदन कर लें, यदि वे उपस्थित रहें तो उनके सामने जवाब दूंगा.

सभापति महोदय, मुझे अभी प्राप्त आरोप पत्र में तकनीकी समस्या यह है कि मुझे पत्र में संलग्न जानकारी प्राप्त नहीं हैं तो मैं जवाब कैसे दूंगा ? उत्तर तब ही दे पाऊंगा, जब मुझे वह प्राप्त होगा इसलिए मुझे कृपया आप सारी जानकारी अतिशीघ्र उपलब्ध करवायें, फिर मैं, उसका उत्तर देता हूं.

सभापति महोदय, मेरे उत्तर के लिए आप कल या 17 मार्च को कोई भी समय पूर्व निर्धारित कर देंगे तो उचित होगा, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है.

साथ ही मुझे प्राप्त पत्र में कोई क्रमांक, दिनांक नहीं दिया गया है. जो भी माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्हें थोड़ा सामान्य ज्ञान भी पहुंचायें कि बिना दिनांक और क्रमांक के पत्र

नहीं आते हैं, वह भी ऐसा पत्र जो विधान सभा के अध्यक्ष महोदय को लिखा जा रहा है, थोड़ा-सा सामान्य ज्ञान उनको दिया जाता तो सही होता, धन्यवाद

सभापति महोदय- ठीक है.

डॉ. राजेश सोनकर- सभापति महोदय, सदन के वरिष्ठ सदस्य के बारे में बार-बार [XX] और इस प्रकार के शब्द कहना अनुचित है. वे बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, उनकी गरिमा का ध्यान रखा जाये.

श्री सोहनलाल बाल्मीक- क्यों जब वे [XX] शब्द बोल रहे थे तो आपको समझ नहीं आ रहा था ?

(...व्यवधान...)

श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव- आप तब कहां गये थे, जब उन्होंने सदन की सारी मर्यादायें तोड़ी थीं ?

श्री पंकज उपाध्याय- वे वरिष्ठ सदस्य हैं तो वे कुछ भी बोलेंगे क्या ?

(...व्यवधान...)

श्री राजन मण्डलोई- आपको सब माफ है ? शुरूआत किसने की थी ?

सभापति महोदय- ये सब शब्द विलोपित किये जायें. यह विषय हो चुका है. इसे पुन: न दोहरायें. कृपया आप सभी बैठ जायें.

(...व्यवधान...)

श्री नीरज सिंह ठाकुर (बरगी) - माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ.

माननीय सभापति महोदय, मध्यप्रदेश देश का हृदयस्थल है. यह देश के मध्य और हृदय में स्थित है. मध्यप्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और औद्योगिक रूप से पहले से ख्याति रही है. इसकी अपनी अलग पहचान रही है. मध्यप्रदेश की संस्कृति, इतिहास, वन्यजीव, वन क्षेत्र, तीर्थस्थल, प्राकृतिक सौन्दर्य और उद्योग के लिए मध्यप्रदेश पूर्व से ही प्रसिद्ध रहा है. यहां पर महाकाल मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, खजुराहो मंदिर, सांची स्तूप, राष्ट्रीय उद्यान में

.....

XX : आदेशानुसार विलोपित.

बान्धवगढ़ राष्ट्रीय पार्क एवं कान्हा नेशनल पार्क हैं, अमरकंटक एवं चित्रकूट जैसे पवित्र स्थल हैं, धुंआधार जलप्रपात है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे यहां की चन्देरी और माहेश्वरी साड़ियां भी प्रसिद्ध हैं. हमारे यहां का शरबती चावल, रतलाम का नमकीन, मुरैना की गजक हो, इसके लिए मध्यप्रदेश की अपनी अलग पहचान रही है.

सभापति महोदय, मध्यप्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अभी लगभग 14 लाख करोड़ रुपये के आसपास है और हमारे देश की जीडीपी अभी लगभग 3,026 लाख करोड़ रुपये के आसपास है. इस हिसाब से हमारा जीडीपी में कॉन्ट्रिब्यूशन 4 प्रतिशत है और देश के टॉप 10 राज्यों में हमारा जीडीपी में कॉन्ट्रिब्यूशन है, इसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, हम आने वाले समय में टॉप 5 राज्यों में आ सकते हैं. जैसा हमारे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी की सोच है. हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट अभी 11.5 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है, जीएसडीपी में, मैं मेजर सेक्टर्स कॉन्ट्रिब्यूशंस की बात करूँ, तो मैं 3 सेक्टर्स में उनको बांटूँगा. एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का लगभग मध्यप्रदेश का 36 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 24 प्रतिशत का कॉन्ट्रिब्यूशन है. जब हम राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तुलना करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कॉन्ट्रिब्यूशन 17 प्रतिशत, 55 प्रतिशत और 27 प्रतिशत है.

सभापति महोदय, इन आंकड़ों के आधार पर, मैं यह कह सकता हूँ कि मध्यप्रदेश कृषि आधारित और कृषि प्रधान राज्य है और किसान कल्याण को मिशन के रूप में लेकर हम मध्यप्रदेश में काम कर रहे हैं. कृषि के क्षेत्र में हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम किया है, उसके आधार पर मध्यप्रदेश को पूर्व में 7 बार लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. वर्तमान में 80 लाख किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है, अभी तक 11 किश्तों में किसानों को लगभग 18,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है, यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से उनके खातों में ट्रांसफर हुई है. हमने घोषणा-पत्र में, जिसे हम संकल्प पत्र भी कहते हैं. उसमें किसानों को 2,700 रुपये प्रति क्विंटल के मान से गेहूँ उपार्जन की बात कही थी, पांच वर्ष में हमें इस दर पर गेहूँ खरीदना था. लेकिन मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि मात्र सवा साल में हमारी सरकार 2,600 रुपये प्रति

क्विंटल में गेहूँ उपार्जन करने जा रही है, एवं अगले वर्ष तक संभवत: हम 2,700 रुपये प्रति क्विंटल के मान से गेहूँ खरीदेंगे. जैसा कि हमने संकल्प-पत्र में जनता से वादा किया था. इसी तरह हमने धान खरीदी में जो संकल्प-पत्र में 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से वादा किया है, उसको भी हम अपनी समय-सीमा में पूरा करेंगे.

सभापति महोदय, मध्यप्रदेश सोयाबीन उत्पादन के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है. इतिहास में पहली बार हम सोयाबीन की एमएसपी जो 4,892 रुपये प्रति क्विंटल है, उस पर खरीदने का सरकार ने निर्णय लिया है. हमारी सरकार जैविक, प्राकृतिक और उद्यानिकी खेती को भी प्रोत्साहित कर रही है. उद्यानिकी फसल का रकबा 20 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 30 लाख हेक्टेयर हम करने जा रहे हैं. इस तरह से सोयाबीन के क्षेत्र में अग्रणी उत्पादक राज्य के रूप में हम रहने वाले हैं. आगामी 3 वर्षों में हम किसानों को 30 लाख सोलर पम्प देने जा रहे हैं. इससे जहां एक ओर बिजली बिल से उन्हें मुक्ति मिलेगी, दूसरी ओर उत्पादन लागत जो कृषि की है, वह कम होगी और साथ में सौर ऊर्जा पर जो बिजली का उत्पादन होगा, उसको भी खरीदकर हम किसान की आय बढ़ाएंगे. किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता भी बनेगा. आगामी 5 वर्ष में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और जल संसाधन विभाग के द्वारा सिंचाई क्षमता को लगभग 56 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर लगभग 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें अटल बिहारी वाजपेई, पूर्व प्रधानमंत्री जी के सपने की मुझे याद आती है, उन्होंने कहा था कि भारत देश में हमें नदियों को जोड़ना चाहिए. उनके संकल्प को यदि किसी ने पूरा किया है तो हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ. केन बेतवा लिंक परियोजना, पीकेसी, पार्वती कालीसिंध चम्बल लिंक परियोजना, इस अंतर्राज्यीय परियोजना से जहां हम नदियों को जोड़ रहे हैं, वहीं मुझे लगता है कि किसानों की लगभग 15 लाख हेक्टेयर जमीन को हम सिंचित करेंगे. इससे 21 से ज्यादा जिलों को लाभ होने वाला है. 75 हजार करोड़ रुपये की लागत की इस योजना से मध्यप्रदेश को लाभ होने वाला है. मैं आगे बढ़ूँगा और कृषि क्षेत्र में कृषि आधारित एक और उद्योग की बात करूंगा. हमने राष्ट्रीय डेयरी डेव्लपमेंट बोर्ड के साथ जो अनुबंध किया है, उसके आधार पर मध्यप्रदेश भविष्य में डेयरी कैपिटल भी बनेगा.

सभापति महोदय, अब मैं सेवा क्षेत्र की बात करूंगा. हमारे मध्यप्रदेश में सेवा क्षेत्र लगभग 6.9 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ रहा है. इसकी वृद्धि दर लगभग 6.9 है. इसमें आईटी,

पर्यटन, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल आदि क्षेत्रों में हम तेजी से विकास कर रहे हैं. जब मैं खेल की बात करता हूँ तो खेल क्षेत्र में विगत दिनों जो खेल चिंतन शिविर का हैदराबाद में आयोजन हुआ था, उसमें मध्यप्रदेश ने खेल के क्षेत्र में जो काम किया, उसको सराहा गया है. सहकारिता क्षेत्र में सहकार से समृद्धि मंत्र पर चलकर प्रदेश को विकसित करने के लिए हम संकल्पित हैं.

सभापति महोदय -- ठाकुर साहब, जल्दी समाप्त करें.

श्री नीरज सिंह ठाकुर -- सभापति महोदय, बस दो मिनट, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशीप मॉडल पर जीआईएस में रिलायंस और बैद्यनाथ आदि के साथ हमने 2300 करोड़ के एमओयू किए हैं. रोड संरचना, अधोसरंचना की जब मैं बात करता हूँ तो पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई के मध्य जो एमओयू हुआ है, उससे भविष्य में 130 लाख करोड़ रुपये की लागत से 1 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी.

सभापति महोदय -- धन्यवाद नीरज सिंह जी, थोड़ा शीघ्र अपनी बात पूर्ण कर दें. समय का ध्यान रखें.

श्री नीरज सिंह ठाकुर -- सभापति महोदय, बस कन्क्लूड कर रहा हूँ. जब मैं विनिर्माण क्षेत्र की बात करता हूँ तो विनिर्माण क्षेत्र में हमें 30.77 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे लगभग 18 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा. उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जीआईएस में जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने परिश्रम किया, सरकार बनते ही उन्होंने जो रिजनल इंडस्ट्रियल कान्क्लेव किए, जो हमारे प्रमुख शहरों में उन्होंने रोड शो किए, जापान, जर्मनी जाकर उन्होंने इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया, उसका परिणाम यह हुआ कि जीआईएस में इतने लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. जीआईएस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा नई नीतियां जारी की गई हैं. उनमें ऐसे सनराईज सेक्टर्स भी शामिल किए गए हैं, उभरते हुए क्षेत्र, जिनमें मध्यप्रदेश को असीम संभावनाएं नजर आती हैं. आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस का क्षेत्र हो, ड्रोन क्षेत्र हो, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र हो, डिफेंस का क्षेत्र हो, इस पर हमारा मध्यप्रदेश यदि आगे बढ़ेगा तो मुझे विश्वास है कि इन उभरते हुए सेक्टर्स से हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा. मोदी जी ने थ्री टी की बात अपने उद्बोधन में कही थी, जब वे जीआईएस में आए थे, टेक्सटाइल, टूरिज्म एंड टेक्नॉलॉजी, इनसे

भी मध्यप्रदेश को बहुत फायदे की संभावना है. हमारी स्टार्टअप नीति के माध्यम से 10 हजार स्टार्टअप लगने की संभावना है. मैं अंत में..

सभापति महोदय -- धन्यवाद नीरज सिंह जी. धन्यवाद प्लीज.

श्री नीरज सिंह ठाकुर - "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" और ज्ञान आधारित जो बजट 2025-26 प्रस्तुत हुआ है उसके लिये वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव जी को बधाई देता हूं और अंत में इस लाईनों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं. "बजट से जलेंगे नये आशाओं के दीप, इसमें हैं उज्जवल कल के मोतियों के सीप,उज्जवल कल के मोतियों के सीप" प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश आत्म निर्भर भी बनेगा और विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करेगा. जय हिन्द जय मध्यप्रदेश.

श्री महेन्द्र सिंह यादव खतौरा(कोलारस) - माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं. मध्यप्रदेश सरकार गरीबों,महिलाओं,किसानों के लिये और हमारे मजदूर भाईयों के लिये निरंतर काम कर रही है. इसके साथ-साथ हमारे जो जंगल हैं हमारे जो वन्य प्राणी हैं उनके लिये भी निरंतर काम कर रही है उसी का नतीजा है कि हमारे शिवपुरी जिले में जो माधव नेशनल पार्क था उसे प्रदेश का माधव नेशनल रिजर्व अभ्यारण्य बनाया गया है इससे हमारे शिवपुरी के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. इससे मध्यप्रदेश के मानचित्र पर शिवपुरी का नाम आगे आएगा. यह जो हमारी राज्य सरकार है. हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उनकी अच्छी सोच का नतीजा है कि हमारा प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है. मैं बात कहूं किसानों के लिये तो किसानों के लिये जितना इस सरकार ने काम किया है खेती लाभ का धंधा बने किसान की लागत कम हो और उसकी आमदनी बढ़े अगर मैं कुछ बिन्दुओं पर नजर डालें तो समर्थन मूल्य पर खरीदी,जो पिछली सरकारों में कभी खरीदी नहीं होती थी और किसान को फसल का मूल्य नहीं मिलता था. समर्थन मूल्य पर जो खरीदी की तो किसान को विश्वास हुआ कि हर फसल चाहे चना हो,मसूर हो,गेहूं हो, उसका समर्थन मूल्य पर अनाज तुला उससे कहीं न कहीं किसान मजबूत हुआ. बिजली बिल पर जो सब्सिडी दी गई उससे उसका जो बिजली का भार कम हुआ और साथ में 10 घंटे बिजली की गारंटी उसको मिले तो उसका डीजल भी बचा जिससे उसकी लागत कम हुई. हमारी सरकार और केंद्र सरकार मिलकर खाद पर सब्सिडी दे रही है ताकि किसान पर अतिरिक्त बोझ न पड़े

इसके अलावा दोनों सरकारें 12 हजार रुपये किसान सम्मान निधि दे रही हैं ताकि जो छोटा किसान है उसको कुछ आराम मिले इसके अलावा हमारी जो सिंचाई परियोजनाएं हैं केन-बेतवा और चंबल लिंक परियोजना जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सोच थी उसके कारण आज जो सिंचाई का रकबा लाखों हेक्टेयर में बढ़ता जा रहा है उसका हमारे शिवपुरी जिले में दोनों योजनाओं का पानी मिलेगा उससे किसान की लागत कम होगी. इसके साथ-साथ किसान को जीरो परसेंट ब्याज पर कापरेटिव्ह सोसायटियों से पैसा दिलवाकर ताकि उस पर अतिरिक्त ब्याज का बोझ न पड़े ऐसी सुविधा हमारी सरकार ने की है. इसके अलावा किसान को जो सरसों का भूसा,धनिया का भूसा जो किसान खेतों में जला देते थे उसको कहीं न कहीं कोयले के रूप में इस्तेमाल करने के लिये केन्द्र सरकार ने 10 परसेंट में फैक्ट्रियों में उसका इस्तेमाल करने की जो परमीशन दी है उसके कारण से जो किसान का भूसा अब सब फैक्ट्रियों में जा रहा है जिसके ब्रिक्स बनकर भूसे से लकड़ी बनकर जो बिक रही है उससे उनको भूसे का दाम भी हमारी सरकार दिलाने का काम कर रही है. इसके अलावा जो मोटे अनाज जैसे मैं बात करूं जो मक्का है और भी जो मोटे अनाज हैं जिनका पहले दाम नहीं मिलता था लेकिन हमारी केन्द्र सरकार ने इसका इस्तेमाल कुछ परसेंट में डीजल और पेट्रोल में ईंधन के रूप में करने की जो परमीशन दी है उसी का नतीजा है कि आज मक्का का भाव और उत्पादन पूरे शिवपुरी, गुना, अशोकनगर 10 जिलों में मैंने देखा है जिससे किसान समृद्ध हो रहा है और मक्का का भाव क्योंकि उससे ऐथेनाल बन रहा है तो उससे किसान को कहीं न कहीं फायदा हो रहा है. किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा बढ़ाकर पहले 3 लाख रूपये थी अब 5 लाख रूपये जो की गई है उससे कहीं न कहीं किसान की जो जमीन उसको कर्ज के कारण बेचनी पड़ती थी, आज जमीन बेचने की जरूरत उसको नहीं है, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड से उसको कम ब्याज पर जो पैसा मिल रहा है उसी का नतीजा है कि उसकी जो लागत है वह धीरे-धीरे कम होती जा रही है. अब अगर हम बात करें तो उसमें जो सोलर पम्प दिये जा रहे हैं तो उससे उसकी लागत और भी कम आयेगी. इसके अलावा मिट्टी परीक्षण की जो व्यवस्था की, इसके अलावा ड्रोन से दवाई खेतों में डालने की आदरणीय मोदी जी ने जो व्यवस्था दी है उसी का कारण है कि आज खेती धीरे-धीरे लाभ की ओर जा रही है, उसकी लागत कम हो रही है. आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे भारत में घूमकर सबको निमंत्रण दिया, चाहे ग्वालियर में, चाहे भोपाल, चाहे इंदौर उसी का नतीजा है कि आज शिवपुरी जैसी छोटी जगह में ढाई हजार करोड़ रूपये की फैक्ट्री

अडानी जी द्वारा लगने जा रही है, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं. इसके अलावा मेरा जो उद्योग से संबंधित केवल इतना कहना था कि जो उद्योग आ रहे हैं वह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार, उनकी जो मेहनत है कि इतना पैसा यहां आये कि उससे उद्योग चलें जिसके लिये उन्होंने मेहनत की है. हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो पीएम जनधन योजना जो हमारे बेगा भारिया और हमारी सहरिया जाति थी जो बिलकुल अंतिम छोर के गरीब लोग थे उनके लिये 9 विभागों को जोड़कर के जो पीएम जनधन योजना बनाई जिससे आज हमारे उन गरीब भाईयों का 2 लाख 20 हजार रूपये से 100 प्रतिशत जिसको कहते हैं सबसे ज्यादा आदिवासी सहरिया शिवपुरी जिले में बसते हैं. मैं देख रहा हूं हर गरीब को 6-8 महीने में ही हजारों की तादाद में मकान दे दिये गये और लगभग 50 प्रतिशत बनकर भी पूर्ण हो गये हैं. चाहे उनको बिजली की व्यवस्था हो, 100 प्रतिशत की जा रही है, चाहे उनके लिये नल से जल की व्यवस्था हो, वह भी 100 प्रतिशत की जा रही है और हर सहरिया आदिवासी को चाहे उनके 50 घर हों, 100 घर हों प्रधानमंत्री सड़क उनको मुहैया कराई जा रही है. ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है. भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों के साथ खड़ी है. मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुये हमारे आदरणीय राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं. धन्यवाद, जयहिन्द.

श्री माधव सिंह,"मधु गहलोत" (आगर)-- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं.

सभापति महोदय, प्रदेश की सभी बातें हो चुकी हैं, मैं मेरी विधानसभा की बात करना चाहता हूं, मेरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे हम पानी की बात कर लें, तो इस एक साल के अंदर लगभग 175 डेमों का निर्माण अभी चल रहा है. मेरी विधानसभा के अंदर अभी इस एक साल के अंदर सी.एम.राईज स्कूल बनने जा रहे हैं. मैं भी पहली बार का सदस्य हूं, मेरी विधानसभा के अंदर शिक्षा की बात करें तो विधि कॉलेज, आई.आई.टी. कॉलेज यह मेरी सरकार ने देने का काम किया है. मेरी सरकार गरीबों के साथ, हर वर्ग के साथ खड़ी है. मैं माननीय जल संसाधन मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि लगभग 40 से 50 प्रतिशत मेरा किसान जो है, वह सिंचित भूमि को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मेरा आपसे

निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के अभी कई डेमों की साध्यता हो चुकी है, आपसे निवेदन है कि उनकी भी सरकारी साध्यता करवा दें ताकि आने वाले समय में मेरा क्षेत्र सम्पन्न हो जाये, जैसे हढ़ाई डेम, सिरपाई डेम और खंदवास डेम कई लंबे समय से पड़े हुए हैं, पर मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बीस साल के अंदर लगभग 12 से 15 बड़े-बड़े डेम बनाने का काम सरकार ने किया है और आने वाले समय में माननीय जल संसाधन मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यह बनने जा रहे हैं और बनेंगे.

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर जिले में मेडीकल कॉलेज देने का काम कर रही है, मैं उसके लिये भी सरकार को धन्यवाद देता हूं. डॉ. मोहन यादव जी की सरकार निष्पक्ष काम करने जा रही है. हमारी सरकार हर वर्ग का ध्यान रखती है, हम किसानों की बात कर लें, किसानों की आय की बात कर लें तो मेरे आप किसी भी गांव में चलें, हर गांव के अंदर, हर दूसरे तीसरे मकान को देखें, तो वहां पर आपको कोई न कोई गाड़ी खड़ी मिलेगी. .जब मैं बीस साल पहले उस आगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर घूमता था, उस समय भूली भटकी एक आध फोर व्हीलर दिखती थी, आज किसान इतना संपन्न हो चुका है कि हर घर में आपको एक छोटी बड़ी गाड़ी खड़ी दिखाई देगी. हम गाड़ियों की बात कर लें किसानों की बात कर लें, आप कोई से भी शो रूम पर चले जाओ छोटी सी छोटी गाड़ी अगर आदमी खरीदता है, तो तीन महीने की वेटिंग उसको मिलती है. मध्यप्रदेश ने इतनी तरक्की की है कि समय पर गाड़ियों को कंपनी बनाने में समक्ष नहीं हो पा रही है, इतना पैसा मध्यप्रदेश के अंदर आ चुका है. हमारी सरकार दमदारी के साथ काम करती है, ईमानदारी के साथ काम करती है.

सभापति महोदय, मेरी विधानसभा के अंदर अभी लगभग 318 उद्योग के लिये प्लॉट आवंटित हो चुके हैं, जिनमें रोड बन चुका है, जिनमें लाईट की व्यवस्था हो चुकी है, पानी की व्यवस्था हो चुकी है, वहां पर उद्योगपति आना बाकी है और वह प्लॉट आवंटन होते से ही उद्योगपति आ जायेंगे और आने वाले समय में वहां लघु उद्योग के माध्यम से काम चलना है, एक उद्योग में अगर 50 लोग भी काम करते हैं तो लगभग 15 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और वार्षिक लगभग 2सौ करोड़ रूपये की सैलरी मेरी विधानसभा में बंटने वाली है, यह मेरी सरकार की उपलब्धि है, सभापति महोदय, आने वाले समय में अभी मेरे क्षेत्र के अंदर हर फसल

का भाव बढ़ रहा है. मक्का और जो मोटा धान है, उसकी फसल का रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मेरे यहां दो बड़े ईथोनॉल के प्लांट डल चुके हैं और वह किसी बाहर के व्यक्ति ने नहीं डाले हैं, मेरे क्षेत्र के व्यक्ति ने डाले हैं, जिनको पांच सौ लोगों को अभी रोजगार दिया जा रहा है, यह मेरी सरकार की उपलब्धि है.

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र का संतरा नागपुर में जाता है, दिल्ली में जाता है, तो वहां पर फ्रूड प्रोसेसिंग प्लांट भी डले ताकि वहां पर सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल सके. मेरा क्षेत्र आने वाले समय में किसी भी क्षेत्र से पीछे न रहे. मेरी विधानसभा मेरा मध्यप्रदेश है और वह नंबर वन की पोजीशन पर है. मेरे यहां पर मेरी विधानसभा से लगा हुआ 65 किलोमीटर की दूरी पर महाकाल लोक है तो मेरी सरकार और मेरे मुख्यमंत्री ने मेरे यहां पर बैजनाथ लोक 18 करोड़ की लागत से बनाने का काम किया है, वहां पर मेरी विधानसभा से लगा हुआ, मेरे जिले में नलखेड़ा मंदिर, मां बगुलामुखी का मंदिर है, वहां पर देश के सभी नेता अभिनेता और सभी लोग आते हैं, उसे भी डेव्हलप करने का काम अगर किया है तो यह मेरी सरकार की उपलब्धि है. आने वाले समय में मेरा विधान सभा नंबर 1 बनेगा और नंबर वन की पोजीशन हासिल करेगा. शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य की बात कर लें, तो अभी इस एक साल के अंदर लगभग बीस उप स्वास्थ्य केन्द्र मेरी सरकार ने मेरी विधान सभा में दिए हैं मेरी विधान सभा में बड़ौद के अंदर 50 बेड का अस्पताल देने का काम मेरी सरकार ने किया है.

आदरणीय पहली बार बोलने का अवसर मिला है. आने वाले समय में आपका आशीर्वाद और मिले जय हिन्द, जय भारत.

श्री प्रीतम लोधी(पिछोर) – सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का सम्मान करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा अभिभाषण विधान सभा के पटल पर रखा गया. सभापति जी इतना करने के बाद भी कुछ लोग, कांग्रेस के लोग उसकी खाल में से बाल और बाल में से खाल निकालने का काम करते हैं. अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं. मैं आज उधर से आ रहा था तो मैंने देखा कि विधान सभा के दरवाजे पर इतना कचड़ा फैला था, गेहूं की बालों का. ये ज्ञान का मंदिर है, न्याय का मंदिर है और यहां पर कचड़ा ही कचड़ा, कौन फैला सकता है. मैंने पता

किया तब बताया गया कि हमारे भाई लोगों ने गांव से लाकर गेहूं की बालों का कचड़ा वहां फेंका. तब मुझे ध्यान आया कि हमारे मोदी जी को एक कागज का टुकड़ा पड़ा मिला तो उसको उन्होंने जेब में रख लिया.

श्री रजनीश हरवंश सिंह – सभापति जी, गेहूं की बालों को, अन्न दाता, किसानों की, वेदना को ये कचड़ा कह रहे हैं, जिससे इनका पेट भरता है. (..व्यवधान)

श्री प्रीतम लोधी – मुझे बोलने दीजिए, परेशान मत कीजिए. आप बोलते हो तो मैं बीच में नहीं बोलता हूं.

श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल - रजनीश जी कहना क्या चाहते हों, आपने अन्न फेंका था(...व्यवधान)

श्री प्रीतम लोधी – सामने कचड़ा फैला हुआ मिला, क्या आप लोगों ने उसको साफ किया. सभापति जी झाड़ू उठाकर मैंने वहां से वह कचड़ा साफ किया.

सभापति महोदय – ठीक है, आगे बढ़िए.

श्री प्रीतम लोधी – आज विधान सभा के मंदिर में कचड़ा फैलाने का काम किया है, उनको साफ करना था. कहीं ये कचड़ा फैलाते हैं, कहीं कबाड़ा कर देते हैं. अपना तो कबाड़ा कर ही लिया इन्होंने और प्रदेश के कबाड़े में और जुटे हुए हैं. सोचिए कहीं कीड़े मकोड़े लेकर आ जाते हैं. हमारी पार्टी, हमारे मोदी जी शेर और चीते छोड़ने काम कर रहे हैं, ये सांप और बिच्छु छोड़ने का काम कर रहे हैं, विधान सभा में, सोचिए कितना बड़ा फर्क है. (..व्यवधान)

श्री रजनीश हरवंश सिंह – सभापति जी, ये उनको कबाड़ा कह रहे हैं, शेषनाग पर धरती टिकी हुई है.

श्री प्रीतम लोधी – आप शांत रहिए, मैं आपके बीच में बोलता नहीं हूं, आप शांत रहिए. मुझे समय मिला है बोलने दीजिए.

सभापति महोदय – आप आपस में बात न करें, प्रीतम जी आप अपनी बात को जारी करें और जल्दी समाप्त करें.

श्री प्रीतम लोधी – आप शांत रहिए, ये विधान सभा है, यहां आप शांत रहिए.

सभापति महोदय – आसंदी की ओर देखकर बात करें ऐसी बात न करें. अपनी बात जल्दी पूरी करें प्रीतम जी.

श्री प्रीतम लोधी - सभापति जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश का सम्मान भी किया है, देश में काम भी किया है और देश में तरक्की भी की है. मोदी जी जब कहीं बाहर जाते हैं तो लोग नारे लगाते हैं, विदेश की धरती पर, तो गर्व होता है हमें, ऐसा नेतृत्व हमको मिला है जो कभी जीवन में नहीं मिल सकता. मैं पहले सरपंच था. आपको आज से 45 साल पहले की बात बताता हूं. एक कुटीर आई थी पांच साल में कांग्रेस के जमाने में, जो मैंने आदिवासी भाई को दे दी थी, क्योंकि उसकी टपरिया आदिवासी भाई की जब आंधी, तूफान तथा बरसात आती थी तो उड़ जाती थी उसका कनस्तर रखा रह जाता था या उसका चूल्हा बना हुआ रह जाता था. पहले मैंने उनको12 हजार रूपये दिये. मैंन उनसे कहा कि आप अपना मकान बनाईये. तो दो महीने बाद जब मकान को देखने गया तो उसने इतनी बड़ी दीवाल ऊपर से कर ली जाल डालकर उसमें कहीं पर कबूतर, मुर्गे, मुर्गियां पले हुए मिले. मैंने पूछा कि यह आपने क्या कर लिया तुमने और उसने कहा कि 12 हजार रूपये में दड़बा नहीं बनेगा तो क्या ताजमहल बनेगा. यह बात कही और हमने सुनी है. वास्तव में हमको इस बात का गर्व होता है कि अब मोदी जी ने जो दिया है, वह वास्तव में ताजमहल जैसा घर बना हुआ है. यह हम कह सकते हैं उसमें नल की सुविधा, बिजली की सुविधा, गैस की सुविधा, चूल्हे की सुविधा हर चीज की सुविधा करके हमारे मोदी जी ने देश के गरीबों का सम्मान बढ़ाया है. हमारे मोदी जी देश का सम्मान बढ़ाते हैं उनके बारे में आप लोग बोलते हैं कहीं उनका बाल खींचते हैं, तो कहीं कुछ कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिये. भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है. आज बजट भाषण को सुन रहा था उस बजट के अंदर गरीबों, नौजवानों, हर वर्ग का सम्मान किया है. इसलिये मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे पिछोर विधान सभा के क्षेत्र पर नजर डालें. पिछोर विधान सभा में

थोड़ी हमें दिक्कतें आ रही हैं. वहां का एस.पी.भाजपा वालों को दुश्मन मानकर के चलता है. यह सोचिये कि पिछोर में लोधी देश में मोदी और एस.पी.हो रहा है विरोधी. इसलिये आपसे कहना चाहता हूं कि उसका आप इंतजाम करिये. पिछोर में 30 साल के बाद कांग्रेस से सीट छुड़वाई है. 30 साल में भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट आयी है. वहां का कार्यकर्ता इतना दुखी है वह आंदोलन इसलिये नहीं करता है, क्योंकि हमारी सरकार है. इसलिये मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि उस एस.पी.का इंतजाम करिये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जिला सदस्य, जिसको गोली मारी गई, उसकी गाड़ियां तोड़ी गईं. अभी तक वहां के अपराधी अरेस्ट नहीं हुए हैं. वह लोग एसपी की छत्रछाया में अभी तक भी सहयोग कर रहा हूं. हमारे कार्यकर्ताओं को अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है. इसलिये सभापति जी ऐसे लोगों को वहां का एस.पी.संरक्षण दे रहा है इनको आप हटवाईये और इनके विरूद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करिये. आपने मुझे बोलने का समय दिया धन्यवाद.

सभापति महोदय—बहुत बहुत धन्यवाद. विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 13 मार्च, 2025 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित.

अपराह्न 6.09 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 13 मार्च, 2025 (फाल्गुन 22, शक संवत् 1946) को प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

भोपाल, ए.पी.सिंह

दिनांकः 12 मार्च, 2025 प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश विधान सभा